Licenced under U (DN)-53/2006-08
रजि.सं.डीएल (एस)-05/3231/2006-08 तथा डाक व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक में डालने के लिए लाइसेंस-प्राप्त पंजी सं. 951/57
Reg. No. D.L.(S)-05/3231/2006-08 Licenced to post without pre-payment at RMS, Delhi R.N.951/57

प्रतियोगिता दर्पण

के अतिरिक्तांक टॉपर्स की नजर में

➡ ...मैंने प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक भारतीय अर्थव्यवस्था (अंग्रेजी संस्करण) पढ़ा है. मेरे मित्रों ने अन्य विषयों के अतिरिक्तांकों को भी सराहा है.
—मुत्यालराजू रेवु
सिविल सेवा परीक्षा, 2006 में सर्वोच्च स्थान

➡ ....मैंने प्रतियोगिता दर्पण के कई अतिरिक्तांकों को पढ़ा है. इनमें अर्थव्यवस्था, भूगोल, राष्ट्रीय आन्दोलन एवं कला व संस्कृति जैसे अंक बहुत महत्वपूर्ण हैं.
—जयसिंह
सिविल सेवा परीक्षा, 2006 में हिन्दी माध्यम से प्रथम स्थान

➡ ...प्रतियोगिता दर्पण के इतिहास और भारतीय अर्थव्यवस्था के अतिरिक्तांक सदैव मेरी तैयारी का आधार रहे. अस्तु दर्पण परिवार बधाई का पात्र है.
—श्रीमन् शुक्ला
सिविल सेवा परीक्षा, 2006 में हिन्दी माध्यम से द्वितीय स्थान

➡ ....प्रतियोगिता दर्पण के भारतीय अर्थव्यवस्था तथा राजनीति विज्ञान के अतिरिक्तांक बहुत ज्ञानवर्धक हैं. भूगोल का अतिरिक्तांक बहुत टेक्नीकल है.
—रोहन सक्सेना
म.प्र. पी.एस.सी. परीक्षा, 2003 में सर्वोच्च स्थान

To purchase online log on to
www.pratiyogitadarpan.org

New Revised & Enlarged Editions

Series-1	Indian Economy	790	175.00
Series-2	Geography (India & World)	793	145.00
Series-3	Indian History	798	95.00
Series-4	Indian Polity	797	125.00
Series-6	General Science Vol. 1	814	80.00
Series-6	General Science Vol. 2	818	65.00
Series-7	Current Events Round-up	819	50.00
Series-12	Indian National Movement & Constitutional Development	812	75.00
Series-15	Indian History–Ancient India	804	90.00
Series-16	Indian History–Medieval India	806	95.00
Series-17	Indian History–Modern India	802	95.00
Series-24	Commerce	805	180.00
प. सीरीज–1	भारतीय अर्थव्यवस्था	791	170.00
प. सीरीज–2	भूगोल (भारत एवं विश्व)	792	120.00
प. सीरीज–3	भारतीय इतिहास	795	110.00
प. सीरीज–4	भारतीय राजव्यवस्था	794	120.00
प. सीरीज–5	भारतीय कला एवं संस्कृति	796	85.00
प. सीरीज–6	सामान्य विज्ञान Vol. 1	829	80.00
प. सीरीज–6	सामान्य विज्ञान Vol. 2	830	70.00
प. सीरीज–7	समसामयिक घटनाचक्र	809	45.00
प. सीरीज–9	वस्तुनिष्ठ सामान्य हिन्दी	822	55.00
प. सीरीज–10	बौद्धिक एवं तर्कशक्ति परीक्षा	825	85.00
प. सीरीज–11	समाजशास्त्र	810	85.00
प. सीरीज–12	भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन एवं संवैधानिक विकास	823	80.00
प. सीरीज–13	खेलकूद	828	100.00
प. सीरीज–14	कृषि विज्ञान	836	110.00
प. सीरीज–15	प्राचीन इतिहास	837	110.00
प. सीरीज–16	मध्यकालीन इतिहास	838	120.00
प. सीरीज–17	आधुनिक इतिहास	839	110.00
प. सीरीज–18	दर्शनशास्त्र	842	75.00
प. सीरीज–19	न्यू रीजनिंग टेस्ट	843	105.00
प. सीरीज–20	हिन्दी भाषा	860	80.00
प. सीरीज–21	संख्यात्मक अभियोग्यता	861	130.00
प. सीरीज–22	राजनीति विज्ञान	866	145.00
प. सीरीज–23	लोक प्रशासन	813	160.00
प. सीरीज–24	वाणिज्य	816	170.00

प्रतियोगिता दर्पण
2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा – 282 002
फोन : 2530966, 2531101, 3208693/94; फैक्स (0562) 2531940
E-mail : info@pratiyogitadarpan.org
दिल्ली ब्रांच ऑफिस फोन नं. : 23251844/66

YH/11/07/1

ISSN-0971-8397

योजना

फरवरी 2008 विकास को समर्पित मासिक मूल्य : 10 रुपये

अनैतिक व्यापार

प्रकाशन विभाग की ओर से घरेलू पुस्तक योजना की शुरूआत

विश्व पुस्तक मेले (2 से 10 फरवरी 2008) के मौके पर

पुस्तक प्रेमियों के लिए सुनहरा अवसर

विशेष आकर्षण :

1. केवल 100 रुपये देकर वार्षिक सदस्यता प्राप्त करें।
2. प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित किसी भी पत्रिका का तीन वर्ष के लिए ग्राहक बनने पर वार्षिक सदस्यता केवल 50 रुपये में प्राप्त की जा सकती है।
3. सामान्य छूट के बाद सौ रुपये या उससे अधिक की पुस्तकें खरीदने पर 20 प्रतिशत की विशेष छूट दी जाएगी।
4. सामान्य छूट के बाद पांच सौ रुपये या उससे अधिक मूल्य की पुस्तकें खरीदने पर सदस्य को 25 रुपये मूल्य की पुस्तकें/पत्रिकाएं उपहार में दी जाएंगी।
5. सभी सदस्यों को प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की सूची निःशुल्क दी जाएगी।
6. यह योजना देश-भर में केवल प्रायोगिक तौर पर शुरू की जा रही है।
7. प्रकाशन विभाग समाचार पत्रों में विज्ञापन के जरिए एक महीने का नोटिस देकर इस योजना को समाप्त कर सकता है।

सदस्यता फार्म तथा अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें–

व्यापार व्यवस्थापक
प्रकाशन विभाग
सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स,
लोदी रोड, नई दिल्ली – 110 003

फोन : 26100207, 26175516
फैक्स : 011-2436 5609
ई-मेल : dpd@sb.nic.in, dpd@mail.nic.in
वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in

DPD / HL -1/08

ISSN-0971-8397

विकास को समर्पित मासिक

योजना

वार्षिक बजट देश की आर्थिक दिशा इंगित करता है
बजट को जानने के लिये पढ़ें

मार्च 2008 का

बजट 2008-09 विशेषांक

इसमें आप पाएंगे:

- केंद्रीय बजट 2008.09 के विभिन्न पहलुओं पर रेखाचित्रों, तस्वीरों से युक्त गहन विश्लेषणात्मक आलेख।
- रेल बजट 2008.09 की गहरी पड़ताल।
- आर्थिक समीक्षा 2007.08 का विश्लेषण
- प्रमुख अर्थशास्त्री तथा विशेषज्ञ इन विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। अपनी प्रति सुरक्षित कराना न भूलें।
- इस विशेषांक का मूल्य 20/- रुपये होगा।
- कृपया ध्यान दें, चूंकि इस विशेषाक की छपाई संसद में केंद्रीय बजट 2008.09 पेश किए जाने (28 फरवरी, 08) के बाद होगा, इसलिये मार्च अंक आप तक विलंब से पहुंचेगा।

अपना आदेश स्थानीय एजेंट को दें अथवा विज्ञापन एवं प्रसार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, पूर्वी खंड IV, लेवल-VII, रामकृष्ण पुरम, नयी दिल्ली (फोन: 26100207, 26105590), ई-मेल : pdjucir_jcm@yahoo.co.in से संपर्क करें।

सदस्य बनने अथवा पत्रिका मंगाने के लिये आप हमारे निम्नलिखित बिक्री केंद्रों पर संपर्क कर सकते हैं:

सूचना भवन सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003 (दूरभाष: 24367260, 5610), हाल सं. 196, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 (दूरभाष: 23890205) ' 701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर, नवी मुंबई-400614 (दूरभाष: 27570686) ' 8, एसप्लानेड ईस्ट, कोलकाता-700069 (दूरभाष: 22488030) ' 'ए' विंग, राजाजी भवन, बंसल नगर, चेन्नई-600090 (दूरभाष: 24917673) ' प्रेस रोड नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट, तिरुवनंतपुरम-695001 (दूरभाष: 2330650) ' ब्लॉक सं-4, पहला तल, गृहकल्प, एमजी रोड, नामपल्ली, हैदराबाद-500001 (दूरभाष: 24605383) ' फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, बंगलौर-560034 (दूरभाष: 25537244) ' बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ, पटना-800004 (दूरभाष: 2683407) ' हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर-11, अलीगंज, लखनऊ-226024 (दूरभाष: 2225455) ' अंबिका कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, पाल्दी, अहमदाबाद-380007 (दूरभाष: 26588669) ' के.के.बी. रोड, नयी कॉलोनी, मकान संख्या-7, चेनीकुटी, गुवाहाटी-781003 (दूरभाष: 2665090)

पत्रिका स्थानीय समाचारपत्र विक्रेताओं से भी प्राप्त की जा सकती है

योजना

वर्ष : 52 • अंक : 2 फरवरी 2008 माघ-फाल्गुन, शक संवत 1929 कुल पृष्ठ 60

प्रधान संपादक
अनुराग मिश्रा

वरिष्ठ संपादक
राकेशरेणु

संपादक
रेमी कुमारी

संपादकीय कार्यालय
538, योजना भवन, संसद मार्ग,
नयी दिल्ली-110 001
दूरभाष : 23096738, 23717910
23096666/2508, 2511
टेलीफैक्स : 23359578
ई-मेल : exeed.yojana@gmail.com
ce.yojana48@yahoo.co.in
www.publicationsdivision.nic.in
a) dpd@nic.in
b) dpd@hub.nic.in

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
एन.सी. मजूमदार

व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार एवं विज्ञापन)
जगदीश प्रसाद
दूरभाष : 26100207, 26105590
फैक्स : 26175516
ई-मेल : pdjucir-icm@yahoo.co.in

आवरण : राजेश शर्मा

इस अंक में

संपादकीय	-	3
आर्थिक संकेतक	-	4
यौन दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ़ कड़ी कार्यवाई ज़रूरत	-	5
भारत में मानव तस्करी आयाम, चुनौतियां और प्रतिक्रियाएं	किरण बेदी	7
क्या वेश्यावृत्ति को कानूनसम्मत बना देना चाहिए	मधु किश्वर	10
वेश्यावृत्ति की रोकथाम और महिला मानवाधिकार	रत्ना कपूर	13
संगठित अपराधियों पर जोरदार प्रहार की दरकार	सरिता पांडेय	15
दुनियाभर में जारी है बच्चों की घृणित तस्करी	अवधेश कुमार	18
वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम में संशोधन	भारती घनश्याम	22
देह व्यापार अपराध नहीं	बिशाखा दत्ता सिद्धार्थ दुबे	25
भारतीय पतिता का उद्धार सभा	खैराती लाल भोला	27
प्रताड़ित यौनकर्म सहकारिता बैंक स्थपित करेंगे	राधेश्याम जाधव	30
मानव तस्करी पर सामुदायिक पहरेदारी	पी. एम. नायर	31
जहां चाह वहां राह: जीवन अब सुखी बना	-	36
दक्षिण भारत में औपनिवेशक प्रतिरोध	प्रतिभा	37
झरोखा जम्मू-कश्मीर का	-	42
क्या आप जानते हैं?	-	45
नया नया सा एक कैलेंडर	-	46
चंद्रयान के लिये एंटीना लगाया गया	-	47
रेशम परियोजनाओं से रोज़गार	सत्यभन सारस्वत	48
ख़बरों में	-	50
मंथन : दृढ़ संकल्प से आदर्श राष्ट्र निर्माण	श्री निवास शर्मा	52
स्वास्थ्य चर्चा : आयुर्वेद परंपरा और मोटापा	वैद्य अरुण शर्मा	53

योजना हिंदी के अतिरिक्त असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु तथा उर्दू भाषाओं में भी प्रकाशित की जाती है। पत्रिका मंगवाने हेतु, नयी सदस्यता, नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिये मनीआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'निदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें : व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार एवं विज्ञापन), प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक IV, लेवल VII, आर.के. पुरम, नयी दिल्ली-110 066 दूरभाष : 26100207, 26105590, तार : सूचनाप्रकाशन।

सदस्य बनने अथवा पत्रिका मंगाने के लिये आप हमारे निम्नलिखित बिक्री केंद्रों पर भी संपर्क कर सकते हैं:- सूचना भवन सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003 (दूरभाष:24367260, 5610), हाल सं. 196, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 (दूरभाष: 23890205) * 701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर, नवी मुंबई-400614 (दूरभाष: 27570686) * 8, एसप्लानेड ईस्ट, कोलकाता-700069 (दूरभाष: 22488030) * 'ए' विंग, राजाजी भवन, बंसल नगर, चेन्नई-600090 (दूरभाष: 24917673) * प्रेस रोड नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट, तिरुवनंतपुरम-695001 (दूरभाष: 2330650) * ब्लॉक सं-4, पहला तल, गृहकल्प, एमजी रोड, नामपल्ली, हैदराबाद-500001 (दूरभाष: 24605383) * फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, बंगलुरु-560034 (दूरभाष: 25537244) * बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ, पटना-800004 (दूरभाष: 2683407) * हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर-H, अलीगंज, लखनऊ-226024 (दूरभाष: 2225455) * अंबिका कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, पाल्दी, अहमदाबाद-380007 (दूरभाष: 26588669) * के.के.बी. रोड, नयी कॉलोनी, मकान संख्या-7, चेनीकुटी, गुवाहाटी-781003 (दूरभाष: 2665090)

चंदे की दरें : वार्षिक : 100 रु. **द्विवार्षिक :** 180 रु.; **त्रैवार्षिक :** 250 रु.; विदेशों में **वार्षिक** दरें **: पड़ोसी देश:** 500 रु.; **यूरोपीय एवं अन्य देश :** 700 रु.

'योजना' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। ज़रूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिये 'योजना' उत्तरदायी नहीं है।

आपकी राय

आवश्यकता राजनैतिक सहयोग की

योजना का पूर्वोत्तर विशेषांक बेहद रुचिकर रहा। यह अंक पाठकों को पूर्वोत्तर राज्यों की दशा और दिशा समझने में काफी सहायक सिद्ध हुआ है। अंक में पूर्वोत्तर राज्यों के विकास सूचकांक व आर्थिक संकेतक इन राज्यों के विकास व आर्थिक वृद्धि की रूपरेखा को भी बखूबी बयां करते हैं। पूर्वोत्तर के सभी राज्य अखंड भारत का अभिन्न हिस्सा हैं। इन राज्यों की प्रगति से निश्चय ही पूरा देश लाभान्वित होता है। राष्ट्रीय लोकवित्त संस्थान द्वारा बनाया गया विजन 2020 अगर सही मायने में लागू किया जाए तो निश्चय ही ये सभी राज्य का विकास कर एक नया इतिहास रच देंगे। इसके लिये दृढ़ इच्छाशक्ति व राजनैतिक सहयोग की ज़रूरत है। मोज़ेज चेलई का लेख 'विकास के लिये ज़रूरी तंत्र' बेहद प्रभावित करने वाला है। श्री चेलई ने इन 8 राज्यों के विकास के लिये जिन दो तंत्रों के कार्यान्वयन की बात कही है, वह धरातलीय सच्चाई को उज़ागर करती है। केंद्र व राज्य सरकार मिलकर इस दिशा में ठोस कार्य करें तो वांछित लाभ अवश्य मिलेगा। 1975 में भारत का राज्य बनने के बाद जिस तरह सिक्किम का सर्वांगीण विकास हुआ है वह अन्य राज्यों के लिये एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करता है। अच्छा शासन, प्रचुर प्राकृतिक भंडार व दृढ़ इच्छाशक्ति से आज सिक्किम अपने वर्तमान विकास के लक्ष्यों को पूरा करता दिख रहा है। देशभर में प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध के बाद भी इसपर रोक नहीं लगाया जा सका है वहीं सिक्किम में इस पर पूर्ण रोक यहां के लोगों की जागरुकता दर्शाता है। 'झरोखा जम्मू-कश्मीर का' के अंतर्गत राज्य का बदलता माहौल घाटी सहित पूरे देश के लिये खुशनुमा संदेश लाया है। दहकते राज्य के छात्रों का आतंकवादियों से मोहत्याग बड़े परिवर्तन की ओर इशारा करता है। इस राज्य को खुशहाल व प्रगतिशील बनाने के लिये राज्य व केंद्र दोनों को मिलकर रोज़गार के ठोस उपाय करने की ज़रूरत है।

अमृता पांडेय

ई-मेल: amritataurus@gmail.com

कैरियर व रोज़गार के बारे में भी बताएं

योजना का नियमित पाठक हूं। नवंबर 2007 अंक में शामिल सारे आलेख प्रशंसनीय एवं ज्ञानवर्धक हैं खासकर भारतीय आईटी उद्योग, ई-प्रशासन अधूरा है लक्ष्य, संपूर्ण स्वच्छता अभियान में महिलाओं का योगदान, वाई-फाई: इंटरनेट की नयी दुनिया बेहद पसंद आए। मेरा अनुरोध है कि इस पत्रिका में ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जाने वाला कुटीर उद्योग, ग्रामीण पर्यटन, ग्रामीण विकास में सौर ऊर्जा का महत्व, भारत को विकसित देश की श्रेणी में लाने के लिये ग्रामीण क्षेत्र के विकास का महत्व तथा ग्रामीण विकास विषय में स्नातकोत्तर कर रहे छात्रों को कैरियर व रोज़गार के बारे में बतलाएं। यह कोर्स करने के बाद किन-किन अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संगठनों/ विभागों में कार्य कर ग्रामीण विकास में अपना योगदान कर ग्रामीण भारत को मज़बूत बनाने का मौका मिलेगा?

प्रवीण कुमार पाठक

करपी, अरवल, बिहार

सिक्कम के बारे में अच्छी जानकारी

पूर्वोत्तर को समर्पित अंक पढ़ा। सिक्किम के बारे में जो जानकारी इतने सरल और सुबोध शब्दों में *योजना* ने हम तक पहुंचाई उसका मैं आभारी रहूंगा। इस अंक की जितनी तारीफ़ की जाए वह अपने आप में कम है। सुभाष सेतिया का लेख 'पर्यावरण संरक्षण को समर्पित राज्य सिक्किम' और वहां के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग का लेख 'सिक्किम तब-अब और आगे' अपने आप में *योजना* की शान है। मुख्यमंत्री ने अपनी व्यस्तता अमूल्य समय में से निकालकर अपने राज्य की जानकारी हम तक पहुंचाई है।

अखिलेश मिश्र

फैजाबाद, खजुरहट, मुमारिजनगर

एक अच्छी पहल

*अ*शांत, उपद्रवग्रस्त आठ-बहिनों में हमेशा आतंकवाद व्याप्त रहता है। वास्तव में यह आतंकवाद शेष भारत द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों से बरते जाने वाले भेदभाव का प्रतिफल है। आपने इस क्षेत्र सहित सिक्किम पर फ़ोकस करके निस्संदेह एक अच्छी पहल की है। *योजना* ने जो पूर्वोत्तर 2020 दृष्टिकोणपत्र प्रस्तुत किया है उससे आर्थिक समृद्धि तो आएगी लेकिन इसे सांस्कृतिक दृष्टि से भी जोड़ने की सख़्त ज़रूरत है। चीन की सीमाएं इस क्षेत्र से लगना, हमारे लिये चिंता का कारण रहता है।

ठाकुर सोहन सिंह भदौरिया

भदौरिया भवन, बीकानेर, राज.

संपादकीय

केंद्र सरकार अनैतिक व्यापार (निरोधक) अधिनियम में संशोधन करने की तैयारी में है। भारत में यौनकर्म पर कानूनी व्यवस्था इसी अधिनियम, आईटीपीए में निहित है। *योजना* के इस अंक में विभिन्न विशेषज्ञ प्रस्तावित संशोधनों पर नज़र डालेंगे और यौनकर्म से संबंधित सामाजिक, आर्थिक विषयों के अलावा स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों का विश्लेषण करेंगे। समूचे विश्व की भांति भारत में भी यौनकर्म से अनेकों लोग जीवनयापन करते हैं। अधिकांश यौनकर्मी इस व्यवसाय में अनिच्छा से आती हैं। निर्धनता, परित्याग, पतियों की हिंसा और अन्य पारिवारिक समस्याओं से विवश होकर ही लोग इस व्यवसाय से जुड़ते हैं। उन्हें एक प्रकार के बंधुआ मज़दूर के रूप में मज़बूर होकर वेश्यालयों में काम करना पड़ता है। वेश्यालयों की मालकिन अथवा दलाल उन पर कड़ा नियंत्रण रखते हैं।

हाल के वर्षों में एड्स की महामारी के कारण इस कारोबार ने फिर से ने समाजशास्त्रियों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। भारत में यह बात कुछ अधिक ही अनुभव की जा रही है क्योंकि यौनकर्मियों को इस लाइलाज़ बीमारी का ख़तरा बहुत अधिक होता है और वे इसे अपने ग्राहकों को फैला रही हैं। कंडोम और अन्य सुरक्षित उपायों के उपयोग को प्रोत्साहित करना ही इस बीमारी के फैलने से रोकने का सर्वाधिक प्रभावी उपाय माना जाता है।

ऑक्सफोर्ड कंपेनियन - दी इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया के निष्कर्षों से यौनकर्म के अर्थशास्त्र के बारे में रोचक तथ्यों की जानकारी मिलती है। इस व्यवसाय में शिक्षा का अर्थोपार्जन से सीधा संबंध है। अशिक्षित यौनकर्मी की तुलना में शिक्षित यौनकर्मी की आय अधिक होती है। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त यौनकर्मी अशिक्षित कर्मी के मुक़ाबले 4 प्रतिशत अधिक कमाती हैं, जबकि माध्यमिक स्तर तक शिक्षित यौनकर्मी की आय 22 प्रतिशत अधिक होती है। इससे इस व्यवसाय का वर्गीकरण प्रतिबिंबित होता है कि अधिक शिक्षित ग्राहक अधिक शिक्षित यौनकर्मी को पसंद करते हैं। परंतु अन्य व्यवसायों के विपरीत, यहां आयु का अर्जन क्षमता (आय) से नकारात्मक संबंध होता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर और प्रधानमंत्री की आर्थिक परामर्शदात्री परिषद के अध्यक्ष सी. रंगराजन एशिया में एचआईवी/एड्स के प्रभाव का अध्ययन करने वाले पैन एशियन कमीशन से सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं। वह कोलकाता, चेन्नई, बांग्लादेश, थाईलैंड और फिलीपींस में यौनकर्मियों से भेंट कर चुके हैं। वह कोलकाता के सोनागाछी यौनकर्मी परियोजना का मुआयना कर चुके हैं, जिसे एचआईवी संक्रमण की दर में कमी लाने वाली एक आदर्श परियोजना के रूप में जाना जाता है। यौनकर्मियों की सक्रिय भागीदारी के कारण बच्चों को इस अनैतिक व्यापार में धकेले जाने से रोकने में भी यह परियोजना कारगर सिद्ध हुई है। इस प्रकार के परिणाम यौनकर्मियों के लिये एक सामर्थ्यवान वातावरण का निर्माण करने वाले उन कार्यक्रमों को और भी शिद्दत से लागू करने की आवश्यकता पर ज़ोर देते हैं।ज़रूरत विकासपरक दृष्टिकोण की है।

सरकार को आईटीपीए के माध्यम से स्वसहायता समूहों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे अनैतिक यौन व्यापार पर नज़र रखें और इस समुदाय को अपने स्वास्थ्य, शिक्षा, आश्रित बच्चों आदि संबंधित आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिये संगठित करें। इस व्यवसाय के पीड़ितों के संरक्षण के लिये विधिवत प्रशिक्षण और क्षमता विकास के साथ-साथ वैधानिक प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है। ❑

आर्थिक संकेतक

संकेतक: वार्षिक	इकाइयां	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (प्रक्षेपित)
जनसंख्या (1 अक्तूबर तक)	करोड़ में	101.9	103.7	105.5	107.3	109.1	110.7	112.2	
जीडीपी वर्तमान बाजार मूल्य पर	करोड़ रुपये	21,02,375	22,81,058	24,58,084	27,65,491	31,26,596	35,67,177	41,25,725	
जीडीपी प्रतिव्यक्ति (वर्तमान मूल्य)	रुपये	20,632	21,976	23,299	25,773	28,684	32,224	36,771	
सकल घरेलू बचत (वर्तमान मूल्य)	जीडीपी प्रति.	23.7	23.5	26.4	29.7	31.1	32.4		
सकल घरेलू पूंजी निर्माण (वर्तमान मूल्य)	जीडीपी प्रति.	24.3	22.9	25.2	28.0	31.5	33.8		
सकल राजकोषीय हानि	जीडीपी प्रति.	5.7	6.2	5.9	4.5	4.0	4.1	3.7	
वर्तमान मूल्य पर जीडीपी एफसी का क्षेत्रवार हिस्सा									
कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र	जीडीपी का %	23.4	23.2	20.9	20.9	18.8	18.3	17.5	
उद्योग	जीडीपी का %	26.2	25.3	26.4	26.1	27.5	27.6	27.9	
सेवा	जीडीपी का %	50.5	51.5	52.7	52.9	53.7	54.1	54.6	
मूल्य (वार्षिक औसत)									
थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूटी 100.00)	अप्रैल 1993=100	155.7	161.3	166.8	175.9	187.2	195.5	206.1	
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - औद्यो. कर्म	जुलाई 2001=100	95.93	100.07	104.05	108.07	112.2	117.2	125.0	
कृषि उत्पादन आम सूचकांक भारत									
खाद्यान्न	मिलि. टन	196.8	212.9	174.8	213.9	198.4	208.6	216.1	217.2
मोटा अनाज	मिलि. टन	185.7	199.5	163.7	198.3	185.2	195.2	201.9	202.6
चावल	मिलि. टन	85.0	93.3	71.8	88.5	83.1	91.8	92.8	91.4
गेहूं	मिलि. टन	69.7	72.8	65.8	72.2	68.6	69.4	74.9	75.6
दालें	मिलि. टन	11.1	13.4	11.1	14.9	13.1	13.4	14.2	14.6
तिलहन	मिलि. टन	18.4	20.7	14.8	25.2	24.4	28.0	23.9	27.0
गन्ना	मिलि. टन	296.0	297.2	287.4	233.9	237.1	281.2	345.3	345.6
उद्योग और ऊर्जा									
औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (मान-100) (वार्षिक औसत)	अप्रैल 1993=100	162.7	167.0	176.6	189.0	204.8	221.5	247.1	
	% परिवर्तन	5.1	2.6	5.8	7.0	8.34	8.2	11.5	
व्यावसायिक ऊर्जा उत्पादन	एमटीओई #	230.9	237.9	246.9	259.2	272.0	281.4		
सार्वजनिक इकाइयों द्वारा ऊर्जा उत्पादन	मिलि. केडब्ल्यूएच	501.2	517.4	532.7	565.1	594.5	617.5	662.5	
विदेश व्यापार									
निर्यात	मिली. अम. डॉलर	44,147	43,958	52,823	63,886	83,502	1,03,075	1,26,246	
आयात	मिली. अम. डॉलर	50,056	51,567	61,533	78,203	1,11,472	1,49,144	1,90,438	
विदेशी मुद्रा भंडार (मार्च अंत)^	मिली. अम. डॉलर	39,554	51,049	71,890	1,07,448	1,35,571	1,45,108	1,91,924	
भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (शुद्ध)	मिली. अम.डॉलर	4,031	6,125	5,036	4,322	5,987	7,661	19,442	
भारत में पोर्टफोलियो निवेश (शुद्ध)	मिली. अम. डॉलर	2,760	2,021	9.79	11,356	9,311	12,494	7,004	
रुपया विनिमय दर	रुपये/अम. डॉलर	45.61	47.55	48.30	45.92	44.95	44.28	45.29	

संकेतक : मासिक मूल्य		अगस्त 06	सित. 06	अक्तू. 06	नव. 06	दिसं. 06	जन. 07	फर. 07	मार्च 07	अप्रैल 07	मई 07	जून 07	जुलाई 07	अगस्त 07	सितं. 07	अक्तू. 07	नवंबर 07	दिसं. 07
थोक मूल्य सूचकांक 1993-94=100		205.3	207.8	208.7	209.1	208.4	208.8	208.9	209.8	211.5	212.3	212.3	213.6	213.8	215.1	215.0	215.5	
(सभी सामग्रियां) परिवर्तन		5.1	5.4	5.5	5.5	5.7	6.4	6.3	6.6	6.3	5.5	4.5	4.7	4.1	3.5	3.0	3.1	
कृषि																		
वास्तविक वर्षा: अखिल भारत	मिलीमीटर	169	44	50	12	2	30	32	27	48	153	259	299	194	75		16	
सामान्य वर्षा से अंतर	प्रतिशत	0	-47	33	-24	-92	32	14	-20	-31	8	0	-2	14	-22		1	
चावल भंडार (केंद्रीय पूल)	मिलि.टन	6.0	12.5	12.1	12.0	12.6	14.0	13.2	13.5	12.6	10.6		6.7					
गेहूं भंडार (केंद्रीय पूल)	मिलि.टन	6.4	6.0	5.6	5.4	5.4	5.1	4.6	11.6	13.3	12.8		10.9					

निवेश (सीएमआईई कैपएक्सडेटाबेस)		मार्च '01	मार्च '02	मार्च '03	मार्च '04	मार्च '05	मार्च '06	मार्च '07	सित. '07
परियोजना निवेश	करोड़ रुपये	14,28,449	15,12,975	14,10,828	15,28,611	19,73,426	28,12,111	44,77,398	51,59,875
	परियोजना की संख्या	4,539	6,108	7,196	9,070	9,822	10,050	12,725	13,832

टिप्पणी: (क), % परिवर्तन वार्षिक आधार पर है; (ख) एमटीओई: मिलियन टन तेल का समतुल्य; (ग) ^ भारत सरकार के पास उपलब्ध विदेशी मुद्रा का कुल मूल्य (स्वर्ण एवं एसडीआर को छोड़कर); (घ) * यह देश में चल रहे सभी चालू पूंजीगत व्यय वाली परियोजनाओं की परियोजना लागत का सकल योग है। ये परियोजनाएं इनमें से किसी भी तीन अवस्थाओं में हो सकती है- घोषित अथवा जिनका क्रियान्वयन किया जा रहा हो।

स्रोत : योजना आयोग में स्थित i^3 (आई क्यूब) सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई)।

यौन दुर्व्यवहार करने वालों के ख़िलाफ कड़ी कार्रवाई की जरूरत

साल की शुरुआत से ही देश के विभिन्न हिस्सों से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और अन्य तरह से यौन उत्पीड़न की घटनाओं की ख़बरों की बाढ़-सी आई हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील का यह कहना सर्वथा उचित है कि बालिकाओं को शारीरिक रूप से मज़बूत और आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए तथा इसके लिये उन्हें शुरू से ही जूडो-कराटे और आत्मरक्षा की अन्य कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने समाज में ऐसी मनोस्थिति बनाने पर भी ज़ोर दिया है जिसमें बालिकाओं को बोझ नहीं बल्कि वरदान समझा जाए और उनके सशक्तीकरण के लिये उन्हें जरूरी प्रशिक्षण दिया जाए। स्त्री-पुरुष की समानता में विश्वास रखने वाला कोई भी समाज राष्ट्रपति के इन विचारों से सहमति जताएगा।

महिलाओं के ख़िलाफ बढ़ते अपराध के मद्देनजर राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील ने कहा है कि महिलाओं को समाज में सुरक्षित माहौल मुहैया कराने के लिये जरूरी है कि छेड़छाड़ और यौन दुर्व्यवहार जैसे अपराधों में शामिल लोगों के ख़िलाफ कड़ी कारवाई की जाए।

राष्ट्रपति ने नयी दिल्ली में छठे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए लड़कियों को आत्मरक्षा के लिये बचपन से ही जूडो-कराटे जैसी शारीरिक शिक्षा मुहैया कराने की भी सलाह दी ताकि वे शारीरिक रूप से मज़बूत हो सकें और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिये अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा कर सकें।

उन्होंने आत्मरक्षा को सबसे अच्छी रक्षा बताते हुए कहा कि उन्हें इस बात की प्रसन्नता है कि भारत में बड़ी संख्या में महिलाएं पुलिस बलों में शामिल हो रही हैं। जिन लोगों को पहले सुरक्षा की जरूरत थी वे अब दूसरों को संरक्षण दे रही हैं। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है।

इस तीन दिवसीय सम्मेलन को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेणुका चौधरी, यूनीफेम की दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय कार्यक्रम निदेशक चांदनी जोशी और दक्षेस के महासचिव लायनपो खेनक्याब दोरजी ने भी संबोधित किया। महिलाओं को शक्ति संपन्न बनाने पर ज़ोर देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि शक्ति संपन्न महिलाएं विकास के साथ-साथ ग़रीबी उन्मूलन के लिये सबसे कारगर हथियार हैं। शिक्षित और अवसर प्राप्त महिलाओं यह साबित किया है कि वे अपने पेशे और कैरियर में ऊंचाइयां हासिल कर सकती हैं।

श्रीमती पाटील ने कहा कि शिक्षित और जागरूक महिलाएं न सिर्फ़ अपने परिवार की अच्छी तरह देखभाल कर सकती हैं बल्कि राष्ट्र को प्रगतिशील बना सकती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और समाज को यह सुनिश्चित करने के लिये मिलजुल कर काम करने की जरूरत है कि महिलाएं समाज और देश के विकास के हर पहलू में बराबर की साझीदार के रूप में शामिल हो सकें और साथ ही उन्हें पूरा न्याय मिले। महिलाओं को शक्ति संपन्न बनाने के लिये कानून एवं नीतियों को तेज़ी से लागू करना समय का तकाज़ा है। महिलाओं के बीच कल्याण एवं विकास को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के बारे में अक्सर जानकारी का अभाव रहता है जिससे महिलाएं इनका लाभ नहीं उठा पातीं। उन्होंने कहा कि इसमें सुधार लाने की जरूरत है और इसे व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर ही हासिल किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि 1995 में पेइचिंग में महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन का आयोजन हुआ था जिसमें 189 देशों के नेताओं ने महिलाओं को समानता और लैंगिक न्याय देने का वादा किया था। इस सम्मेलन में इस बारे में एक वैश्विक कार्ययोजना को भी अंतिम रूप दिया गया था। मौजूदा सम्मेलन में उस बारे में सदस्य देशों में क्या प्रगति हुई है इसका आकलन करने का प्रयास भी किया गया।

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेणुका चौधरी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए महिलाओं से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर दक्षिण एशियाई क्षेत्र के सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। इस मौके पर दक्षेस के महासचिव दोरजी ने दक्षेस लैंगिक डेटाबेस भी जारी किया। सम्मेलन में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। ❑

(योजना संपादकीय टीम द्वारा संकलित)

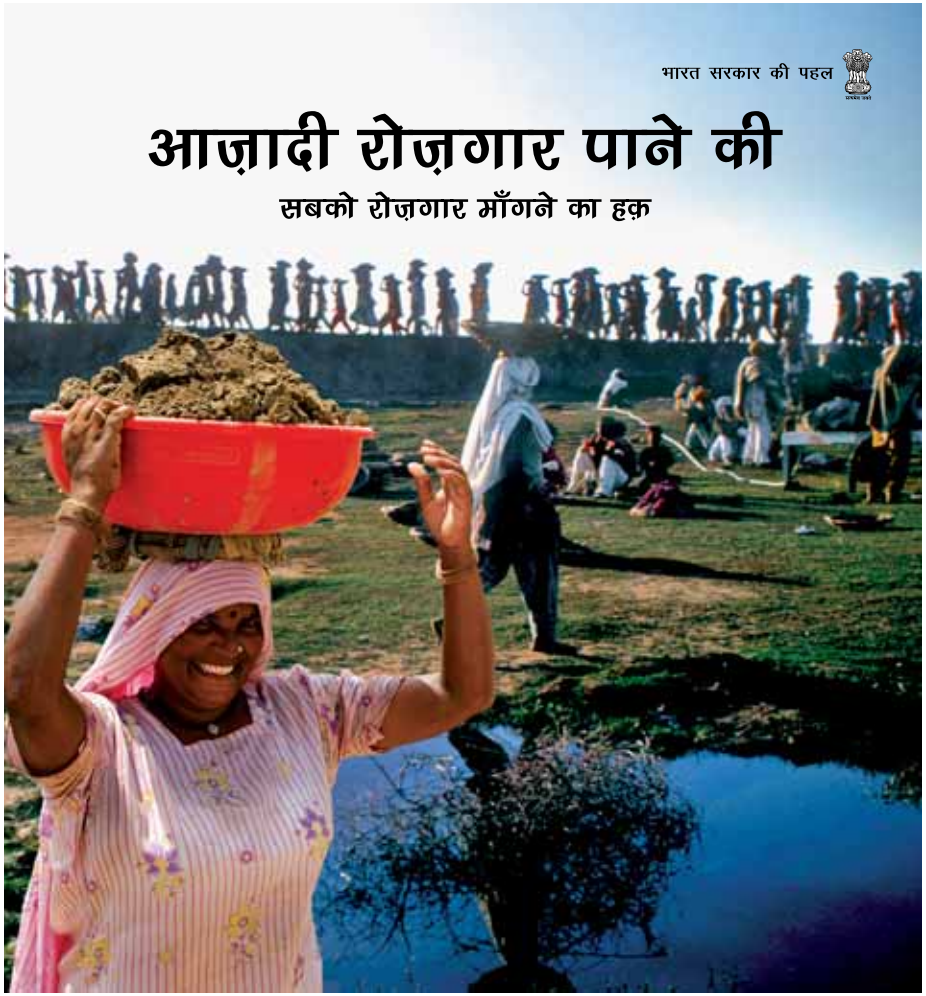

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम से हो रहा है भारत का निर्माण

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम

▶ 2006–07 में 2.1 करोड़ परिवारों को रोज़गार ▶ 8.35 लाख कार्य लिए गए ▶ 60% से भी ज़्यादा लाभार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं ▶ अभी भारत के 330 जिलों में, अप्रैल 1, 2008 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सभी शेष ज़िलों में लागू

भारत निर्माण
चलें नयी आज़ादी की ओर

YH-2/08/5

भारत निर्माण | राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम | सर्व शिक्षा अभियान | राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

davp 22201/13/0180/0708

भारत में मानव तस्करी आयाम, चुनौतियां और प्रतिक्रियाएं

● किरण बेदी
पी.एम. नायर

सुश्री मोना (परिवर्तित नाम) 15 वर्ष की बालिका है। 13 वर्ष की आयु में उसकी मां का देहांत हो गया और पिता ने दुबारा शादी कर ली। मोना की दूसरी मां के साथ नहीं पटी। वह उसे किसी काम पर लगा देने के जुगाड़ में थी ताकि वह अपना ख़र्च खुद उठा सके। तभी उन्हें एक ठेकेदार मिला जो कम उम्र की लड़कियों को घरेलू नौकरानी के काम पर लगाता था। उस ठेकेदार ने कुछ पैसे दिए और मोना को उसके शहर से बाहर ले गया। उसने मोना को एक मालिशघर में रिसेप्शनिस्ट रखवा दिया। इसके पहले कि मोना अपना काम समझ पाती, उसे लगा कि उसे वेश्यावृत्ति में फंसा दिया गया है और वह ग्राहकों की दासी बन गई है। चार महीने बाद पुलिस का छापा पड़ा और मोना वेश्यावृत्ति के आरोप में गिरफ़्तार कर ली गई। उसे आरोपपत्र दिया गया और जुर्माना कर दिया गया। जुर्माना मालिशघर के मालिक ने भरा। वह वहीं लौटी। उसे बताया गया कि जुर्माना, वकील और परिवहन ख़र्च के कारण उस पर कर्ज़ चढ़ गया है। उसे कहा गया कि कर्ज़ उतारने के लिये अब उसे ज़्यादा ग्राहकों की सेवा करनी पड़ेगी। मोना के सामने कोई चारा न था। लेकिन जल्दी ही एक गैरसरकारी संगठन के सहयोग से एक और पुलिस छापा पड़ा। मोना के पुनर्वास की व्यवस्था हो चुकी है और अब वह वेश्यावृत्ति की रोकथाम में पुलिस की मदद करने वाली तेज़-तर्रार कार्यकर्ता बन गई है।

मोना कोई अपवाद नहीं है। उसकी तरह की लाखों बालिकाएं और बच्चे वेश्यावृत्ति में लगा दिए गए हैं और उनका शोषण किया जा रहा है। मोना का मामला वेश्यावृत्ति के गोरखधंधे का एक अनूठा उदाहरण है। वेश्यावृत्ति में मासूम लोगों को ढकेलना मानवाधिकारों और मानव गरिमा का गंभीर उल्लंघन है। इस जघन्य कृत्य को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है: (क) पैसे के लिये यौन शोषण; (ख) मज़दूरी कराने के लिये शोषण और; (ग) अन्य रूपों में जैसे- अंगों की तस्करी, ऊंट जॉकिंग आदि। व्यावसायिक यौनकर्म किसी पार्लर की आड़ में कराया जाता है। हाल में जिन इलाकों में स्त्रियों की कमी है, वहां 'मैरिज ब्यूरो' खुल गए हैं जो शादी कराने के बहाने शोषण करते हैं। मज़दूरी कराने के लिये श्रम दुरुपयोग उद्योग, खेती, घरेलू काम, मनोरंजन उद्योग आदि में होता है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों का शोषण शामिल है।

वेश्यावृत्ति निवारण का काम द्वि-आयामी है। एक है मांग का गुणक और दूसरा है इस कृत्य के शिकार हुए या हो सकने वाले लोगों की परिस्थितियां। इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि वेश्यावृत्ति मांग आधारित बुराई है। जितनी ज्यादा मांग होगी उतने ही अधिक अपराध होंगे। इस काम में ढकेले जाने वाले व्यक्ति की परिस्थितियां भी इसके अन्य आयाम हैं। परिस्थितियां हर मामले में ग़रीबी ही नहीं होती। यह कई कारकों का मिलाजुला परिणाम होती हैं। अधिकारों के प्रति अज्ञान, अशिक्षा, आय में विषमता, व्यक्ति के शोषण की गुंजाइश, कमज़ोर कानून, जन- जागरुकता की कमी और अधिकारों के उल्लंघन पर

चुप्पी साधे रहने की प्रवृत्ति इनमें शामिल हैं।

भारतीय संविधान की धारा 23 हर प्रकार की वेश्यावृत्ति का निषेध करती है। इसके अनुरूप अनैतिक वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम (आईटीपीए), बंधुआ श्रम उन्मूलन अधिनियम, बाल अपराध न्याय अधिनियम आदि जैसे विशेष कानून और गोवा बाल कानून जैसे स्थानीय अधिनियम बने हुए हैं।

भारतीय दंड संहिता में भी कई धाराएं शामिल हैं। भारत सरकार विशेष कदम उठा कर आईटीपीए में संशोधन कर रही है ताकि अपराधियों को इसकी सख़्त व्यवस्थाओं के तहत दंडित किया जा सके।

परंपरागत दृष्टिकोण से देखने पर कानून परिपालन प्रावधानों के परिदृश्य से निराशा होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 2002-04 में एक अनुसंधान (भारत में महिलाओं और बच्चों में वेश्यावृत्ति) करवाया जिसके अनुसार मौजूदा कानून परिपालन क्षेत्र में निम्नलिखित खास बातें दिखाई दीं :

- **प्राथमिकता की कमी :** कानून परिपालन संस्थाएं और न्याय देने वाली एजेंसियां इस मुद्दे से जुड़े मामलों को बहुत निचली प्राथमिकता देती हैं अथवा कोई प्राथमिकता ही नहीं देतीं।
- **संवेदनहीनता :** मानव तस्करी के मामलों में संवेदनशीलता की कमी एक बड़ी चुनौती है। यह अधिकांशतः दृष्टिकोण से जुड़ा मुद्दा है।
- **पीड़ित का उत्पीड़न :** अनेक मामलों में पीड़ित महिला को ही यह कह कर सजा दी गई कि वह ग्राहक पटा रही थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्ययन के अनुसार गिरफ़्तारी के मामलों में 85 से 90 प्रतिशत स्त्रियां होती हैं और अधिकांशतः मानव तस्करी की शिकार होती हैं।
- **अनुपयुक्त छानबीन :** छानबीन ज्यादातर मौका-ए-वारदात तक सीमित रखी जाती है जबकि तस्करी का अपराध क्षेत्र काफी विस्तृत होता है और यह स्रोत से आवागमन क्षेत्र तक होता हुआ गंतव्य तक फैला होता है। अनेक मामलों में पीड़ित का पक्ष नहीं सुना जाता।
- **छानबीन में संगठित अपराध की संभावना का ध्यान न रखना :** छानबीन का दायरा मौका-ए-वारदात पर मिले लोगों तक सीमित रखा जाता है जबकि मानव तस्करी में भर्ती करने वाले, सवारी ढोने वाले, दलाल, शरण देने वाले, शोषक, षड्यंत्रकारी, शह देने वाले जैसे अनेक लोग शामिल होते हैं। मानव तस्करी संगठित अपराध है और इसके बारे में हर प्रकार की खुफिया जानकारी एक-दूसरे को देने और सभी संपर्कों की गहराई से छानबीन करने की ज़रूरत होती है।
- **आंकड़े :** कानून परिपालन में एक कमी यह है कि मानव तस्करों और शोषण करने वालों के बारे में आंकड़े और जानकारी नहीं रखी जाती। निवारण कार्य में लगे लोग और एजेंसियां आपस में जानकारी नहीं बांटते इसलिये अपराधी निडर होकर घूमते रहते हैं।
- **परस्पर सहयोग की कमी :** मानव तस्करी रोकने संबंधी विभाग जैसे पुलिस, कल्याण, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विभाग आदि में तालमेल होना चाहिए। समन्वय का अभाव एक बड़ी ख़ामी है।
- **गैरसरकारी संगठनों के साथ समन्वय की कमी :** आइटीपीए और श्रम कानूनों में स्वयंसेवी संगठनों की विशिष्ट भूमिका की बात कही गई है। लेकिन दोनों के बीच समन्वय की कोई संस्थागत व्यवस्था नहीं है। दोनों अलग-अलग काम करते हैं और अपवादस्वरूप ही दोनों में सहयोग होता है। इस विषय पर सम्मेलन हुए हैं और चर्चाएं हुईं हैं। लेकिन व्यावहारिक परिणाम सामने नहीं आए हैं जबकि ऐसा होना बहुत ज़रूरी है।
- **सराहना की कमी :** मानव तस्करी रोकने में पुलिस, अनुसंधानकर्ताओं, एनजीओ आदि ने अक्सर अच्छा काम किया है। लेकिन इनकी कोई सराहना नहीं हुई है अतः किसी को इनके बारे में पता ही नहीं चला है। अक्सर बुरी ख़बर अच्छी ख़बर बनती है लेकिन अच्छे काम पर मीडिया ध्यान नहीं देता।
- **पुनर्वास को महत्व न देना :** यह एक बड़ी चुनौती है जिसके कारण पीड़ित का उत्पीड़न संभव होता है और वह फिर से मानव तस्करी का शिकार हो जाता है। इस तथ्य के बावजूद कि अनेक संगठनों के पास सामाजिक सुरक्षा की रकम पड़ी हुई है, कानून परिपालन एजेंसियों के साथ सहयोग के अभाव के कारण इन संसाधनों को तस्करी के शिकार लोगों के कल्याण पर नहीं लगाया जाता।

लेकिन अब आगे का परिदृश्य निश्चय ही बेहतर और आशाजनक है। देशभर में व्यापक और कारगर तरीके से मानव तस्करी की रोकथाम के लिये अनेक पहल की गईं हैं। इनमें से कुछ पहल उन व्यक्तियों द्वारा की गई हैं जो इस काम के प्रति समर्पित हैं और उनके प्रयास से इन प्रस्तावों को संस्थागत रूप दिया जा रहा है। हक़ीक़त यह है कि चालू सदी के पहले 6 वर्षों में मानव तस्करी के खिलाफ़ जागरुकता बढ़ा है। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहले तो इसका श्रेय उन गैरसरकारी संगठनों को जाना चाहिए जिन्होंने कोशिश करके इस समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। दूसरे, अनेक अधिकारियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने मानव तस्करी विरोधी काम में नेतृत्व किया और अच्छे परिणाम प्राप्त किए। संयुक्त राष्ट्र के मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी) ने कानून परिपालन एजेंसियों के मार्गदर्शन के लिये एक अनुकरणीय व्यवहार संग्रह प्रकाशित किया है। एक गैरसरकारी संगठन ने भी ऐसा ही प्रकाशन निकाला है। इन दस्तावेज़ों में दिखाया गया है कि मानव तस्करी मुद्दे पर देश के संबद्ध लोगों को क्या करना चाहिए। संक्षेप में कुछ सुझाव नीचे दिए जा रहे हैं :

अधिक जागरुकता

मानव तस्करी विरोधी मुहिम में राष्ट्रीय स्तर पर तेज़ी आई है। इसमें अनेक हितधारक व्यक्ति और संस्थाएं शामिल हैं जैसे- मीडिया, कारपोरेट संस्थाएं, कानून का परिपालन कराने वाली सरकारी संस्थाएं, मानवाधिकार संगठन, उद्योग समूह, विशिष्ट व्यक्ति, राजनीतिक नेता आदि। यूएनओडीसी द्वारा शुरू की गई मानव तस्करी की रोकथाम के लिये अंतरराष्ट्रीय पहल इसका एक शानदार उदाहरण है। इसका एक सम्मेलन अक्तूबर 2007 में दिल्ली में आयोजित किया गया जिससे बड़े पैमाने पर जनजागृति आई और लोगों में यह विश्वास बढ़ा कि मानव तस्करी विरोधी अभियान से सबके सरोकार जुड़े हैं।

सहयोग

उक्त सम्मेलन में इस मुद्दे से जुड़े अनेक लोग एकमत हुए और सबने इसके लिये सहयोग और समन्वय के साथ काम करने का निश्चय किया। यह ऐसी वचनबद्धता है कि मानव तस्करी विरोधी अभियान से सबको जुड़ना चाहिए। इस अभियान में हर एक को अपनी भूमिका निभानी है और सब लोग मिलकर श्रेष्ठ परिणाम सुनिश्चित कर सकते हैं जिससे मानव तस्करी की रोकथाम हो सकती है।

समग्र दृष्टिकोण

इस विषय पर मिल कर काम करने वाली अनेक संस्थाएं निवारण, संरक्षण और अपराधियों को दंडित कराने के काम में लगी हैं। ये इस सम्मेलन में शामिल हुईं जो एक खास बात थी। एनजीओ की तरह जहां पुलिस इन मामलों के पीड़ितों को छुड़ाती है वहीं अन्य सरकारी विभाग पीड़ितों को अंतरिम सहायता देने पहुंच जाते हैं। छुड़ाने के बाद का सहायता कार्य गैरसरकारी संगठन संभाल लेते हैं और सरकारी एजेंसियां और उद्योग समूह इनका साथ देते हैं। अनेक स्थानों पर इस प्रकार का सद्भाव देखा गया है और इस प्रकार समग्र दृष्टिकोण को संस्थागत रूप दिया जा रहा है।

कार्रवाई में सहयोग

भारत सरकार, राज्य सरकार की एजेंसियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से यूएनओडीसी ने कई राज्यों में मानव तस्करी विरोधी यूनिटें गठित की हैं। यह एक विशेष कार्यबल होता है जो पुलिस के अधीन काम करता है यह अपने काम में चुनिंदा पुलिस अधिकारियों, एनजीओ और अन्य का सहयोग लेता है। यूएनओडीसी ने इन अधिकारियों को विषय ज्ञान, दृष्टिकोण उन्मुख करने में प्रशिक्षण और संसाधन दिया है। उपभोक्ताओं के लिये आसान नियम पुस्तिकाएं, हैंडबुक और प्रोटोकॉल भी तैयार किए गए हैं और उन्हें उपलब्ध कराए गए हैं। यूएनओडीसी ने इन यूनिटों को वाहन, सेलफोन, कंप्यूटर और ख़र्च की रक़म भी दी है। ये यूनिटें कानून के परिपालन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उदाहरण के तौर पर आंध्र प्रदेश में इन यूनिटों ने 700 से ज्यादा लोगों को छुड़ाया है जिनमें से 100 से अधिक 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं। उन्होंने 1,000 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ़्तार करवाया है जिनमें से 300 ग्राहक थे। चार अपराधियों को सजा दिलाई जा चुकी है और 8 होटलों को अपराधी पाए जाने पर बंद करा दिया गया। छुड़ाए गए पीड़ितों की सरकारी विभागों और गैरसरकारी संगठनों और उद्योग समूहों ने तुरंत मदद की। व्यावहारिक सहयोग और समन्वय के जरिये शानदार परिणाम देखने को मिले हैं।

मानव तस्करी विरोधी अभियान ऐसा विषय है जिसका सरोकार सभी मानवाधिकार प्रेमियों से है। इसके बारे में हरेक कुछ न कुछ कर सकता है और करना चाहिए। यह सभी से संबंधित विषय है। सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति या तो समस्या का अंग है अथवा समाधान का। इस संबंध में कोई तीसरा विकल्प नहीं है। इसलिये इस समस्या के समाधान के लिये किए जा रहे अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में हर समर्पित व्यक्ति को शामिल होकर योगदान करना चाहिए। हम सब मिलकर और एकजुट होकर यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि मोना जैसी बालिकाएं घर और समाज में सुरक्षित रह सकें और हम सबकी तरह गरिमा के साथ जीवन बिता सकें। ❑

(डॉ. किरण बेदी भारतीय पुलिस सेवा की पहली महिला अधिकारी रह चुकी हैं।
ई-मेल: kiranbedi.2005@yahoo.co.in
डॉ. पी.एम. नायर, नयी दिल्ली स्थित यूएनओडीसी में परियोजना समन्वयक हैं।
ई-मेल: pm.nair@unodc.org)

क्या वेश्यावृत्ति को कानूनसम्मत बना देना चाहिए

● मधु किश्वर

अब जबकि संसद में अधिनियम में संशोधन विधेयक पेश किए जाने की संभावना है, इस बात पर भावुकतापूर्ण बहस शुरू हो गई है कि क्या वेश्यावृत्ति को कानून बनाकर विधिसम्मत बना देना चाहिए। पिछले डेढ़ दशकों के दौरान देश-विदेश में इस मुद्दे पर हो रही बहस की प्रकृति और विषयवस्तु में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला है।

1990 के शुरू तक नारीवादी समूह और यौनकर्मियों के अधिकारों की रक्षा में सक्रिय व्यक्ति तर्क देते थे- वेश्याओं को दंडित करने के कानून में महिलाओं को सजा दी जाती है लेकिन उनकी ग़रीबी और मज़बूरी का फायदा उठाने वाले उन लोगों को साफ़ छोड़ दिया जाता है जो ग्राहकों के रूप में उनके पास जाते हैं। अनेक लोगों ने मांग की है वेश्याओं के ग्राहकों और उनके लिये काम करने वाले दलालों को भी सख़्त सजा मिलनी चाहिए।

इस प्रकार की मुहिम चलाने वालों तथा प्रगतिशील फिल्मों (उदाहरणार्थ- *साधना, प्यासा* और *चमेली*) तथा साहित्य (जैसे- मंटो और प्रेमचंद की कहानियां) में यौनकर्मियों को पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियों द्वारा सताई गई स्त्रियों के रूप में चित्रित किया गया है जो सामाजिक सहानुभूति की हक़दार हैं, अपराधी मानकर दंड की पात्र नहीं।

लेकिन जब तक हमारे कानून निर्माताओं तक ये विचार पहुंचे और उन्होंने ग्राहकों, दलालों और वेश्याओं की आय पर निर्भर लोगों को दंडित करने का कानून बनाने का विचार किया, निम्नलिखित कारणवश इस विषय की ज़मीनी हक़ीक़त और बहस में बहुत परिवर्तन आ गया।

सभ्य समाज वाले देशों में एड्स के आतंक ने अरबों डॉलर, पौंड और यूरो तथा अन्य संसाधनों को 'सुरक्षित सेक्स' अभियान में खर्च करा दिया। इसके अंतर्गत वेश्यावृत्ति में लगे लोगों में कंडोम के प्रयोग पर विशेष ध्यान दिया गया। राजकुमार चार्ल्स, बिल गेट्स प्रतिष्ठान, रिचर्ड गेर जैसे हालीवुड स्टार, अनेक पश्चिमी सरकारों और दानदाता संस्थाओं ने वेश्यावृत्ति को कानूनसम्मत बनाने का अभियान शुरू कर दिया है। इनमें से अनेक यौनकर्मियों के अधिकारों की रक्षा के लिये उन्हें संगठित करने के अभियान चला रहे हैं क्योंकि उनका विचार है कि ऐसा करके ही कंडोम के इस्तेमाल, एचआईवी परीक्षण सहित उनकी स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रिया को वेश्याओं, उनके बच्चों और ग्राहकों में लोकप्रिय बनाया जा सकता है।

पहले गिरफ़्तार किए जाने पर लालची वकील वेश्याओं को जमानत पर छुड़ाते थे। आज देश के अनेक गिनेचुने वकील एचआईवी के जागरुकता अभियान में शामिल हैं और वेश्याओं के अधिकारों के रक्षक बन गए हैं। उनका कहना है कि चकलाघरों पर पुलिस छापों के समय वेश्याओं को छुड़ाने का पुराना रवैया या फिर नकली ग्राहक भेजकर यौनकर्मियों को पकड़ने का पुलिसिया तरीक़ा ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा करने से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां खुले तौर पर काम करने की जगह भूमिगत हो जाती हैं और सरकार या गैरसरकारी संगठनों के लिये इनके लिये कल्याण कार्यक्रम चलाना मुश्किल हो जाता है जिससे एड्स की रोकथाम और 'सुरक्षित सेक्स' जैसे अभियान विफल हो जाते हैं। उनकी यह भी दलील है कि 'छुड़ाने और पकड़ने' की कार्यनीति इसलिये भी गलत है क्योंकि इसके कारण यौनकर्मियों के अपनी जीविका अर्जित करने के तौर-तरीके चुनने के अधिकार का उल्लंघन होता है। अब भी अनेक लोग कहते हैं यौनकर्मियों ग़रीबी या फिर परिस्थितिवश इस काम में फंस जाते हैं। अनेक लोगों की यह भी राय है कि अन्य लोगों की तरह सेक्स वर्कर्स को भी व्यवसाय चुनने की आज़ादी मिलनी चाहिए। उनका तर्क है कि किसी ग्राहक को कुछ समय के लिये अपना शरीर सौंप देना बिल्कुल वैसा ही काम है जैसे किसी डॉक्टर, शिक्षक अथवा वास्तुकार का मासिक वेतन पर अपनी बौद्धिक क्षमता को नियोक्ता के हवाले कर देना। इसलिये उनकी मांग है कि सेक्स वर्कर्स के काम को भी कानूनसम्मत कर देना चाहिए और अन्य व्यवसायों के समान ही इसे सम्मान दिया जाना चाहिए। अनेक लोग इस विचार को ग़लत ठहराते हैं कि इस पेशे में लगी अधिकांश (86 प्रतिशत से अधिक) स्त्रियां जबरन, छल-फरेब से अथवा ग़रीबी के कारण या फिर जीविका का कोई अन्य साधन न मिलने पर इस धंधे में आती हैं। इसीलिये कहा जाता है कि यौनकर्मियों के पेशे के चुनाव का सम्मान किया जाना चाहिए और उन्हें दया या उपेक्षा का पात्र नहीं मानना चाहिए। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ख्याति के लोगों और शिक्षित मध्यमवर्गीय व्यावसायिकों के समर्थन से इन यौनकर्मियों को एक नया मंच मिल गया है जहां वे नये आत्मविश्वास के साथ अपने विचार सामने रखते हैं। वे निःसंकोच कहते हैं कि वे अपनी इच्छा और पसंद के कारण इस पेशे में आए हैं और उन्हें भी अपना काम करने का अवसर दिया जाना चाहिए। अनेक उच्चस्तरीय कार्यकर्ताओं का उन्हें समर्थन प्राप्त है और अनेक वकीलों ने वेश्यावृत्ति उन्मूलन कानून में संशोधन के प्रस्ताव के विरोध में अभियान शुरू कर दिया है। वे यौनकर्मियों के ग्राहकों अथवा वेश्याओं और दलालों को दंडित करने का विरोध करते हैं।

उनकी अनेक पुख्ता दलीलें इस बात के पक्ष में हैं जो निम्न हैं:

- ग्राहकों को निशाना बनाकर सरकार इन यौनकर्मियों के व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता को निशाना बना रही है।
- कोई ग्राहक स्वेच्छा से काम करने वाली अथवा मज़बूरी में या जबरदस्ती पेशे में लाई गई वेश्या में कैसे भेद करेगा? यही नहीं, एक बार इस धंधे में शामिल हो जाने के बाद अनेक स्त्रियां इसे ही अपना एकमात्र विकल्प मान लेती हैं। इस प्रकार कानून में संशोधन लाकर अधिक लोगों को दंडित करने की संभावना के कारण इस पेशे के प्रति रवैये में कोई उदारता नहीं आएगी। 18 वर्ष से कम आयु वालों के अलावा अनेक बच्चे अपने बुजुर्ग माता-पिता और अन्य आश्रितों का भरणपोषण भी करते हैं। कानून में संशोधन से ये सब पुलिस के शिकार बन जाएंगे।
- वेश्याओं की धरपकड़ अधिकांशतः बनावटी कवायद होती है ताकि पुलिस का डर बरकरार रहे और वेश्याएं और दलाल रिश्वत देने की जुर्रत न करें। हक़ीक़त यह होती है कि ज्यादातर अड्डे और उससे जुड़े लोग पुलिस के संरक्षण में काम करते हैं या फिर उनके साथ सांठ-गांठ रखते हैं और आमदनी का अच्छा-खासा हिस्सा उन्हें पुलिस की जेब में डालना पड़ता है। छापे का निहितार्थ है पुलिस को चढ़ाई जाने वाली ज्यादा भेंट और जमानत आदि में होने वाला ख़र्च, वकीलों का ख़र्च और सालों-साल चलने वाले मुक़दमों के पीछे भागने में पैसे और समय की बर्बादी। पुलिसिया कार्रवाई इस धंधे को रोकने में नाकाम रही है। इसके कारण यौनकर्मियों की असुरक्षा बढ़ी है, भ्रष्टाचार को नये आयाम मिले हैं और इस धंधे में पुलिस का निहित स्वार्थ बन गया है। जितना ही यह काम फलता-फूलता है, उतनी ही पुलिस की आमदनी बढ़ती है। इसीलिये सख़्त कानून से पुलिस का आतंक बढ़ेगा, यह धंधा खत्म नहीं होगा। पुलिस की दलालों के साथ मिलीभगत से उन स्त्रियों का उद्धार और मुश्किल हो जाएगा जिन्हें जबरन इस धंधे में धकेला गया है और जो इस नर्क से निकलना चाहती हैं।

लेकिन वेश्यावृत्ति को कानूनसम्मत बनाने और इस काम को अन्य व्यवसायों की तरह सम्मान देने की वकालत करने वालों को भी कई सवालों के जबाव देने होंगे :

- वेश्यावृत्ति को कानूनसम्मत बनाने के निहितार्थ क्या हैं? क्या इससे किसी यौनकर्मी को कहीं भी अपना अड्डा खोलने और उसे प्रचारित करने का अधिकार मिल जाएगा? क्या इसका मतलब यह है कि वेश्याओं की सप्लाई करने वाले कहीं भी दफ़्तर खोल कर बैठ सकेंगे और किसी डॉक्टर की तरह घर के बाहर होर्डिंग लगा सकेंगे कि यहां यौनकर्मी की सेवाएं उपलब्ध हैं?
- सेक्स व्यापार के साथ अधिकांशतः हिंसा और अनैतिकता के कार्य संबद्ध हैं और ज्यादातर आपराधिक तत्वों के साथ इनकी मिलीभगत होती है। जिन देशों में वेश्यावृत्ति जायज़ है वहां भी यही स्थिति

है। अगर कोई दलाल पड़ोस में चकलाघर खोलता है तो पड़ोसियों की सुरक्षा ख़तरे में पड़ती है। जो लोग सेक्स वर्कर्स के हमदर्द हैं, क्या वे अपने पड़ोस में उन्हें अड्डे खोलने देंगे? हममें से कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को ऐसे माहौल में पलने की इज़ाज़त देंगे जहां किसी महिला द्वारा वेश्यावृत्ति अपनाना पूर्णत: विधिसम्मत व्यवसाय है?

- अगर देश के अधिकांश लोगों को पड़ोस में वेश्यावृत्ति का अड्डा खुलना पसंद नहीं है तो कानूनसम्मत वेश्यावृत्ति का एकमात्र तरीक़ा यह होगा कि उन्हें निर्धारित इलाकों (रेडलाइट एरिया) में ही काम करने की अनुमति दी जाए। इसमें यौनकर्मी व्यक्तिगत लाइसेंस अथवा चकलाघर का लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। लेकिन सभी सेक्स वर्कर इन निर्धारित इलाकों में रहना पसंद नहीं करेंगे। ऊंचे समाज की धंधे में लिप्त अधिकांश महिलाएं जो सम्मानपूर्ण जीवन भी चाहती हैं, छिपकर यह काम करना चाहती हैं। इस धंधे में लगे ज़्यादातर व्यक्ति दलाल या सप्लायर के नाम से पुकारा जाना पसंद नहीं करेंगे। कानून इन लोगों से कैसे निपटेगा? वेश्यावृत्ति को कानूनसम्मत व्यवसाय का दर्ज़ा मिल जाने के बाद क्या कोई अपने पड़ोस के किसी उस व्यक्ति को 'रेडलाइट एरिया' भेजने की मांग कर सकेगा जो वेश्यावृत्ति का अड्डा चलाता है? क्या इसके कारण पड़ोसी नागरिकों को सिर्फ़ इसलिये तक़लीफ उठानी होगी कि वेश्यावृत्ति को अन्य व्यवसायों की तरह सम्मानपूर्ण हैसियत प्रदान कर दी गई है और इस कारण उनका जीवन ख़तरे में रहेगा?
- जो सेक्स वर्करों को सम्मानपूर्ण दर्ज़ा दिलाने के हिमायती हैं उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि वेश्याओं, दलालों और उनके सहायकों को 'सम्मान' दिलाना किसका कर्तव्य होगा? क्या सरकार से उम्मीद की जाती है कि वह ऐसा कानून बनाए जिससे लोग वेश्यावृत्ति में लिप्त होने से न हिचकिचाएं? क्या यह उसी तरह का कानून हो जैसा अस्पृश्यता निवारण के लिये बनाया गया है? उन लोगों के साथ, जिन्हें कभी अस्पृश्य माना जाता था, घुलमिलकर और खा-पीकर कोई भी साबित कर सकता है कि वह छुआछूत में विश्वास नहीं करता, लेकिन वेश्याओं के प्रति अपना सम्मान कोई कैसे प्रकट करेगा? क्या इसके लिये हमें अपने बच्चों को यौनकर्मियों के बच्चों के साथ घुलने-मिलने के लिये भेजना चाहिए? या फिर सामाजिक समारोह आयोजित करके अत्यधिक सफल वेश्याओं को सम्मानित किया जाए?
- उन लोगों को सम्मान का पात्र माना जाता है जो अपने ग्राहकों के सम्मान के पात्र होते हैं। उदाहरणार्थ, चिकित्सकों को सम्मान का पात्र समझा जाता है क्योंकि उनके मरीज उन्हें जीवनरक्षक मानते हैं, लेकिन जो डॉक्टर शोषक बन जाते हैं अथवा अनैतिक कार्य करते हैं, उन्हें सम्मान का हक़दार नहीं समझा जाता। ऑस्ट्रेलिया अथवा इंग्लैंड में पुलिस सम्मान के पात्र हैं परंतु भारत में पुलिस बल से लोग डरते हैं और भ्रष्टाचार तथा अनैतिक व्यवहार के कारण लोग उनसे नफ़रत करते हैं। हालांकि अनेक पुलिस अधिकारी अपनी सत्यनिष्ठा के कारण सम्मान के पात्र होते हैं।

जहां तक वेश्यावृत्ति का प्रश्न है, दुनियाभर में इस धंधे को अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि जो वेश्याओं के ग्राहक हैं, वे भी उन्हें सम्माननीय नहीं मानते। अनेक ग्राहक वेश्याओं की सेवाओं के लाभार्थी होने के कारण खुद को भी अच्छा व्यक्ति नहीं मानते हालांकि इन सेवाओं को वे पैसे ख़र्च करके प्राप्त करते हैं। अगर वेश्याएं अपने ग्राहकों का भी सम्मान नहीं प्राप्त कर सकतीं, तो शेष समाज की सम्मानभाजन वे कैसे बन पाएंगी?

- कहा जाता है कि नारीवादियों को तो महिलाओं को सम्मान करने के कारण वेश्याओं को इज्ज़त देनी ही चाहिए क्योंकि कोई उन्हें नारीवादी बनने को मज़बूर नहीं करता। अगर नारीवाद का मतलब है स्त्रियों की हर पसंद का सम्मान करना तो फिर वे उन स्त्रियों की इज्ज़त क्यों नहीं करते जो सती मंदिरों में पूजा करती हैं या फिर खानदान की इज्ज़त की ख़ातिर गुलामी और आत्मत्याग में बंध कर रह जाती हैं? हम उन स्त्रियों की इच्छा का सम्मान क्यों नहीं करते जो पुत्रियों की बजाय पुत्रों की माता बनने के लिये कन्या भ्रूण का गर्भपात करा देती हैं?

यह सोचना अपने आपको मूर्ख बनाना होगा कि शरीर का सौदा करने वाली अधिकांश औरतें ठीक उसी तरह अपनी सेवाओं का मूल्य वसूलती हैं जैसे कोई डॉक्टर शुल्क के बदले सेवा देता है। अधिकांश महिलाएं ग़रीबी की मज़बूरी अथवा पारिवारिक परिस्थितियों के चलते इस धंधे में गिरती हैं। जिन देशों में वेश्यावृत्ति कानूनसम्मत है वहां भी वेश्याओं को सम्मान प्राप्त नहीं है। इन देशों में भी वेश्या के साथ दासियों जैसे अमानवीय व्यवहार की बुराई मौजूद है। इसीलिये किसी देश की व्यवस्था की नकल करके इस समस्या को नहीं सुलझाया जा सकता। ❑

(लेखिका स्त्री-मामलों पर लिखती हैं और *मानुषी* की संपादक हैं।
ई-मेल : editor@manushi-india.org)

वेश्यावृत्ति की रोकथाम और महिला मानवाधिकार

● रत्ना कपूर

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में अनैतिक वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों को और विचार-विमर्श के लिये समिति को लौटाया है। इसे खासतौर से उस प्रावधान पर विचार करने के लिये वापस किया गया है जिसमें यौनकर्मियों के ग्राहकों को दंड देने की व्यवस्था है। इस संशोधन की शुरुआती मंशा यह थी कि वेश्यावृत्ति की बढ़ती प्रवृत्ति को रोका जाए। लेकिन सेक्स के धंधे में लगी औरतों की संख्या कम करने के प्रत्यक्ष परिणाम की प्राप्ति की कोशिश वाले इस प्रस्ताव से वेश्यावृत्ति में फंसी औरतों का और नुक़सान हो सकता है, भले ही इसका उद्देश्य उनकी हालत में सुधार लाना हो।

प्रस्तावित संशोधनों में कई ख़ामियां मौजूद हैं। उनके अनुसार, यौनकर्मी शोषित किए जाने वाले व्यक्ति हैं और संशोधन के बाद पुलिस उनके ग्राहकों पर यौन सेवाओं के लिये मोल-तोल करने का आरोप लगा सकेगी। यदि ग्राहक सेक्स वर्कर को पैसा दे या उपहार दे तो भी नये संशोधनों के अंतर्गत ग्राहकों को आरोपित किया जा सकेगा। निहितार्थ यह कि यौनकर्मी को इस कानून से बचने के लिये अपनी सेवा मुफ़्त देनी होगी। अगर ग्राहक ने वेश्यावृत्ति में ढकेली गई स्त्री के साथ सहवास किया तो ग्राहक को वेश्यावृत्ति के लिये मज़बूर करने वाला माना जाएगा। इस प्रावधान के चलते सभी ग्राहकों को तब तक आरोपी माना जाएगा जब तक यह सिद्ध न कर दिया जाए कि यौनकर्मी को जबरन इस धंधे में नहीं लाया गया। कानून में जबरन इस धंधे में लाने की कोई परिभाषा नहीं दी गई है अत: यह कहना असंभव है कि यह बात कैसे साबित की जाएगी। इस संशोधन के अंतर्गत बच्चों और यौनकर्मी के परिवार के लोगों को परिसर से अलग निकलना पड़ेगा ताकि वे यौनकर्मी के आश्रित न कहे जाएं। इन प्रावधानों का यौनकर्मी के जीवन और उनके माता-पिता, परिचारक और प्रदाता के रूप में काम करने पर आंच आएगी। ये संशोधन अपने निहितार्थों द्वारा ऐसी परिस्थितियों का सृजन करेंगे कि किसी स्त्री का काम करना असंभव हो जाएगा। इन प्रावधानों के कारण कानून बनाने वालों की वेश्यावृत्ति रोकने की मूल भावना पर पानी फिर जाएगा।

वेश्यावृत्ति रोकने के संयुक्त राष्ट्र प्रोटोकॉल के तहत वेश्यावृत्ति ऐसा अपराध है जो किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के खिलाफ़ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जबरन ले जाने के कारण होता है। यह प्रोटोकॉल न तो सेक्सवर्कर्स को अपना निशाना बनाता है और न ही सहमतियुक्त सहवास को अपराध मानता है। इसका स्पष्ट उद्देश्य है प्रवासी श्रमिकों का छल-फरेब से जबरन शोषण रोकना। अन्य स्पष्ट उद्देश्य हैं सरकारों को ऐसे उपाय करने को प्रोत्साहित करना जिनसे प्रवासी सुरक्षित रूप से आ जा सकें। आतंक, विदेशियों के प्रति नफ़रत और अनेक देशों की प्रवास विरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ संदिग्ध युद्ध के मौजूदा माहौल में कम दक्ष अथवा अर्द्धदक्ष श्रमिकों के सुरक्षित

प्रवास की संभावना कम है। इसके चलते प्रवास के इच्छुक लोग तस्करों का सहारा ले रहे हैं ताकि सुरक्षित आवागमन हो सके। कानूनी रास्ते बंद होने से छिप कर आने-जाने को बढ़ावा मिलता है। यह रुकता नहीं है।

नये संशोधनों से न तो वेश्यावृत्ति रुकती है और न ही स्त्रियों की रक्षा होती है। इसके विपरीत ये सुधार पुरानी रूढ़ियों और अदूरदृष्टिपूर्ण दृष्टिकोण से प्रेरित हैं। इनमें भारतीय मूल्यों के बारे में अपरिवर्तनशील पूर्वानुमान शामिल हैं जिनके अनुसार, सहवास भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के विपरीत है जो इस बात से साबित होता है कि स्कूली पाठ्यसामग्री से सेक्स संबंधी काल्पनिक चित्र निकाल दिए गए हैं। ग्राहकों को अपराधी करार देकर नया कानून वेश्यावृत्ति और सेक्स वर्करों को भूमिगत कर देगा। परिणामस्वरूप स्त्रियां शोषण की शिकार हो जाएंगी और उन्हें वेश्यावृत्ति में ढकेला जा सकेगा। दूसरे, इस कानून के रूप में यौनकर्मियों से पैसा वसूलने और ग्राहकों को परेशान करने का एक प्रभावशाली हथियार पुलिस को मिल जाएगा। तीसरे, एचआईवी/एड्स के मौजूदा माहौल में वेश्याएं भूमिगत हो जाएंगी तो संभावित मरीजों और इस बीमारी के जीवाणुओं के बारे में सूचना का तंत्र एकदम बर्बाद नहीं तो कमज़ोर ज़रूर हो जाएगा।

भारत में एचआईवी संक्रमित मरीज़ों की संख्या दुनिया के किसी भी देश के मुक़ाबले सबसे ज्यादा है। यह बीमारी विवाहित स्त्रियों में तेज़ी से फैल रही है। कानून बनाकर इसके संभावित मरीज़ों को गैरकानूनी क्षेत्र में भगा देना बहुत गैरजिम्मेदार काम ही नहीं होगा बल्कि लाखों लोगों को कलंक, भेदभाव और हिंसा की सज़ा देने जैसा भी होगा। स्वीडन के कानून का मूल्यांकन करते समय इन बातों को कलमबद्ध किया गया है। इस कानून का उद्देश्य भी यौनकर्मियों के ग्राहकों को अपराधी ठहराना था। इसके जरिये सेक्स वर्कर तो अंधेरी गलियों में गुम हो गए लेकिन वेश्यावृत्ति पर लगाम नहीं लग पाई। हक़ीक़त यह है कि यह बुराई बढ़ गई, स्त्रियों की शिकायतें दूर करने के रास्ते बंद हो गए और एचआईवी मरीज़ों का पता लगाना लगभग असंभव हो गया।

एचआईवी संक्रमण दर में कमी लाने और बाल यौनकर्मी की बुराई की रोकथाम के लिये कोलकाता की सोनागाछी सेक्स वर्कर्स परियोजना को आदर्श माना गया है। कारण है इसमें यौनकर्मियों की सक्रिय भागीदारी। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी ऐसी ही परियोजनाएं शुरू की गईं जो सेक्सवर्कर्स की भागदारी सुनिश्चित करती हैं। इनके जरिये स्त्री यौनकर्मियों के बीच कंडोम का प्रचार किया गया जिससे एचआईवी संक्रमण में काफी कमी आई। इनके परिणामों से इस बात को बल मिलता है कि ऐसे कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए जिससे यौनकर्मी कंडोम के इस्तेमाल की शर्त रखने की हिम्मत करें और सुरक्षित सेक्स को बढ़ावा मिल सके।

यह दुर्भाग्य की बात है कि प्रस्तावित संशोधनों के जरिये उस वर्ग के अलग-थलग पड़ जाने का ख़तरा बढ़ गया है जिसके अधिकारों की रक्षा के लिये ये संशोधन लाए जा रहे हैं। एचआईवी/एड्स और वेश्यावृत्ति दोनों के खिलाफ़ जंग जीतने के लिये उनका समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है। इन प्रस्तावों से लाखों-करोड़ों स्त्रियों की हालत नाजुक हो जाएगी और उनके शोषण के रास्ते खुल जाएंगे, जबकि होना यह चाहिए था कि उन्हें साफ-सुथरे माहौल में अपनी जीविका चलाने का मौका मिलता। अधिकार देने के नाम पर सेक्स की स्थिति, जानकारी या सांस्कृतिक आचरण की शर्तें नहीं थोपी जा सकतीं।

जिन नैतिक उद्देश्यों की बात करके इन सुधारों की शुरुआत की गई है उनसे किसी को लाभ नहीं होगा। इससे राष्ट्र को ग़रीबी, मांग और सीमाएं बंद करने जैसे उन असली कारणों का पता भी न चल पाएगा जिन्हें समझ कर एचआईवी के विरुद्ध अभियान को सफल बनाया जा सकता था। इतनी ही हानिकारक एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट आई है जिसे महिलाओं में जबरन वेश्यावृत्ति पर वैश्विक गठबंधन ने प्रकाशित की है। इसमें साफ़ सबूत है कि वेश्यावृत्ति विरोधी अभियानों के जरिये मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। इससे समस्या का समाधान नहीं हो रहा और महिलाओं की सचलता की रक्षा नहीं होती। इस ख़तरनाक रास्ते पर कदम बढ़ाने की बजाय सरकार और गैरसरकारी संगठनों को ऐसे स्वसहायता समूह गठित करने में सहायता देना चाहिए जो सेक्स के काम में नाजायज़ हरक़तों पर नज़र रखें और समुदायों को एचआईवी के बचाव सहित अपनी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरी करने के उपाय करने में सहायता करें। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को एक ऐसी व्यापक प्रवास नीति बनानी चाहिए जिससे श्रमिकों को उनके अधिकार मिलें और अपने नियोक्ता, ग्राहक अथवा सहकर्मियों के हाथों होने वाले शोषण से बचने में सहायता मिले। अनैतिक मानव तस्करी पर लगाम लगाने का एकमात्र रास्ता यह होगा कि अधिकार देकर इसके शिकार होने वालों का सशक्तीकरण किया जाए। इस मामले में कानून लागू करने की व्यवस्था मज़बूत करके सरकारी तंत्र के सशक्तीकरण के जरिये ग़रीबों का कल्याण नहीं होगा। ❑

(लेखिका वकील तथा नारीवादी विधिक अनुसंधान केंद्र, नयी दिल्ली की निदेशक हैं।
ई-मेल: rkefir @gmail.com)

संगठित अपराधियों पर जोरदार प्रहार की दरकार

अबोध बालाओं को नरक में धकेलने वालों पर लगाम लगे

● सरिता पांडेय

महिलाओं और बच्चियों का अवैध देह व्यापार आज कुछ चुनिंदा इलाकों से बाहर निकल कर व्यापक संगठित अपराध का रूप ले चुका है। आज यह लाखों और करोड़ों डॉलर का कारोबार हो गया है जिसके संचालक महानगरों में संभ्रांत लोगों की बस्तियों में रहते हैं और इतने शातिर अंदाज में अपने गुर्गों के मार्फत सैकड़ों ज़िंदगियों को बर्बाद करते रहते हैं कि उन तक पहुंच पाना भी आमतौर पर पुलिस के लिये कठिन होता है। देह व्यापार के लिये हर साल हजारों बालिकाओं को नरक में धकेलने वाले इन गिरोहों के दलालों के तार गांवों में ग़रीब बालाओं के घरों तक पहुंचे हुए हैं। उनकी लाचारी को देखते हुए उनको कई सपने दिखाए जाते हैं। माता-पिता को उनके सुखद भविष्य का दिलासा दिया जाता है। तमाम माता-पिता समझते हैं कि उनकी बेटी महानगर में काम करने जा रही है, पर धीरे से वह अनजान गलियों में खो जाती है। दलालों, कोठों और अंधेरी सीलनभरी कोठरियों में सिसकती ये बालाएं कैसा जीवन बिताती हैं, यह विकसित होती संचार माध्यमों की दुनिया से छिपी नहीं रह गई है।

इस समस्या पर निश्चय ही सरकार भी चिंतित है और स्वस्थ समाज चाहनेवाले लोग भी। अंतरराष्ट्रीय फोरम भी इस समस्या से काफी चिंतित नज़र आ रहे हैं। हाल के वर्षों में खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और महिला तथा बाल विकास मंत्रालय के साथ कई स्वयंसेवी संगठनों ने गंभीर प्रयास किए हैं। सरकार ने देह व्यापार कानून को और सख्त बनाने की दिशा में भी पहल की है। भारत में विधायी, कार्यकारी, न्यायिक तथा सामाजिक कार्रवाई

देवदासी और जोगिनें

आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में कानूनी प्रतिबंध के बाद भी देवदासी तथा जोगिन प्रथा आज भी विद्यमान है। हालांकि यह समस्या स्थानीय स्वरूप की है, पर इसकी आड़ में सैकड़ों बालिकाओं का जीवन बर्बाद हो गया है या हो रहा है। समस्या से निपटने के लिये आंध्र प्रदेश देवदासी (समर्पण का निषेध) अधिनियम 1988, कर्नाटक देवदासी (समर्पण का निषेध) अधिनियम 1982, बंबई देवदासी संरक्षण अधिनियम 1934 तथा महाराष्ट्र देवदासी (उन्मूलन व पुनर्वास) अधिनियम 2001 बनाए गए हैं जिसमें देवदासी प्रथा पर प्रतिबंध हैं। केंद्र तथा राज्य सरकार के साझा प्रयासों से पुनर्वास की नीति भी बनी है और बच्चों का रिहायशी स्कूलों व होस्टलों में दाखिला भी कराया जा रहा है। लेकिन कुछ समय पूर्व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट ने इस समस्या पर सबका ध्यान फिर से खींचा। बकौल रिपोर्ट तमाम अभियानों का असर यह पड़ा है कि नामी-गिरामी मंदिरों से यह प्रथा लोप हो गई, पर छोटे मंदिरों में यह अब भी विद्यमान है। मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुसूचित जाति की बालिकाएं पुजारियों की शातिर चालों का शिकार बन रही हैं। देवदासी प्रथा के पीछे ग़रीबी खासतौर पर जिम्मेदार है। ग़रीब लोग अपनी बच्चियों को मंदिरों को दान दे देते हैं ताकि उनको मंदिरों से खाने की वस्तुएं मिलती रहें। बिना प्रचार या तामझाम के देवदासी बनाने के आयोजन अब छोटे मंदिरों व पुजारियों के घरों पर किए जाते हैं। इसी नाते यह परंपरा जारी है तथा पहले से कहीं अधिक व्यावसायिक स्वरूप ले चुकी है। कानून इतना कमज़ोर है कि अनेक शिकायतों के बाद भी कर्नाटक देवदासी अधिनियम के तहत एक भी मामला दर्ज़ नहीं किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पुनर्वास प्रयास अपर्याप्त हैं। देश में वेश्यावृत्ति के धंधे में क़रीब 15 फीसदी देवदासियां हैं। यह आकलन 1990 में किया गया था। अब तक तस्वीर और विकृत हो चुकी है। ❑

के माध्यम से मानव व्यापार की समस्या पर लगाम लगाने का प्रयास किया जा रहा है। पर हक़ीक़त यह है कि देह व्यापार के कारोबारी भी नये-नये रास्ते तलाश कर तमाम प्रयासों पर पानी फेर रहे हैं।

अवैध देह व्यापार से पैदा होनेवाली पहली गंभीर समस्या इसकी शिकार महिलाओं और लड़कियों में एचआईवी-एड्स का तेज़ी से फैलना माना जा रहा है। हाल के अनुसंधानों से पता चला है कि एचआईवी एड्स तथा अवैध देह व्यापार से होने वाली बीमारियों का परस्पर संबंध है। इस वर्ग को और उनके परिवारों को ऐसी बीमारियों का ख़तरा ज्यादा होता है। इन बीमारियों का इलाज भी बेहद ख़र्चीला है और दवाएं भी आसानी से सुलभ नहीं। इसके चलते अनाथ होने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है। इस नाते समस्या और विकराल मानी जा रही है। सबसे चिंता की बात यह है कि समाज ऐसे बच्चों को हेय दृष्टि से देखता है।

इस समस्या का एक और चिंताजनक पक्ष है अवैध देह व्यापार की समस्या का नये-नये क्षेत्रों में फैलना। स्वाभाविक तौर पर इससे प्रभावित लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। इस अंधे कुएं में फंसने के बाद बच्चियों को शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है। ऐसे में उनका जीवन कष्टों से भरा और आत्मसम्मान तथा गरिमा रहित हो जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वेश्यावृत्ति की दलदल में फंसी लड़कियों और महिलाओं पर 2002-04 में एक अध्ययन कराया जिसमें माना गया है कि देश में वेश्याओं की संख्या बढ़ रही है। अध्ययन के मुताबिक देश में क़रीब 28 लाख वेश्याएं हैं जिसमें से 35.47 फीसदी 18 साल से कम आयु में ही इस नरक में धकेल दी गई थीं। अमरीकी विदेश विभाग द्वारा 5 जून, 2006 को जारी अपनी रिपोर्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स रिपोर्ट में पेशेवर यौन शोषण के प्रयोजनार्थ महिलाओं व लड़कियों के अवैध व्यापार को लेकर भारत को निगरानी सूची में रखा गया है। लेकिन खुद अमरीका में यह समस्या कम गंभीर नहीं है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2005 के दौरान देश में अवैध मानव व्यापार से संबंधित 6,163 मामले सूचित किए गए। काफी संख्या में लड़कियां तस्करों के नेटवर्क के द्वारा भारत में नेपाल व बांग्लादेश से काफी बालिकाएं आ रही हैं। उत्तर-पूर्व के राज्यों में भी लड़कियों को बहला-फुसला कर उनको कोठों तक पहुंचाने का एक लंबा-चौड़ा नेटवर्क विकसित हो गया है। इन धंधेबाजों का रिश्ता देश की औद्योगिक राजधानी मुंबई तथा भारत की राजधानी दिल्ली के लाल बत्ती इलाकों से है। इनके गिरोहों में काफी संख्या में अपराधी महिलाएं भी हैं। कुछ समय पहले कम उम्र की कई असमी बालाएं कमाठीपुरा और शांताक्रूज इलाके में पकड़ी जा चुकी हैं। दिल्ली में भी हाल के कुछ सालों से मसाज सेंटर, फिजियोथेरेपी, मैरेज ब्यूरो से लेकर ब्यूटी पार्लर तक में पुलिस के छापे पड़ चुके हैं और कई होटलों में तो यह कारोबार संगठित स्वरूप में नज़र आ चुका है। हाल के सालों में दुबई तथा मध्य-पूर्व के कई देशों में नौकरी दिलाने का प्रलोभन देकर कई लड़कियों को ले जाने का खुलासा भी हो चुका है। घरेलू नौकरानियां बनाने के बहाने आंध्र प्रदेश और केरल की कई लड़कियों को ले जाकर एजेंटों ने देह व्यापार के दलदल में फंसा दिया। इन ख़बरों के बाद सरकार ने कई कड़े कदम उठाए। पर कभी पर्यटन के नाम पर तो कभी वेबसाइटों के जरिये बालिकाओं के शोषण के तमाम किस्से सामने आ रहे हैं।

मोटे तौर पर बढ़ता पर्यटन तथा औद्योगीकरण, शहरीकरण, गांवों से शहरों में पलायन, संगठित आपराधिक नेटवर्क तथा व्यावसायिक यौनकर्मियों की बढ़ती मांग, सस्ते श्रम की मांग, पुरुष प्रधान मूल्य प्रणाली इसके पीछे के खास कारण बताए जा रहे हैं। बाल वेश्यावृत्ति की खास वजह निर्धनता, निरक्षरता, बेकारी, पारंपरिक पारिवारिक प्रणाली मानी जाती है। सेक्स पर्यटन की नयी शब्दावली भी आजकल काफी तेज़ी से फल-फूल रही है।

इस बात का विश्वसनीय आंकड़ा आज भी उपलब्ध नहीं है कि देश में देह व्यापार में वास्तव में कितनी बालिकाएं हैं। फिर भी ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि भारत में देह व्यापार का सालाना कारोबार 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का है। हाल के वर्षों में वेश्याओं और खासतौर पर बाल वेश्याओं को लेकर कई रिपोर्टें आई हैं। पर अभी तक अखिल भारतीय स्तर का ठोस सर्वेक्षण नहीं किया गया है। यूनीसेफ, एडीबी, यूनीफेम, ह्यूमन राइट वाच समेत कई रिपोर्टें केवल अंदाजे पर ही आधारित है। भारत में देह व्यापार और बाल वेश्याओं के मामले में मुंबई के बाद सबसे बड़ा बाज़ार दिल्ली माना जाता है। पुलिस एक गिरोह पर हाथ डालती है तो दर्जनों गिरोह दूसरे रास्ते से सक्रिय हो जाते हैं। दिल्ली से लेकर उनके तार ग़रीब और भोले-भाले आदिवासियों के गांवों तक जुड़े हैं। हाल में ख़बरें सुर्खियां बनीं कि महाराष्ट्र में बार बालाओं के कारोबार पर लगाम लगने के बाद काफी संख्या में युवतियां देह व्यापार से जुड़ गईं। वूमनिस्ट आर्गनाइजेशन आफ इंडिया नामक स्वयंसेवी संगठन के एक अध्ययन में कहा गया कि वहां की 75 हज़ार बार बालाओं में से क़रीब 45 फीसदी ने देह व्यापार की राह पकड़ ली, जबकि 30 फीसदी गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश लौट गईं।

भारत के विभिन्न देह व्यापार के अड्डों में नेपाल से हर साल क़रीब 12 हज़ार युवतियां तथा बच्चियां पहुंचती हैं। मासूम नेपाली बालाओं के अवैध व्यापार को लेकर दक्षेस देशों के साझा प्रयासों के बाद भी लगाम नहीं लग सकी है। वहां की एक एनजीओ 'मैती नेपाल' की अध्यक्ष अनुराधा कोइराला का अनुमान है कि क़रीब 18 हज़ार महिलाएं नेपाल से भारत व अन्य देशों में अवैध तरीक़े से भेजी जा रही है। भारत में लाल बत्ती इलाकों में दो लाख नेपाली लड़कियों का आकलन किया जाता है जिसमें से 20 फीसदी से ज्यादा कम आयु की हैं।

इन सारे तथ्यों के आलोक में ही केंद्र सरकार ने इस दिशा में बहुकोणीय कार्रवाई की है। गृह मंत्रालय ने हाल में मानव के अवैध व्यापार से संबंधित मामलों को निपटाने के लिये एक नोडल प्रकोष्ठ स्थापित किया है। यह प्रकोष्ठ अन्य बातों के साथ राज्य सरकारों से लेकर नोडल पुलिस अफसरों के साथ बैठकें करने के लिये जिम्मेदार है। मंत्रालय ने 5 मई, 2004 को राज्य सरकारों को इस बारे में ठोस कदम उठाने के लिये कई अहम परामर्श दिए हैं। गृह मंत्रालय ने ट्रांजिट बिंदुओं, मार्गों, विधि प्रणाली, परिवहन, वित्त पोषण, व्यक्तियों तथा संगठित गिरोहों के बीच संबंधों का पता लगाने और सीमापार से अनैतिक व्यापार की रोकथाम हेतु उपाय सुझाने के लिये महिला और बच्चों के अनैतिक व्यापार पर कार्यदल गठित किया। दल ने खास प्रभावित राज्यों की पहचान करके वहां संगठित अपराध एककों का गठन कर ठोस व्यवस्थित तंत्र बनाने के लिये राज्यों को कहा।

यह भी उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश संख्या 9 जुलाई, 1997 (गौरव जैन बनाम भारत सरकार व अन्य) के आलोक में महिला और बाल विकास विभाग ने यौनकर्मियों, बाल यौनकर्मियों और यौनकर्मियों के बच्चों के पुनर्वास के लिये व्यापक विचार मंथन किया और उसके बाद सेक्स वर्करों के बच्चों के पुनर्वास तथा अन्य मुद्दों को लेकर 1998 में एक विशेष राष्ट्रीय कार्ययोजना तैयार की गई। इस बाबत एनजीओ तथा इस क्षेत्र में सक्रिय लोगों को शामिल कर केंद्रीय सलाहकार समिति भी बनाई गई। राष्ट्रीय कार्ययोजना में रोकथाम, जागरुकता विकास, सामाजिक संघटन, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, शिक्षा तथा बाल देखभाल, आवास, शरण तथा नागरिक सुविधाएं, आर्थिक सशक्तीकरण, कानूनी सुधार तथा विधि प्रवर्तन, बचाव तथा पुनर्वास, संस्थागत तंत्र और कार्यप्रणाली परिकल्पित की गई है। राज्य सरकारों से कहा गया कि वे राष्ट्रीय कार्ययोजना को कार्यान्वित करने के लिये उपयुक्त कदम उठाएं पर इस मामले में कम राज्यों ने ही गंभीरता से कार्य किया है।

इससे जुड़ा दूसरा पक्ष कानून और पुलिस का है। महिलाओं या बच्चियों के अवैध व्यापार के मामलों में पुलिस भारतीय दंड संहिता और अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के उपबंधों के तहत कार्रवाई करती हैं पर उसके शिकंजे में गिरोहों के सरगना आमतौर पर नहीं आ पाते हैं। देह व्यापार की मांग व आपूर्ति को रोकने के लिये अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 (आईटीपीए) को अवैध व्यापारियों, वेश्यालय चलानेवाले दलालों तथा ग्राहकों के लिये अधिक कड़ा बनाने की पहल शायद इसी बात को ध्यान में रखकर की गई है। हालांकि मौजूदा कानून भी कमज़ोर नहीं है और इसे भारतीय दंड संहिता, 1869 से और समर्थन मिलता है। बच्चों के अवैध व्यापार के लिये कठोर दंड निर्धारित है। हाल में कई मामलों में बालिकाओं की ख़रीद-फरोख़्त से जुड़े लोगों को अदालतों ने कड़े दंड भी दिए हैं। सरकार इस समस्या की जड़ पर प्रहार करना चाहती है पर इसका समर्थन कम और विरोध अधिक हो रहा है। यौनकर्मियों की 14 संस्थाएं काफी दिनों से इसका इस आधार पर विरोध कर रही हैं कि ग्राहकों को पकड़ने से उनके पेट पर लात मारा जाएगा। कई पुलिस अधिकारी यह मानते हैं कि यह सामाजिक समस्या है। इस पर समाज ही लगाम लगा सकता है। लेकिन इससे अकेले बात नहीं बननी है। एक वकालत यह भी हो रही है कि वेश्यावृत्ति को कानूनी जामा पहनाया जाए तो इससे एचआईवी/एड्स का प्रसार रुक जाएगा। इनका तर्क है कि संक्रमण का प्रसार उच्च जोखिम समूह से ही सर्वाधिक होता है। ऐसे में वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता देने से काम चोरी-छिपे नहीं होगा और सुरक्षित तरीक़ों का व्यापक प्रचार भी उनके बीच हो सकेगा। अगर थाईलैंड, सेनेगल या नीदरलैंड में वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता मिली हुई है तो इससे भारत में क्या समस्या है?

लेकिन ये सभी तर्क अपनी जगह हैं। भारत की अपनी विशिष्ट सामाजिक परंपराएं इस देश को थाईलैंड की राह पर चलने देना स्वीकार नहीं करेंगी। इस समस्या की जड़ पर ही वास्तव में प्रहार किया जाना और ठोस पुनर्वास नीति बनाना ज़रूरी है। वह जड़ है, इस कारोबार का संचालन कर रहे गिरोहों पर लगाम लगाना। यह काम भारत-नेपाल और बांग्लादेश को मिल कर करना होगा। इसके साथ ही देहाती इलाकों पर खास ध्यान देना होगा ताकि वहां के दलालों का नेटवर्क भेदा जा सके। केंद्र, राज्य सरकारों, एनजीओ, सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल सभी को मिल कर बारीक़ी से इस समस्या की तह में जाकर हल निकालना होगा। तभी इस नरक में सिसक रहीं लाखों मासूम बालिकाओं को रोशनी दी जा सकेगी। ❑

(लेखिका सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार हैं)

दुनियाभर में जारी है बच्चों की घृणित तस्करी

सेक्स बाज़ार ने बच्चों को भी एक वस्तु बना दिया है

● अवधेश कुमार

सेक्स टूरिज्म यानी 'यौन पर्यटन' शब्द आधुनिक सभ्यता की ही देन है। इसका अर्थ है पर्यटकों का आसानी से धन ख़र्च करके मनचाहा सेक्स उपलब्ध होने वाले क्षेत्रों में यात्रा करना। 1998 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपने आकलन में कहा था कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपीन एवं थाइलैंड के सकल घरेलू उत्पाद का 2 से 14 प्रतिशत भाग यौन पर्यटन से आता है। यह आकलन केवल इस वीभत्स सच्चाई को उजागर करता है कि

सेक्स व्यापार किस सीमा तक चल रहा है। चूंकि दुनियाभर में सेक्स के लिये ज्यादातर कम उम्र की लड़कियों और कहीं-कहीं लड़कों की भी मांग है, इसलिये उनकी भी बाज़ार में ख़रीद-फरोख़्त हो रही है। बाज़ार में कमोडिटी की तरह मांग और आपूर्ति के नियम यहां भी लागू हो रहे हैं एवं ये बच्चे भी एक वस्तु बन गए हैं। इंड चाइल्ड प्रोस्टिच्यूशन, चाइल्ड पोर्नोग्राफी एवं ट्रैफिकिंग फॉर चिल्ड्रेन यानी 'इस्पट' का आकलन है कि प्रतिवर्ष क़रीब 10 लाख बच्चे यौन व्यापार में धकेल दिए जाते हैं। इनमें मुख्यत: कम उम्र की लड़कियां ही हैं। हालांकि कुछ संस्थाएं इस संख्या को वास्तविकता से ज्यादा मानती हैं, पर संख्या कम या ज्यादा हो सकती है, सेक्स के लिये बच्चों की तस्करी हो रही है इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। वास्तव में अपराध की शब्दावली में ह्युमैन ट्रैफिकिंग एक जानामाना शब्द है जिसका अर्थ मनुष्य को व्यापारिक वस्तु के रूप में एक जगह से दूसरे जगह ले जाना तथा उनकी खरीद-बिक्री करना है। इसे हम 'मानव तस्करी' भी कहते हैं। चूंकि इनमें अवयस्क यानी बच्चों की संख्या ज्यादा होती है, इसीलिये अंग्रेज़ी में 'चाइल्ड ट्रैफिकिंग' शब्द अलग से विकसित हो गया है। हालांकि ट्रैफिकिंग एवं तस्करी में थोड़ा अंतर है। ट्रैफिकिंग में लाई गई बच्चियां-बच्चे, लड़कियां-लड़के सेक्स बाज़ार में गुलामी की स्थिति में आ जाते हैं।

अमरीकी विदेश विभाग का आंकड़ा बताता है कि 6 लाख से लेकर 8 लाख 20 हजार के बीच पुरुष, महिलाएं एवं बच्चे अवैध तरीके से ले जाए जाते हैं। इनमें 80 प्रतिशत महिलाएं या लड़कियां होती हैं जिनमें 50 प्रतिशत अवयस्क यानी बच्चियां। इस आंकड़े से ही यह पता चलता है कि अवैध रूप से ले जाए गए पीड़ितों को सेक्स व्यापार में लगा दिया जाता है। अवैध होने के कारण इनकी चोरी-छिपे एवं कई प्रच्छन्न तरीक़े से ख़रीद-बिक्री की जाती है। जगह-जगह लाने-ले जाने एवं बेचने के तरीक़ों में भी अंतर आ जाता है। ऐसे में वास्तविक संख्या जानना निस्संदेह कठिन है। वास्तव में जो भी संख्या दी जाती हैं वास्तविकता उससे ज्यादा भी हो सकती है। पश्चिम की ज्यादातर रिपोर्टों में विश्वस्तर पर अल्बानिया, मोल्दोवा, रोमानिया, बेलारुस, यूक्रेन, ताजिकिस्तान, काजिस्तान जैसे पूर्व यूरोप एवं मध्य एशिया के देशों को बच्चों एवं महिलाओं के अवैध व्यापार का स्रोत माना जाता है। इन दिनों दुनियाभर में सेक्स व्यापार में लगी लड़कियों का दो तिहाई भाग पूर्वी यूरोप से ही लाए गए हैं। इनका मुख्य गंतव्य पश्चिमी यूरोपीय देश जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्पेन, ब्रिटेन, ग्रीस, एशिया का जापान, भारत, पश्चिमी एशिया के तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, रूस एवं अमरीका हैं।

यूनिसेफ ने पूर्व कम्युनिस्ट देशों की महिलाओं एवं लड़कियों की एक रिपोर्ट में पोलैंड की एक गैरसरकारी संस्था 'ला स्ट्राडा' एवं वियना की 'इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन' को उद्धृत करते हुए कहा है कि पूर्वी यूरोप की क़रीब 5 लाख लड़कियां पश्चिम में वेश्यावृत्ति कर रही हैं। अकेले बुल्गारिया की क़रीब 10 हज़ार लड़कियां यूरोपीय संघ के देशों में सेक्स व्यापार के लिये लाईं जाती हैं। मार्च 2007 में अमरीकी टीवी न्यूज़ चैनल एबीसी ने मोल्दोवा से अवयस्क लड़कियों के सेक्स व्यापार के लिये बाहर ले जाने के रैकेट पर खोजी रिपोर्ट प्रसारित की। इन्हें नाम दिया गया था 'सेक्स स्लेव'। साफ दिख रहा था कि 500 अमरीकी डॉलर में आपको कितनी भी कम उम्र की लड़कियां मिल जाती हैं। रिपोर्ट के अनुसार, यह एक महामारी की तरह फैल चुका है एवं इनका आकलन स्वीकार किया जाए तो लड़कियों का अवैध व्यापार क़रीब 42.5 अबर डॉलर हो चुका है। मोल्दोवा में पिछले डेढ़ दशक में 2 लाख से 4 लाख के बीच लड़कियों को विदेशों में वेश्यावृत्ति में झोंका जा चुका है। इन्हें पश्चिम एशिया एवं यूरोप के देशों में अवैध रूप से ले जाकर वेश्या बना दिया जाता है। पर्यटकों की मांग ज्यादातर अवयस्क लड़के एवं लड़कियां की होती है। वैसे यह केवल एशिया की ही त्रासदी नहीं है, पूरे विश्व में यह शर्मनाक कारोबार चल रहा है। लातिनी अमरीका तथा अफ्रीका भी इस अवैध कारोबार की चपेट में है। इसके अलावा हाल के वर्षों में मैक्सिको, मध्य अमरीका जैसे क्षेत्र भी इसके लिये कुख्यात हुए हैं। बच्चों के साथ यौन क्रिया के लिये किए जाने वाले पर्यटन स्थलों में भारत भी शामिल है।

इस प्रकार यह विश्वव्यापी समस्या है। किंतु यह भी सत्य है कि बच्चों के अवैध कारोबार की सबसे ज्यादा घटना कुल मिलाकर एशिया में ही घट रही है। जापान को लड़कियों के अवैध गंतव्य का एक प्रमुख स्थान माना जाता है। अमरीका ने 'ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स शीर्षक रिपोर्ट में 2001' से ही जापान को वाच लिस्ट में रखा हुआ है। दक्षिण-पूर्व एशिया में कम से कम 3 लाख लड़कियां अभी सेक्स व्यापार में हैं जिनमें ज्यादातर या तो नाबालिग हैं या उन्होंने नाबालिगी में इसकी शुरुआत की। थाई लड़कियों को जापान के वेश्यालयों में बेचने की बातें बिल्कुल आम है। म्यामां की कम उम्र की लड़कियां थाइलैंड में आसानी से लाईं जाती हैं। थाइलैंड तो कम उम्र के लड़कों के साथ सेक्स के लिये भी कुख्यात है। यही हाल कंबोडिया एवं इंडोनेशिया का है। वियतनाम की लड़कियां भी इन देशों में आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। जाहिर है, इनमें से बड़ी संख्या अवैध तरीके से लाई गई लड़कियों की होती है। इराक युद्ध ने लड़कियों के अवैध कारोबार को पूरे पश्चिम एशिया में बढ़ाया है। युद्ध की विभीषिका से पलायन करतीं लड़कियां एवं महिलाएं बिकने के लिये विवश हैं। सीरिया में उनकी उपस्थिति उसे अभी सस्ते सेक्स पर्यटन का एक प्रमुख स्थान बना दिया है। सऊदी अरब या अन्य पश्चिम एशिया से आने वाले पर्यटक कमसिन लड़कियों को मुंहमांगी क़ीमतें दे रहे हैं। अरब के शेख पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों से पाकिस्तानी व अफगानिस्तानी बच्चियों को ख़रीद कर ले जाते हैं।

अमरीका के शिकागो स्थित डी पॉल विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार कानून संस्थान ने 2001 में विश्वभर में सेक्स व्यापार एवं लड़कियों एवं महिलाओं की अवैध ख़रीद-बिक्री पर एक अनुसंधान रिपोर्ट जारी किया था। इसके अनुसार, 6 वर्ष की उम्र तक की लड़कियां सेक्स व्यापार में लाईं गईं थीं। इसने क़रीब 20 लाख नाबालिग एवं बालिग लड़कियों व महिलाओं के सेक्स व्यापार में होने की बात कही थी। इसके अनुसार (1) भारत के रेड लाइट एरिया में प्रतिवर्ष क़रीब 7 हज़ार नेपाली लड़कियां बेची जाती हैं जिनमें 9 वर्ष की आयु की लड़की भी शामिल है। (2) करीब 50 हज़ार एशियाई, लातीनी अमरीकी एवं पूर्वी यूरोपीय बच्चियां एवं महिलाएं अमरीका में अवैध तरीके से सेक्स कारोबार के लिये लाईं जाती हैं। (3) श्रीलंका के वेश्यालयों में 6 वर्ष से 14 वर्ष उम्र की क़रीब 10 हज़ार बच्चियां हैं। (4) अफगानी लड़कियां पाकिस्तान में 600 रुपये तक में वेश्यावृत्ति में बेची गईं। (5) लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया जैसे पूर्व सोवियत गणराज्य के देशों की बच्चियां एवं लड़कियां पश्चिम यूरोप में सेक्स केंद्र बन चुकी हैं। 'मैती नेपाल' जैसी गैरसरकारी संगठन के अनुसार, नेपाल की पूर्वी सीमा से 10 हज़ार से 20 हज़ार तक लोग प्रतिवर्ष लापता हो जाते हैं। इनमें बच्चियों की संख्या ज्यादा होती है। ये वस्तुत: मानव के अवैध व्यापार का शिकार होते हैं एवं सिलिगुड़ी सहित विभिन्न वेश्यालयों में भेज दिए जाते हैं। एक अन्य गैरसरकारी संस्थान 'टेर्रे डेस होम्मेस' की 2005 की रिपोर्ट के अनुसार, 14 से 16 वर्ष के बीच की नेपाली लड़कियों को कोलकाता, मुंबई के ख़रीदारों के हाथों

बेच दिया जाता है जहां वे वेश्या बना दी जाती हैं। इसके अनुसार 1 लाख से 2 लाख के बीच नेपाली बच्चियां एवं लड़कियां अभी भारत के सेक्स व्यापार में हैं एवं इनमें एक बड़ी संख्या नाबालिगों की है। इनमें से ज्यादातर को काम या विवाह या रुपये का लालच देकर लाया गया।

भारत के संदर्भ में जून 2007 में जारी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत व्यापारिक रूप से यौन शोषण तथा जबरन श्रम के उद्देश्य से बच्चों, महिलाओं एवं पुरुषों की तस्करी का स्रोत, पारगमन एवं गंतव्य तीनों है। यूनिसेफ भी इस आकलन से सहमत है। ग्लोबल सिटिजन्स ट्रस्ट के मुताबिक, भारत में मनुष्यों का अवैध व्यापार क़रीब 3,500 करोड़ रुपये का है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 2004 में संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर तैयार किए रिपोर्ट में कहा था कि भारत में प्रतिवर्ष क़रीब 44 हज़ार 476 बच्चों के गुम होने की रिपोर्ट आती है। इनमें 11,008 यानी करीब 5 हज़ार लड़कियां एवं 11 हज़ार लड़कों का पता नहीं चलता। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हर वर्ष एक्शन रिसर्च ऑन ट्रैफिकिंग इन वुमेन एंड चिल्ड्रेन रिपोर्ट जारी करता है जिसमें कहा जाता है कि जिन बच्चों का पता नहीं लगता वास्तव में लापता नहीं होते बल्कि इनका अवैध व्यापार किया जाता है। इनमें से एक बड़ी संख्या को यौन पर्यटन के नृशंस कारोबार में फेंक दिया जाता है। अरुणाचल, नगालैंड एवं तमिलनाडु में गायब होने वाले बच्चों का प्रतिशत 100 से बढ़कर 211 हो चुका है। भारतीय सांख्यिकी रिपोर्ट 2004 के अनुसार, 10 वर्षों में बच्चों के अंतरराज्यीय आवागमन में 40 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई। आज शायद उससे ज्यादा वृद्धि होगी। नेशनल क्राईम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2004 में बच्चों के अपहरण की 2,265 घटनाओं को अवैध व्यापार का मामला माना गया। इनमें 1,593 अपहरण शादी के लिये, 414 सेक्स के लिये, 101 वेश्यावृत्ति के लिये, 92 गैरकानूनी गतिविधियों के लिये तथा शेष अन्य मामलों जैसे- गुलामी, भीखमंगी, एवं अंग बेचने के लिये थे। इनमें 25 प्रतिशत 11 से 15 वर्ष आयुसीमा के थे।

संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के लिये शक्तिवाहिनी द्वारा 2006 में किए गए एक अध्ययन के मुताबिक भारत में अंतरराज्यीय मानव तस्करी के अलावा मिस्र, ब्राज़ील, अजरबैजान, रूस एवं अनेक अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों से तस्करी करके लड़कियों एवं महिलाओं को भारत लाया जाता है जहां से इन्हें दूसरे देशों में भी भेजा जाता है। इस अध्ययन के अनुसार इसमें 72 प्रतिशत तस्करी सेक्स व्यापार के लिये किया गया। इसके अनुसार, मध्यप्रदेश लड़कियों के सेक्स व्यापार में सबसे ऊपर है जहां पारिवारिक परंपरा के कारण लड़कियां सेक्स कारोबार में आ जाती हैं एवं फिर अवैध तरीक़े से उनकी ख़रीद-बिक्री का दौर शुरू हो जाता है। अवैध तरीक़े से लाई गई महिलाओं में 43 प्रतिशत अवयस्क होती हैं। इनमें 44 प्रतिशत ग़रीबी के कारण सेक्स व्यापार या फिर तस्करी का शिकार हुई। रिपोर्ट ने भारत के 593 में से 378 जिलों को मानव तस्करी से प्रभावित माना है। इसके अनुसार इनमें 90 प्रतिशत अंतरराज्यीय हैं एवं केवल 10 प्रतिशत ही अंतरराष्ट्रीय हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यद्यपि लड़कों के साथ सेक्स के मामले में मुंबई एवं गोवा का स्थान सर्वोपरि है जहां इसके लिये बच्चों को लाया जाता है। पर केरल, तमिलनाडु एवं उड़ीसा के पर्यटन स्थल भी अब इससे अछूते नहीं हैं। भारत की सीमा सात देशों की सीमाओं से लगती है। यह स्थिति इस अवैध कारोबार के लिये अनुकूल भौगोलिक स्थिति प्रदान करता है। सीमा सुरक्षा में लगे जवानों को घूस देकर नेपाल, बांग्लादेश, म्यामां, एवं यहां तक कि उज्बेकिस्तान से भी लड़के-लड़कियां यहां के दलालों से बेचे जाते हैं। नेपाल के साथ तो पूरी सीमा खुली है। इनमें सेक्स के अलावा अन्य कामों के लिये आने वाले लड़के एवं लड़कियां दोनों होते हैं। वास्तव में इन देशों से अवैध कारोबार का एक ही रास्ता एवं गंतव्य है, भारत। यहां से इनमें से कुछ को दूसरे देशों में भी भेजा जाता है।

कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन देशों की बिगड़ी माली हालत एवं अस्थिरता बच्चों के बाज़ार की वस्तु बनने तथा फिर सेक्स व्यापार में प्रवेश करने का सर्वप्रमुख कारण है। भारत के भीतर भी बच्चों के अवैध व्यापार में सामाजिक-आर्थिक कारण ही मुख्य भूमिका निभा रहा है। कुछ लड़के-लड़कियां स्वयं काम की तलाश में निकलते हैं, कुछ माता-पिता के साथ तो कुछ संगठित अपराध तंत्र के सदस्यों के फुसलावे में आकर। वास्तव में यदि हम इस अमानवीय कारोबार जिसे कारोबार कहना ही उचित नहीं है, की जड़ तलाशेंगे तो कुछ कारण पूरे विश्व में बिल्कुल समान दिखाई देंगे। इन पर शोध करने वालों ने इसकी जड़ सामाजिक-आर्थिक कारणों में ही निहित माना है। मसलन, ग़रीबी, अशिक्षा, रोज़गार का अभाव, भविष्य के लिये सुरक्षा व्यवस्था का न होना आदि कारकों से ही बच्चे स्वयं मज़बूर होकर निकलते हैं या फिर उनके माता-पिता उन्हें बाहर भेजते हैं या फिर दलालों के लालच में फंसकर निकल जाते हैं। इसमें इतना मुनाफ़ा है कि इस अपराध में लगे माफिया समूहों ने इसके लिये भी एक अंडरवर्ल्ड व्यापारिक संरचना विकसित कर लिया है। जहां सुरक्षा का अभाव है, कानून व्यवस्था कमज़ोर है वहां इनकी नज़र गड़ी रहती है और ये मौका मिलते ही बच्चों को गायब कर देते हैं। भारत ही नहीं, दुनियाभर में यह हो रहा है। अफ़्रीकी देश सोमालिया में सबसे ज्यादा बच्चों के बाहर जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं और वहां बाजाप्ता सार्वजनिक तौर पर बिचौलिये खड़े हो गए हैं। कारण वही है जिसकी चर्चा हमने की। वहां की अस्थिरता में बच्चों के माता-पिता भी उनको बाहर भेजते हैं। बाज़ार की चकाचौंध से उत्पन्न भोगवाद की बढ़ती प्रवृत्ति का भी इसमें योगदान होता है। किंतु भूमंडलीकरण एवं बाज़ार अर्थप्रणाली तथा उससे उत्पन्न जीवनशैली को इसका मूल कारण मानना पूरी तरह सही नहीं है।

इस अवैध कारोबार को रोकने के लिये हमेशा कड़े कानून की बात की जाती है। इसके लिये संयुक्त राष्ट्रसंघ का यूएन कन्वेंशन अगेन्स्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राईम (द पालेर्मो प्रोटोकॉल) है। लेकिन अभी ज्यादातर देशों ने न तो इसे स्वीकार किया है और न ट्रैफिकिंग पर केंद्रित स्पष्ट कानून ही बनाया है। भारत में ही अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम केवल वेश्यावृत्ति तक सीमित है एवं इस कारण यह बच्चों के लिये व्यापक वैधानिक संरक्षण छतरी की भूमिका नहीं निभा सकता। इस कानून में ट्रैफिकिंग यानी अवैध व्यापार की परिभाषा नहीं है। बालश्रम कानून से भी इसका निपटारा संभव नहीं। बच्चों के भीख मांगने को अपराध माना गया है पर यह कितना अपर्याप्त है हम जानते हैं। इसके लिये राष्ट्रीय स्तर पर कड़े कानून, निगरानी व्यवस्था एवं विभिन्न संबंधित विभागों के बीच समन्वय एवं सहयोग चाहिए। घरेलू एवं सीमापार अवैध व्यापार को रोकने के लिये पर्यटन मंत्रालय, श्रम मंत्रालय एवं भूतल परिवहन मंत्रालय के बीच अधिक समन्वय होना चाहिए। इसके साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक बहुआयामी तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है। कम से कम देशों के बीच मानव तस्करी विरोधी पर्याप्त समन्वय एवं सहयोग की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। जब कोई लड़की या लड़का सेक्स कारोबारियों के चंगुल से छूटता है उसके बाद उसकी सहायता, पुनर्वास आदि के लिये पर्याप्त इंतजाम नहीं हुआ तो उसके दोबारा कारोबार में लौटने की संभावना बन जाती है। इसके लिये राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोष की स्थापना होनी चाहिए। लेकिन जैसा हम समझ सकते हैं, कानूनी तंत्र की अपनी सीमाएं हैं। सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव तथा जीवनशैली में संयम की प्रेरणा लाए बगैर ऐसे कारोबार को पूरी तरह नियंत्रित करना संभव नहीं होगा। ❑

(लेखक सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर नियमित लेखन करते हैं।
ई-मेल : awadheshkum@gmail.com)

IAS PCS
संवाद
... The Achievers
हिन्दी साहित्य
कुमार "अजेय"
(B.P.S.C. Topper)
आदेश राय 1st Rank (Dy.Sp.) B.P.S.C. 207+196=403 (67.2%) (बिना ऑप्शनल)
नीलम अग्रवाल Dy. Collector
JPSC Rank 5th History 68%
रवीश कुमार Dy. Sp. (BPSC)
U.P.S.C. में औसत प्राप्त अंक
182 + 171 = 353
173 + 169 = 342
167 + 165 = 332
इतिहास शेखर श्रीवास्तव (JNU)
बैच प्रारम्भ
20 Jan. & 3 Feb.
सामान्य अध्ययन
कक्षा समय/कार्यक्रम
भाषा खंड की विशेष कक्षाएँ
टेस्ट सिरीज 272 → 353 अंक
व्याख्या (50 से अधिक) : 15 दिवसीय सत्र
निबंध | साक्षात्कार
क्रैश कोर्स
FOR WORKING STUDENTS CLASSES ON SAT. & SUN.)
BPSC (Pre & Mains)
अन्य विषय : अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, LSW, Statistics
सफलता हेतु अपेक्षित अंक की गारंटी एवं नैतिक प्रतिबद्धता
B-10, तृतीय तल, (Above महाराष्ट्र बैंक) मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
9213162103, 9891360366
सफलता का मानक सफल शिक्षक के मार्गदर्शन में ही संभव है।
YH-2/08/3

वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम में संशोधन

क्या इससे समस्या दूर हो पाएगी?

● भारती घनश्याम

"मुझे इस बात पर नाज़ है कि मैं आत्मनिर्भर हूं। अगर मैं अपनी जीविका चलाने के लिये अपने शरीर का सौदा करती हूं तो इस पर सवाल उठाने का समाज को क्या हक़ है? मैं चाहती हूं कि लोग कुछ समय निकाल कर समाज में हमारी भूमिका के बारे में सोचें। काम वासना बहुत प्रबल होती है। अगर किसी अविवाहित या पत्नी से दूर रहने वाले को यौनकर्मी की सेवा न मिले तो क्या होगा? क्या वह अपने आसपास की स्त्रियों के लिये ख़तरा नहीं बन जाएगा? क्या उनकी सुरक्षा सुनिश्चित रह सकेगी? अगर हम कुछ और सोचें तो क्या हम ऐसे लोगों के साथ इंसाफ कर रहे होंगे? वेश्यावृत्ति में अधिकांश लोग जबरदस्ती नहीं लगे हैं। यह उनकी मज़बूरी है। हमारे लिये हालात को और ज्यादा मुश्किल बनाने की बजाय सरकार को कोई ऐसा तरीक़ा निकालना चाहिए कि हम निर्बाध काम कर सकें, या फिर हमारी रोजी-रोटी का कोई रास्ता ढूंढ़ा जाए।"

– आर. पुष्पलता, फील्ड ऑपरेशंस मैनेजर, स्वाति महिला संघ, बंगलुरू स्थित यौनकर्मियों का संगठन।

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के महिला एवं बाल विकास विभाग ने हाल ही में अनैतिक वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम, 1956 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। हालांकि इसके उद्देश्य स्पष्ट नहीं किए गए हैं लेकिन विश्वास किया जाता है कि ये परिवर्तन उन सरोकारों को ध्यान में रखकर लाए जा रहे हैं कि मौजूदा कानून नाकाफ़ी है और यह अनैतिक ढंग से चलाई जा रही वेश्यावृत्ति की रोकथाम में विफल रहा है।

दुविधा

संशोधन विधेयक से एक दुविधा साफ़ झलकती है, वह है- इसकी धारा 8 को समाप्त करने की सिफ़ारिश। इस धारा में सेक्स के लिये प्रलोभित करने को दंडनीय बनाया गया था। संसोधन में धारा 5-सी शामिल करने का प्रस्ताव है जिसके जरिये वेश्याओं के ग्राहकों को दंड देने की व्यवस्था है। सेक्सवर्कर जहां ग्राहक पटाने वाली धारा रद्द करने का स्वागत करती हैं वहीं इस बात पर आशंकित हैं कि अगर गिरफ़्तारी के डर से ग्राहकों ने आना बंद कर दिया तो उनकी जीविका कैसे चलेगी।

इस संशोधन विधेयक को जांच के लिये मंत्री समूह को भेज दिया गया है।

वकील संगठन के निदेशक और वकील आनंद ग्रोवर का कहना है कि ग्राहकों को दंडित करने की व्यवस्था वर्तमान विधायी नीति के अनुरूप नहीं है। यदि आईटीपीए की भावना समझी जाए तो यही बात ठीक साबित होती है। कानून का उद्देश्य उन लोगों को सजा देना है जो वेश्यावृत्ति से लाभ उठाते हैं, वेश्यावृत्ति का अपराधीकरण करना नहीं। यौनकर्मियों के ग्राहकों को दंडित करने की व्यवस्था स्वीडन के कानून से मिलती-जुलती है जहां सेक्स सेवाएं खरीदना दंडनीय माना गया है। वकील संगठन की एचआईवी/एड्स यूनिट की तृप्ति टंडन का मत है कि 'इस निषेधात्मक मॉडल से यौनकर्मियों की रक्षा नहीं हो सकती क्योंकि इसके कारण वे पुलिस से बचने के लिये भूमिगत हो जाएंगे। यह जानी-मानी बात है कि यौनकर्मियों का अपनी परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं रहता जिसके कारण वे हिंसा तथा दलालों द्वारा शोषण के शिकार हो जाते हैं और रतिज रोगों और एचआईवी से संक्रमणग्रस्त हो सकते हैं।

संशोधन की धारा 5-सी के नकारात्मक असर से एचआईवी रोकथाम कार्यक्रम काफी प्रभावित हो सकता है। पुष्पलता का कहना है कि "हमें पूरा यकीन है कि अगर 5-सी पर अमल हुआ तो गिरफ़्तारी के डर से ग्राहक शायद ही यौनकर्मियों के पास आएं। मांग में कमी की हालत में आने वाले इने-गिने ग्राहकों को कंडोम इस्तेमाल की शर्त पर राजी करना कठिन होगा। यह सोचना कठिन न होगा कि असुरक्षित सेक्स के कारण एचआईवी संक्रमण की संभावना बढ़ जाएगी।" अगर सेक्स के कारोबारी भूमिगत हो जाते हैं तो इससे काफी मुश्किल और ख़तरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। जहां प्रसार कार्य में लगे कार्यकर्ता यौनकर्मियों और उनके ग्राहकों तक पहुंच ही नहीं पाएंगे और कंडोम इस्तेमाल और रतिज रोगों के इलाज की संभावना घट जाएगी।

सेक्स कार्य के दृष्टिकोण की समझ

वेश्यावृत्ति दुनियाभर में सदियों से फलती-फूलती रही है और भारत इसका कोई अपवाद नहीं। लोग इसे पसंद करते हैं लेकिन इसकी निंदा करते हैं, इसमें लिप्त होते हैं पर इसकी ख़िलाफ़त करते हैं, उन्हें इसकी ज़रूरत पड़ती है पर वे ऐसा दिखावा करते हैं मानो इसके विरोधी हों। इसे बिना कुछ किए ही भंग नहीं किया जा सकता और इसे दुनिया का सबसे पुराना पेशा माना गया है। यह हमेशा रहा है और भविष्य में भी किसी न किसी रूप में रहेगा। तो फिर यह बहस क्यों; कि यह पेशा कानूनी है अथवा गैरकानूनी, ठीक या ग़लत अथवा नैतिक है या अनैतिक।

जीविका का साधन है

यह सर्वमान्य तथ्य है कि वेश्यावृत्ति से हज़ारों स्त्रियों की रोजी चलती है। यदि यह काम न करें तो उनकी आमदनी का कोई साधन नहीं रह जाएगा। कारण यह कि इस काम में लगी स्त्रियों में साक्षरता की दर और खासतौर से ग्रामीण महिलाओं की आमदनी बढ़ाने की क्षमता बहुत कम है।

'सर्वोजन', दिल्ली की श्यामला नटराज द्वारा 5 नवंबर, 2007 को लिखे गए एक लेख (आईटीपीए संशोधन, साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण) से एक उद्धरण प्रासंगिक होगा- "पुलिस और गुंडों द्वारा मारपीट, परेशान करने और गाली-गलौज इन स्त्रियों के सामने आने वाली प्रमुख कठिनाइयां हैं। इनके वेश्यावृत्ति अपनाने के प्रमुख कारण हैं ग़रीबी, यौन उत्पीड़न और पतियों द्वारा छोड़ दिया जाना। हमें यह भी पता चला कि अनेक समस्याओं के बावजूद एक बार शुरू किया तो वे इस धंधे में बनी रहना चाहती हैं। इसके दो कारण हैं :

पहला, संगठिन क्षेत्र में काम करने के लिये उनमें कोई क्षमता नहीं होती और दिहाड़ी अथवा किसी अन्य काम के मुक़ाबले इसमें ज़्यादा आमदनी होती है जिससे वे अपने परिवार का गुजर-बसर कर सकती हैं। अनेक मामलों में वेश्याएं आय बढ़ाने के लिये यह काम करती हैं।

दूसरे, वेश्यावृत्ति का कलंक इतना प्रबल होता है कि वैकल्पिक रोज़गार प्राप्त कर लेने पर भी नियोक्ताओं को जैसे ही पता चलता है कि पहले वह वेश्या थी, या तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है या यौन सेवा देने पर मज़बूर किया जाता है। दोनों ही स्थितियां उसके लिये अति असुविधाजनक होती है।

इस स्थिति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वेश्यावृत्ति करने वाली अधिकांश स्त्रियों के परिवार वालों को उनके पेशे के बारे में पता होता है। तमिलनाडु में 1997 में 200 स्त्रियों पर एक सर्वेक्षण किया गया जिससे पता चला कि :

- 50 प्रतिशत परिवार में ही यौन उत्पीड़न के बाद घर छोड़कर भाग गईं थीं।
- 60 प्रतिशत के घरवालों को उनकी वेश्यावृत्ति के बारे में जानकारी थी।
- 40 प्रतिशत ने माध्यमिक शिक्षा पूरी कर ली लेकिन रोज़गार के अवसरों की कमी के कारण वेश्यावृत्ति शुरू कर दी।
- 50 प्रतिशत ने पति द्वारा त्याग के बाद वेश्यावृत्ति शुरू कर दी।
- 63.3 प्रतिशत यह काम अन्य कार्य के अतिरिक्त करती थीं। (खाद्य सामग्री, फूल, बेचने या खेतिहर मज़दूरी अथवा घरेलू काम करने के अतिरिक्त)

सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि अधिकांश स्त्रियों के आश्रित बच्चे थे और

वे अपेक्षाकृत ग़रीब ग्रामीण घरों की थीं। इनमें से काफी अधिक संख्या में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ वर्गों की थीं।...

कानून क्या कहता है?

सेक्स के बारे में कानूनी स्थिति आईटीपीए के जरिये स्पष्ट की गई है। यह अधिनियम स्पष्ट रूप से सेक्स व्यापार पर प्रतिबंध तो नहीं लगाता लेकिन इससे संबंधित कुछ गतिविधियों को अपराध मानता है। मई 2006 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने संसद में अनैतिक मानव तस्करी (निवारण) संशोधन विधेयक, 2006 पेश किया।

इसके जरिये धारा 5-सी जोड़कर पहली बार सेक्स के लिये धन देने अथवा धन देने का प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति को दंडित करने का प्रस्ताव किया गया है। इन संशोधनों का उद्देश्य महिलाओं में अनैतिक वेश्यावृत्ति रोकना बताया गया है। इसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि जो भी स्त्रियां व्यापारिक सेक्स का काम करती हैं वे इसमें जबरन लाई जाती हैं। जैसा कि उक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है, असलियत यह है कि इनमें से अधिकांश को ऐसा करने पर मज़बूर नहीं किया गया है।

यौनकर्मियों ने जो बयान दिए हैं उनसे किसी और हक़ीक़त का पता चलता है। जैसा कि पुष्पलता कहती हैं, "हम में बहुत कम ऐसी हैं जिन्हें इस धंधे में धकेला गया है। बाकी यहां अपनी मर्ज़ी से आई हैं।"

यदि इन हालात पर गौर करें तो यह ज़रूरी हो जाता है कि इस धंधे को एक स्पष्ट व्यावसायिक पहचान देना ज़रूरी है। यौनकर्म के धंधे में लगी स्त्री को यह अवसर देना ज़रूरी है कि वह आज़ादी, गरिमा के साथ जीविकोपार्जन का अपना मौलिक अधिकार प्राप्त करे, जिसकी भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को गारंटी दी है।

दूरगामी व्यापक दृष्टिकोण की ज़रूरत

प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य वेश्यावृत्ति से जुड़ी मानव तस्करी की समस्या सुलझाना है। यह ध्यान देने की बात है कि मानव तस्करी के कई अन्य रूप हैं। स्थिति में तब तक बदलाव नहीं आएगा जब तक यह न स्पष्ट हो कि मानव तस्करी का कौन शिकार है, कौन इसके पीछे है और इस बुराई का ज़िम्मेदार किसे माना जाए। इन सभी बातों पर ध्यान देने पर संभवत: पूरे कानून को ही बदलना पड़ेगा या फिर एकदम नया विधेयक लाना होगा। स्थिति के पूरे अध्ययन के बिना वर्तमान उपधाराओं में ही फेरबदल लाना नाकाफी होगा और इसके परिणामस्वरूप सेक्सवर्करों की रोज़ी-रोटी पर बुरा असर पड़ सकता है और असली समस्या भी ज्यों की त्यों रहेगी। मानवीय शोषण का वेश्यावृत्ति से कुछ संबंध हो सकता है लेकिन यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे समग्र रूप से सुलझाना होगा।

वर्तमान में इस मुद्दे पर जो चर्चा हो रही है उसके जरिये मानव तस्करी के विस्तृत मुद्दे पर बहस शुरू की जा सकती है और मानव तस्करी वेश्यावृत्ति का एक भाग है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस समस्या और इसके परिणामों को समझा जा रहा है। इसी के चलते मानव तस्करी निवारण, दमन एवं दंड प्रोटोकॉल तैयार किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य ख़ासतौर से महिलाओं और बच्चों में तस्करी रोकना है। इसे 'अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध-2000' के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र समझौते के पूरक के रूप में तैयार किया गया है। इसमें तस्करी को विस्तार से परिभाषित किया गया है।

इसमें यौन शोषण से संबद्ध मानव तस्करी को ही नहीं उन मज़बूर बच्चों को भी शामिल किया गया है जिन्हें जबरन घरेलू नौकर या ख़तरनाक उद्योगों में मज़दूरी के लिये लगाया जाता है। इस प्रोटोकॉल की धारा 3ए में तस्करी की स्पष्ट परिभाषा दी गई है- "मानव तस्करी का मतलब होगा धमका कर, ताक़त का इस्तेमाल करके या ज़ोर-ज़बरदस्ती, अपहरण, छल-फ़रेब, धोखा, चालाक़ी करके, ताक़त का दुरुपयोग करके अथवा किसी की हालत ख़राब (कमज़ोर) करके या पैसे अथवा लाभ ले या देकर किसी व्यक्ति को नियंत्रण में लेने और शोषण करने के लिये उसकी सहमति प्राप्त करना और ऐसा करते हुए उसे भरती करना, लाना ले जाना, स्थानांतरण करना, पनाह देना और अपने वश में करना।" शोषण में किसी अन्य की वेश्यावृत्ति से अनुचित लाभ उठाना, किसी भी रूप में यौन शोषण करना, जबरन श्रम या सेवा कराना, गुलामी कराना या इसके समान काम लेना, अंग विच्छेद करना शामिल हैं।

उक्त परिभाषा को ध्यान में रखते हुए अधिक संगत होगा कि यौन कार्य को मानव तस्करी के अंग के रूप में देखा जाए, इसके अन्यथा नहीं तथा इसके अनुरूप ही कानून बनाए जाएं। भारत ने 2002 में इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसका निहितार्थ यह है कि भारत ने इस प्रोटोकॉल को लागू करने का फैसला कर लिया है। लेकिन आईटीपीए में प्रस्तावित संशोधनों से मानव तस्करी की समस्या उस रूप में दूर नहीं होगी कि सारा ध्यान वेश्यावृत्ति से हटकर मानव तस्करी के अन्य रूपों पर भी जाए। यही वह मुद्दा है जो संशोधनों में प्रतिबिंबित होना चाहिए। ❑

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं और विकासात्मक विषयों पर लिखती हैं
ई-मेल : bharathiksg@gmail.com)

देह-व्यापार अपराध नहीं

ग्राहकों को दंडित करके यौनकर्मियों की सहायता नहीं की जा सकती

● बिशाखा दत्ता
सिद्धार्थ दुबे

पिछले लगभग डेढ़ वर्षों से यौन कर्मियों के संगठनों का कोलकाता से लेकर केरल तक अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम (आईटीपीए), 1956 में प्रस्तावित संशोधनों का विरोध जारी रहा है। यौनकर्मियों को ऐसा लग रहा है कि इन संशोधनों से उनकी दशा बद से बदतर हो जाएगी। पर सवाल यह है कि क्या कोई उनकी आवाज़ सुन रहा है?

संसद में इन संशोधनों को पेश करने से पहले ही 8 मार्च, 2006 को कम-से-कम 4,000 यौनकर्मियों ने दिल्ली की सड़कों पर रैली निकालकर राजनीतिक तौर पर और सार्वजनिक तौर पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी कि संशोधनों के कारण वे बची-खुची जीविका से भी वंचित हो जाएंगी। उसके दो महीने बाद महिला और बाल विकास विभाग ने ठीक उसी रुप में संशोधन संसद में पेश किए।

इन संशोधनों में ऐसा क्या है कि यौन कर्मी इसके खिलाफ हैं? सबसे पहले इन संशोधनों के द्वारा सभी ग्राहकों को अपराधी माना जाएगा। इससे यौनकर्म को अपराध अथवा उत्पीड़न मानने वालों को संतुष्ट किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, इसकी मौन स्वीकृति देनेवाले पुलिसकर्मियों को और भी अधिक धन इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। लेकिन यौनकर्मियों अथवा उनलोगों की नज़र में इसका कोई अर्थ नहीं है जो वयस्कों की यौन क्रिया को उत्पीड़न के स्थान पर व्यापार और आपराधिक गतिविधि के स्थान पर सहमति पर आधारित समझते हैं।

यदि वैचारिक स्तर पर देखा जाए तो मुद्दा यह है कि वयस्कों के बीच धन के बदले किसी प्रकार की यौन क्रिया, चाहे वह विपरीतलिंगी हो या समलैंगिक, चाहे विवाह के माध्यम से हो अथवा विवाहेतर, उन्हें आपराधिक दायरे में क्यों देखा जाए। यहां निर्णायक शब्द 'सहमति' और 'वयस्क' हैं। यदि ये दो शर्तें पूरी होती हैं तो इस प्रकार की यौन क्रिया किसी अपराध के दायरे में नहीं आती। किंतु दुर्भाग्य से ऐसी सोच की प्रधानता नहीं है। आईटीपीए के अधीन कानून अस्पष्ट है और इसके अनुसार, वेश्यावृत्ति अपराध नहीं है। जब इसे वर्ष

1956 में एसआईटीए (अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम) के रूप में पेश किया गया था तब कानून की निर्माता वेश्यावृत्ति में शामिल महिलाओं को दंडित करने के इच्छुक नहीं थे, क्योंकि वे इन्हें पीड़ितों के रूप में देखते थे। वास्तव में उन्होंने इन महिलाओं से कमाई करने वालों अथवा इनका शोषण करने वालों को दंडित करने का निर्णय किया था। यही कारण है कि वेश्यावृत्ति को अपराध के रूप में परिभाषित नहीं किया गया। किंतु इसके इर्द-गिर्द कई प्रकार की गतिविधियों जैसे- इसके लिये लालच देने, वेश्यालय चलाने और दलाली करने को अपराध के दायरे में रखा गया। इस वैधानिक ढांचे को उस समय भी कायम रखा गया जब वर्ष 1986 में एसआईटीए को मौजूदा आईटीपीए के रूप में संशोधित किया गया।

वेश्यावृत्ति में शामिल महिलाओं के नज़रिये से इस बात का कोई मतलब नहीं है कि वे लालच नहीं दे सकतीं। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई अपने व्यापार के लिये विज्ञापन नहीं दे सकता। भारतीय कानून निर्माताओं द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी पुलिस की है। कई अध्ययनों से इस बात का पता चला है कि कानून निर्माताओं की उत्तम मंशाओं के बावजूद पुलिस बल द्वारा यौनकर्मियों को लालच देने के आरोपों के आधार पर प्रताड़ित किया गया और आपराधिक आरोपों से बरी करने के बदले रिश्वत के रूप में धन उगाही की गई। ज्यां डी कुन्हा द्वारा मुंबई में वर्ष 1980 से 1987 के बीच किए गए अध्ययन से इस बात का स्पष्ट रूप से रहस्योद्घाटन हुआ कि वेश्याएं आईटीपीए से सर्वाधिक पीड़ित थीं। मुंबई पुलिस अधिनियम और आईटीपीए के अधीन लालच देने के मामले में महिलाओं की संख्या उनकी तुलना में काफी अधिक थी जो उसी कानून के अधीन वेश्यालय चलाने अथवा दलाली करने के आरोप में गिरफ़्तार किए गए थे।

आज भी पूरे भारत में यौनकर्मी लगातार गिरफ़्तार की जाती हैं और वे तब भी गिरफ़्तार किए जाते हैं जब लालच नहीं दे रही होती हैं। एड्स की रोकथाम के काम में जुटे कर्मियों और यौनकर्मियों के बीच कंडोम वितरण करने वालों तथा उन्हें एचआईवी की रोकथाम के बारे में जानकारी देने वालों को भी पुलिस वाले प्रताड़ित करते हैं। आईटीपीए के प्रस्तावित संशोधनों में लालच देने पर लागू प्रतिबंध हटा लिये जाएंगे। यह एक स्वागतयोग्य कदम है। लेकिन ग्राहकों को लुभाने के विरुद्ध दंड हटाने का क्या फायदा होगा जब ग्राहकों को अपराधी साबित करने वाले प्रावधानों के अधीन पुलिस यौनकर्मियों को प्रताड़ित करने का सिलसिला जारी रखेगी? प्रस्तावित संशोधनों द्वारा एक भ्रम को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा भ्रम कायम की जा रहा है।

आईटीपीए का प्रस्तावित संशोधन भ्रमित करने वाला है। अनैतिक व्यापार और वेश्यावृत्ति के बीच स्पष्टता नहीं है और इसके परिणामस्वरूप वैधानिक ढांचे के माध्यम से दोनों में से किसी के साथ भी न्याय नहीं हो सकता है। वैसे लोग जो वेश्यावृत्ति को समाप्त करने के हिमायती हैं, वे भी हमेशा इस बात पर ज़ोर देते हैं कि अनैतिक व्यापार और वेश्यावृत्ति एक समान है, पर वेश्याओं का अनुभव यह दर्शाता है कि अवैध व्यापार और वेश्यावृत्ति एक नहीं है। निश्चित रूप से अवैध व्यापार और वेश्यावृत्ति एक-दूसरे के साथ संबंधित हैं, परंतु इनका कुछ हिस्सा आपस में मिलता है पर अधिकांश हिस्सा भिन्न है। यह बात सच है कि भारत में लड़कियों और महिलाओं के साथ धोखा किया जाता है। उनके साथ जोर-जबरदस्ती की जाती है और उन्हें वेश्यावृत्ति के लिये बेच दिया जाता है। कुछ मामलों में उनसे अवैध रूप से घरेलू काम कराए जाते हैं और उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें शादी करने के लिये बाध्य किया जाता है। लेकिन बड़ी संख्या में भारतीय महिलाएं केवल अनैतिक व्यापार द्वारा ही वेश्याएं नहीं बनती हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर वंचित होने के कारण, अन्य रोज़गार नहीं मिलने की स्थिति में भी बहुत-सी महिलाएं जीविकोपार्जन के लिये इस धंधे को अपनाती हैं।

आईटीपीए और प्रस्तावित संशोधन दोनों से ही कानून की भूमिका के बारे में मौलिक रूप से अस्पष्टता का पता चलता है। समसामयिक समाज में अपराध कानून की क्या भूमिका है? क्या यह अपराध का विनियमन करता है अथवा जनता की नैतिकता का विनियमन करता है?

एक लोकतांत्रिक समाज में कानून किस प्रकार बनता है? यह उस शासक वर्ग द्वारा नहीं बनाया जाता है जो यह फैसला करता है कि जनता का विनियमन किस प्रकार होना चाहिए। यह उन प्रक्रियाओं का परिणाम है जो बनाए जाने वाले कानूनों से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले लोगों की आवाज़ सुनने के साथ-साथ उसके प्रति उत्तरदायी हैं।

पिछले एक वर्ष से अधिक समय से वेश्यावृत्ति में शामिल महिला और यौनकर्मी अधिकार समूहों ने इस मुद्दे पर विचार करने हेतु गठित संसदीय स्थायी समिति के सदस्यों के सामने सक्रियतापूर्वक अपना पक्ष रखा है। पिछले वर्ष की शुरुआत में प्रस्तावित संशोधनों को स्वास्थ्य मंत्रालय के पास वापस भेजा गया था। हाल में अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रालय ने यह सुझाव दिया कि ग्राहकों और यौनकर्म को अंतर करने वाले संशोधन को हटा देना चाहिए। यह समय का तक़ाज़ा है कि हम यौनकर्मियों की आजीविका को पूरी तरह नष्ट करने से पहले उनकी आवाज़ सुनें।❑

(लेखकद्वय ने यौनकर्म से संबंधित मुद्दों पर कई पुस्तकें लिखी हैं।

साभार: द टाईम्स ऑफ इंडिया)

यौनकर्मियों के कल्याण को समर्पित भारतीय पतिता उद्धार सभा

● **खैराती लाल भोला**

भारतीय पतिता उद्धार सभा की स्थापना 1984 में यौनकर्मियों और उनके बच्चों के पुनर्वास और उत्थान के उद्देश्य से की गई थी। इस सभा ने यौनकर्मियों और उनके बच्चों को राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने और समाज में मान्यता दिलाने के लिये 17 साल की अवधि में अनेक कार्य किए हैं। इनमें प्रमुख कार्य हैं :

- पतिता उद्धार सभा पक्की सूचना मिलने पर कोठा मालिकों के चंगुल से यौन सेविकाओं को मुक्त कराने के अलावा उन्हें सरकारी संरक्षण गृहों में भेजती है।
- सभा ने सभी यौन सेविकाओं को हेल्थ कार्ड, राशन कार्ड और चुनाव आयोग का फोटो पहचानपत्र देने के लिये केंद्र और राज्य सरकारों से संपर्क बनाए हैं। अभी भी क़रीब 80 सेक्स वर्कर और उनके बच्चों को ये कार्ड नहीं मिले हैं।
- दिल्ली सरकार ने यौन कर्मियों को मुफ़्त चिकित्सा सहायता देने के इरादे से रेड लाइट इलाके में मोबाइल डिस्पेंसरी वैन नियुक्त कर रखी है। सूरत नगर निगम ने भी रेड लाइट इलाके में एक डिस्पेंसरी खोली है। इसके अलावा बड़ी संख्या में चिकित्सा अधिकारी भी देश के तमाम रेड लाइट इलाकों में मेडिकल जांच के लिये जाने को तैयार हैं।
- समय-समय पर राज्य सरकारों के स्वास्थ्य विभागों से अनुरोध किया जा रहा है कि रेड लाइट इलाकों में आवश्यकता के अनुसार कंडोम की सप्लाई सुनिश्चित की जाए। लेकिन बार-बार अनुरोध करने के बावजूद महीने की आवश्यकताओं के मुताबिक इन्हें कंडोम नहीं दिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के ताज़ा आदेश के अनुसार, इस इलाके में कुल आवश्यकता के 50 प्रतिशत कंडोम मुफ़्त वितरित किए जाएंगे। जबकि शेष 50 प्रतिशत के लिये पैसा लिया जाएगा। पतिता उद्धार सभा ने संबंधित विभाग से अनुरोध किया है कि वह निःशुल्क कंडोम उपलब्ध कराए।
- भारतीय पतिता उद्धार सभा ने यौन सेविकाओं के बच्चों, विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं के लिये वाराणसी और इलाहाबाद में बालविद्या निकेतन खोले हैं। इन केंद्रों में क़रीब 140 बच्चे पढ़ रहे हैं। इनके अलावा सभा ने यौन सेविकाओं के 310 बच्चों को दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित ग्रामीण कुटीर गृहों में भेजा है।
- सभा सभी रेड लाइट इलाकों में समय-समय पर एड्स के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिये विशेष कार्यक्रम भी आयोजित करती है।

भारतीय पतिता उद्धार सभा के सामने दो सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र हैं :

i) यौन सेविकाओं के लिये कल्याणकारी उपाय शुरू करना और इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के धंधे पर काबू पाना।

ii) यौन सेविकाओं के बच्चों को शिक्षित करना।

यह सर्वविदित सत्य है कि यौन सेविकाएं समाज का एक अंग हैं और इनकी उपस्थिति के बगैर कोई समाज रह नहीं सकता है। यौन पिपासुओं को एक ही स्थान पर सीमित रखने में यौन सेविकाएं अगर नहीं हों तो आज शायद प्रत्येक कालोनी और सड़क पर बलात्कार की घटनाए घटित हों।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इस समय देश के 2,75,000 कोठों में लगभग 23 लाख यौनकर्मी 52 लाख बच्चों के साथ रहती हैं। कुल मिलाकर देश में 1,100 रेडलाइट इलाके हैं। आज़ादी के बाद से देश में यौन सेविकाओं की सही संख्या का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है, जबकि सरकार ने नेत्रहीनों, कुष्ठ रोगियों, कैदियों, चोरों और विकलांगों आदि के लिये सर्वेक्षण कराए हैं। लेकिन समाज के इस वर्ग की पूरी तरह उपेक्षा कर दी गई है।

हाल के समय में दिल्ली से मुंबई वाया जयपुर और दिल्ली से कोलकाता जैसे राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनेक चकलाघर खुल गए हैं। यही हाल अन्य राजमार्गों का है। इसके अलावा इस धंधे में बड़ी संख्या में कॉलगर्ल भी सक्रिय हैं।

बच्चों का यौन शोषण और उनका क्रय-विक्रय दुनियाभर में एक बड़ी समस्या है। करोड़ों बच्चे पहले से ही देह व्यापार के बाज़ार में हैं, इनमें से क़रीब 20 लाख लड़कियों की उम्र तो पांच से 15 साल के बीच है। अत्यधिक जनसंख्या, बढ़ते शहरीकरण और बढ़ती ग़रीबी आदि के कारण यौनाचार के लिये बच्चों के धंधे के लिये एशियाई क्षेत्र उपयुक्त सच्चाई है। बेरोज़गारी, ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त ग़रीबी और अमीर और ग़रीब वर्ग में बढ़ती असमानता आदि से तीसरी दुनिया के देशों में यौन सेविकाओं की संख्या बढ़ी है। उत्तरी अमरीका, ब्रिटेन और यूरोप के संपन्न देशों में भी इस तरह की समस्या है। इस पेशे में हर साल क़रीब दस लाख लड़कियां आती हैं।

भारत में अनेक रूपों में वेश्यावृत्ति अथवा अनैतिक देह व्यापार अथवा व्यावसायिक रूप से यौन शोषण हो रहा है। इन्हें वेश्या, नाचने और गाने वाली लड़कियों, कॉलगर्ल के अलावा धार्मिक और परंपराओं को अपनाने के नाम पर आंध्र प्रदेश में देवदासी और जोगिन कर्नाटक में बसावी और बेहरिया जैसे नामों से जाना जाता है।

महिलाओं और यौनकर्मियों के बच्चों का धंधा और व्यावसायिक रूप से यौन शोषण की घटनाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर और खासकर गैरसरकारी संगठनों और स्थिति के प्रति चिंतित नागरिकों में प्रमुखता पा रही हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने वेश्यावृत्ति को सबसे प्राचीन शोषण करार दिया है। इतिहास के विभिन्न चरणों में वेश्यावृत्ति को कभी नज़रअंदाज तो कभी नियंत्रित किया गया। इसे कभी बढ़ावा दिया गया तो कभी इस पर प्रतिबंध भी लगाया गया। देह व्यापार का धंधा, चकलाघरों और रेडलाइट इलाकों में अधिक केंद्रित है। प्रमुख राजमार्गों के निकट, मसाज पार्लर, गेस्ट हाउस, कैबरे, महिला परिचारिका सेवा के रूप में भी इस धंधे का विस्तार हुआ है।

महिलाओं और बच्चों की खरीद-फरोख़्त तथा उनके यौन शोषण से महिलाओं और बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। यौन शोषण की शिकार महिला और बच्चे पर इसका जो सामाजिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, वह बहुत अधिक गंभीर और जीवनभर रहने वाला होता है। यौन शोषण की शिकार महिलाओं और बच्चों में से 60 से 80 प्रतिशत अनेक बीमारियों की चपेट में होते हैं। अनचाहा गर्भ, प्रसव के दौरान मृत्यु, यातना, शारीरिक चोट, शारीरिक विकलांगता, मानसिक यंत्रणा और यौनजनित बीमारियां आम बात हैं।

देह व्यापार के धंधे में यौन शोषण की शिकार महिला और बच्चे हमेशा ही पुलिस, दलाल और चकलाघर के मालिकों के भय से भयभीत रहते हैं। इस धंधे में शामिल महिलाओं के बच्चे अवैध बच्चे के कलंक के साथ पैदा होते हैं और समाज द्वारा उपेक्षा मिलने पर इनके आपराधिक तत्वों के चंगुल में पड़ने का ख़तरा बना रहता है।

भारत की वेश्याओं का विवरण

- देश में करीब 86 प्रतिशत यौन सेविकाएं छह राज्यों- आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की हैं।
- 2.6 प्रतिशत यौनकर्मी नेपाल और 2.17 प्रतिशत यौनकर्मी बांग्लादेश की हैं।
- 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों की हैं।
- 71 प्रतिशत भारतीय यौन सेविकाएं निरक्षर हैं और 74 प्रतिशत यौन सेविकाओं के परिवार बेरोज़गार अथवा अकुशल मज़दूर हैं।
- अधिकांश यौन सेविकाओं के दो बच्चे हैं ।

भारत में बाल वेश्यावृत्ति

देश में 15 प्रतिशत यौन सेविकाएं 15 साल से कम और क़रीब 25 प्रतिशत 18 साल से कम उम्र की हैं।

वेश्यावृत्ति में लिप्त बच्ची प्रतिदिन औसतन 3 से 5 ग्राहकों को संतुष्ट करती हैं।

भारत में यौन सेविका की आमदनी छह व्यक्तियों में बंटती है। इनमें कोठे की मालकिन, भडुआ, दलाल, साहूकार, राशन वाला और पुलिस शामिल हैं। ये वेश्याएं अत्यधिक शोचनीय हालात में अपना जीवन गुजारती हैं। इन्हें ताज़ा हवा और साफ पीने का पानी नहीं मिलता। दिल्ली में प्रत्येक कोठे पर 30 से 50 वेश्याएं अपने बच्चों के साथ रहती हैं।

इन वेश्याओं के जीवनस्तर को ध्यान में रखते हुए ही मांग की जा रही है कि वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता दी जाए, ताकि इस धंधे में लिप्त महिला अपनी आमदनी अपने पास रख सके। आज दुनिया के 156 देशों ने वेश्यावृत्ति को कानूनी दर्ज़ा प्रदान कर दिया है।

कोलकाता में हुए दो सम्मेलनों के दौरान यौनकर्मियों ने ट्रेड यूनियन की मांग की है, क्योंकि उनका कहना है कि यौनाचार के काम को पूरा करने में उन्हें बहुत अधिक शारीरिक परिश्रम करना पड़ता है। यौनाचार के दौरान कई बार उन्हें चोट भी लग जाती है जिसकी भरपाई की जानी चाहिए। अभी तक उनकी मांग मानी नहीं गई है।

10 राज्यों में भारतीय पतिता उद्धार सभा के कार्यालय हैं। गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, चेन्नई, राजस्थान और केरल से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, पिछले कुछ सालों में नेताओं, अधिकारियों, भूमाफिया, बिल्डर और स्थानीय लोगों की सांठगांठ से पुलिस वेश्याओं को बुरी तरह परेशान करती है, ताकि वे दो सौ-तीन सौ सालों से बने अपने ठिकानों से पलायन कर जाएं। ये इलाके अब शहर के बीच में आ गए हैं। कुछ समय पहले सूरत पुलिस ने वेश्याओं को उनके इलाके से शहर के बाहरी छोर पर भेज दिया। इस तरह की स्थिति अन्य शहरों में भी उत्पन्न हो सकती है।

कानूनी नज़रिया और दायरा

सदियों से भारत में महिलाओं का शोषण होता आ रहा है और उन्हें न्याय से वंचित रखा जा रहा है और कमजोर मानकर नज़रअंदाज़ किया जा रहा है। यह दुर्भाग्य की बात है कि संविधान में प्रदत्त लिंग समानता और सामाजिक न्याय से प्रावधान के बावजूद महिलाओं के साथ भेदभाव और उनका शोषण आज भी हो रहा है। अनेक राज्यों में महिलाओं की खरीद-फरोख़्त और उन्हें जबरन काम के लिये बाध्य करना आम अपराध है। महिलाओं और लड़कियों का अनैतिक व्यापार कानून, 1956 में वेश्यावृत्ति को अपराध माना गया है, जिसके लिये ग्राहक को दंडित नहीं किया जाता था। बाद में इस कानून में संशोधन करके इसे अनैतिक व्यापार निवारण कानून, 1986 का नाम दिया गया। अब इस कानून की समीक्षा हो रही है।

उच्चतम न्यायालय के आदेश

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चों और महिलाओं को यौन शोषण और यौन शोषण की शिकार महिला के बच्चों के बचाव और पुनर्वास के सवाल पर दो महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। बाल वेश्यावृत्ति के बारे में विशालजीत बनाम भारत संघ नाम की जनहित याचिका में न्यायालय ने 2 मई, 1990 को अपने फैसले में कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को सलाहकार समिति गठित करनी चाहिए। लेकिन अभी तक अनेक राज्य सरकारों ने सलाहकार समिति का गठन नहीं किया है।

गौरव जैन बनाम भारत संघ नाम के एक अन्य मामले में न्यायालय ने 9 जुलाई, 1997 को वेश्यावृत्ति, बाल यौनकर्मी और यौनकर्मियों के बच्चों की समस्याओं के बारे में गहराई से अध्ययन और इनके बचाव और पुनर्वास के लिये समुचित योजनाएं तैयार करने के लिये एक समिति गठित करने का निर्देश दिया था। दिल्ली जैसे कुछ राज्यों ने तो इस तरह की समिति का गठन कर लिया है, लेकिन नियमित बैठकों के बावजूद इस बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। इस तरह यौन सेविकाओं की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

केंद्र और राज्य सरकारों के समक्ष मुख्य मुद्दा इनके पुनर्वास का है। यह समस्या इतनी जटिल है कि इसे लगन, दृढ़संकल्प और निष्ठा के बगैर हल नहीं किया जा सकता। यौनकर्मियों की समस्याओं का समाधान करने के लिये समुचित धन और ईमानदार पुलिस कर्मियों के अलावा बड़ी संख्या में अन्य लोगों की आवश्यकता है। वित्तीय सीमाओं के कारण सरकार वेश्याओं के कल्याण की योजनाओं पर अमल करने में विफल रही है। गैरसरकारी संगठनों और जनता को भी वेश्याओं की निरंतर बढ़ती समस्या से निपटने के लिये पर्याप्त धन और अधिकार नहीं दिए गए हैं। सरकार द्वारा अप्रभावकारी कदमों के कारण स्थिति और अधिक बिगड़ी है।

जैसाकि हम जानते हैं कि यौनकर्मियों और उनके बच्चों में अधिकांश अशिक्षित हैं और उन्हें संविधान में प्रदत्त अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान तक नहीं है। उन्हें 'सीता' और 'पीता' कानूनों के प्रावधानों की भी जानकारी नहीं है। पुरुष साथी के अभाव में यौन सेविकाएं अपनी आवाज़ उठाने में असमर्थ हैं, इसलिये वे बंधुआ मज़दूरों की तरह ज़िंदगी गुज़ार रही हैं।

स्थिति की संगीनता और इस दिशा में सरकार की उदासीनता को देखते हुए पतिता सभा ने वेश्याओं के बच्चों को शिक्षित करने को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। इसे पतिता उद्धार में रखते हुए सभा ने 31 जनवरी, 1995 में वाराणसी में बाल विकास और देखभाल केंद्र और 5 मई, 1996 को इलाहाबाद में दूसरा केंद्र स्थापित किया। इन स्कूलों में कुल 140 बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड प्रत्येक स्कूल को 1,57,904 रुपये की अनुदान मदद दे रहा है। यह अनुदान 1986 की स्केल के आधार पर स्वीकृत किया गया है और इसके ऊपर के खर्चों को सभा वहन कर रही हैं।

स्कूल के छात्रों को मुफ़्त शिक्षा, पुस्तकें, स्टेशनरी, दिन का भोजन, यूनीफार्म, मेडिकल चेकअप, मनोरंजन एवं यात्रा की सुविधा दी जाती हैं।

भारतीय पतिता उद्धार सभा सूरत, मुंबई, आगरा, फिरोजाबाद, बस्ती, वाराणसी, पुणे, नागपुर, राजकोट, हैदराबाद, अन्नपति, बंगलुरु, कोलकाता, मुजफ्फरपुर, चेन्नई, भोपाल, भुवनेश्वर और दिल्ली में ऐसे ही केंद्र स्थापित करने के लिये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के महिला और बाल कल्याण विभाग तथा केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड को अनेक परियोजनाएं दे चुका है। लेकिन वित्तीय सीमाओं के कारण सरकार ने अभी तक एक भी परियोजना को मंजूरी नहीं दी है। ❑

(लेखक नयी दिल्ली स्थित भारतीय पतिता उद्धार सभा के अध्यक्ष हैं।

ई-मेल : bpusll@yahoo.co.in)

प्रताड़ित यौनकर्मी सहकारिता बैंक स्थापित करेंगे

● राधेश्याम जाधव

अहमदनगर की यौनकर्मी एक अभिनव उद्देश्य से मुलाक़ात कर रही हैं। वे अपना सहकारिता बैंक स्थापित करना चाहती हैं। बैंकों द्वारा नीचा दिखाए जाने और महाजनों के शोषण से टूटी हुईं इन महिलाओं ने अपनी बचत राशि को एक ऐसे सहकारिता बैंक में रखने का निर्णय लिया है जिसका संचालन खुद उनके हाथों में हो।

एचआईवी की शिकार और अपनी दृष्टि गंवा चुकी सुनीता का कहना है कि कोई बैंक उन्हें ऋण नहीं देता है और निजी क़र्ज़दाता उनसे काफी ऊंची दर पर ब्याज वसूल करते हैं। वे जब भी सोने के रूप में बचत करने की कोशिश करती हैं तो उसे छीन लिया जाता है अथवा चुरा लिया जाता है। बीमारी के इलाज के लिये भी उन्हें महाजनों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। वह बताती है कि अपनी युवावस्था में उसने बचत का तनिक भी महत्व नहीं दिया पर अब वह कंगाल हो चुकी है।

एक स्थानीय गैरसरकारी संगठन 'स्नेहालय' द्वारा यौनकर्मियों को संगठित किया जा रहा है। इस गैरसरकारी संगठन से संबंद्ध गिरीश कुलकर्णी के अनुसार, अब तक 300 महिलाएं शेयरधारक बनने के लिये 500 रुपये का भुगतान करने के लिये सहमत हुई हैं और उन्हें इस बात का विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में पूंजी बढ़कर 1.50 लाख रुपये हो जाएगी।

अहमदनगर की 14 महिलाओं के एक समूह ने हाल में कोलकाता का दौरा किया और कोलकाता के यौनकर्मियों द्वारा स्थापित सहकारी बैंक की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया। अहमदनगर की 2,500 यौनकर्मियों द्वारा एक सहकारी बैंक का संचालन एक अच्छा प्रयोग है और वे इसमें खरा उतरेंगी। मीना का कहना है कि हम वर्ष 2002 से लेकर छह लघु बचत समूहों का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं और हमने उत्तरदायित्व की भावना विकसित की है।

इन महिलाओं ने अहमदनगर के उप-जिला पंजीयक और राज्य के सहकारिता मंत्री पतंगराव कदम से मुलाक़ात करके उनसे अपने प्रयासों को आसान बनाने हेतु नियमों में संशोधन करने की मांग की है। राज्य सहकारिता अधिनियम के अनुसार, कम से कम 10 लाख रुपये की पूंजी और 4,000 सदस्य होना एक सहकारी संस्था की स्थापना की पूर्व शर्तें हैं। ❑

मीना खातून की कहानी

मीना खातून उत्तरी बंगाल के एक गांव में पैदा हुई थी। वह जब महज 8 वर्ष की थी तभी उसके पड़ोसियों ने उसे कटिहार के एक वेश्यालय में बेच दिया। मीना खातून बताती है कि वह 18 वर्ष की उम्र में अपनी पांच वर्ष की एक पुत्री और तीन वर्ष के एक पुत्र को छोड़कर उस वेश्यालय से भाग निकली। उसने सोचा कि बाद में वापस आकर बच्चों को साथ ले जाएगी। लेकिन पूर्णिया के निकट एक अन्य रेडलाइट क्षेत्र में उसे वेश्यावृत्ति के दलदल में फिर से धकेल दिया गया। वह फिर वहां से भागकर फारबिसगंज के रेडलाइट इलाके में पहुंची और काफी प्रयास के बाद पान की अपनी छोटी-सी दुकान शुरू कर दी। उसके बाद उसकी दो और बेटियां हुईं।

जब 'अपने आप' संगठन ने रेडलाइट इलाके में अपना सामुदायिक केंद्र शुरू किया तो वह काफी खुश हुई और शीघ्र ही उसमें अपना दाखिला करा लिया। इन गतिविधियों में शामिल होने के बाद उसे मसूरी जाने का अवसर मिला जहां उसे क्रैच चलाने का प्रशिक्षण मिला। उसकी दो बेटियां 'अपने आप' स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, फिर भी वह अपनी बड़ी बेटी के लिये काफी बेचैन थी जिसे उनलोगों द्वारा वेश्यावृत्ति में धकेल दिया गया था जिन्होंने खुद इसे भी उस दलदल में धकेला था। मीना ने अनैतिक व्यापार में लिप्त उन दलालों से अपने बच्चों को लौटाने के बारे में बात की लेकिन उसका प्रयास बेकार साबित हुआ।

उसने 'अपने-आप' संगठन से इस बारे में बात की। उसके बाद सब मिलकर पुलिस के पास पहुंच गईं। पुलिस ने उस वेश्यालय पर छापा मार कर मीना की बेटी का बचाव किया। आज उसके सभी बच्चे स्कूल जाते हैं और वह बहुत खुश है क्योंकि वह अनैतिक व्यापार और वेश्यावृत्ति के दुराचारी क्रियाकलाप से अपने सभी बच्चों को बाहर निकालने में सफल हुई है। ❑

मानव तस्करी पर सामुदायिक पहरेदारी
भारत में समन्वित देह-व्यापार विरोधी इकाई (एएचटीयू)

● पी.एम.नायर

दक्षिण एशियाई देशों के संदर्भ में काफी समय पहले से यह समझा जा रहा है कि मानव तस्करी के विरुद्ध विभिन्न पक्षों के बीच सामंजस्य कायम होना चाहिए। इसके बारे में बहुत कुछ बोला गया है और लिखा भी गया है किंतु अब तक इसके विरुद्ध काम करने वाली विभिन्न एजेंसियां और ऐसे विभिन्न हितधारक अलग-अलग काम कर रहे हैं और उनके बीच कोई आपसी तालमेल नहीं है। खास स्थानों में शुरू किए गए संयुक्त प्रयास तदर्थ बनकर रह गए क्योंकि इन्हें संस्थागत रूप नहीं दिया जा सका। एएचटीयू ने कथनी और करनी के बीच के अंतर को पाटने का प्रयास किया है

भारत में 22 जनवरी, 2007 मानव तस्करी के विरुद्ध एक शुरुआत का प्रतीक है। एक नयी शुरुआत और महज एक छोटा कदम होने के बावजूद यह एक क्रांतिकारी कदम के रूप में परिवर्तित हो गया। आंध्र प्रदेश में मानव तस्करी विरोधी पहली इकाई की शुरुआत हुई। हैदराबाद, अनंतपुर और एलुरू में तीन इकाइयां स्थापित की गईं। इस प्रक्रिया में दूसरा राज्य गोवा है जहां मार्च 2007 में एएचटीयू की स्थापना की गई। जून 2007 में पश्चिम बंगाल में इसकी स्थापना हुई और यह इस संदर्भ में तीसरा राज्य बन गया।

आधारभूत सुविधाएं

एएचटीयू की बनावट काफी सरल है। इसके पास एक वाहन (फिलहाल टाटा वेक्टा), कंप्यूटर प्रणाली, सेल फोन और अन्य संचार प्रणाली कानून की पुस्तकों, न्यायालय के नियमनों के रूप में संसाधन सामग्री, फॉरेंसिक उपकरणों, औजारों से लैस जांच बॉक्स तथा विभिन्न गतिविधियों पर आधारित स्तरीय संचालन हेतु मूल प्रतियां (एसओपी), संबंधित एजेंसियों के बीच समझौता ज्ञापन लिखित विवरण रखने के लिये रजिस्टर और रोज़मर्रा की ज़रूरतों की पूर्ति के लिये आकस्मिक निधि उपलब्ध है।

मानव संसाधन

एएचटीयू मानव संसाधनों की संयुक्त शक्ति और मनोवांछित इस्तेमाल में विश्वास रखता है और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर इसे स्थापित किया गया है। इसलिये इनकी कम संख्या के साथ ही इनमें से प्रत्येक की क्षमता बढ़ाने पर ज़ोर दिया जाता है। एएचटीयू के पास जो कर्मचारी हैं वे संचालन और प्रशासन संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम ही नहीं हैं बल्कि पूरी तरह प्रशिक्षित, संवेदनशील और जानकार हैं। संबंधित कानून (अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम, 1956) के अधीन अधिसूचित पुलिस अधिकारी, सहायक अधिकारी (आवश्यकतानुसार पर्याप्त

संख्या में) और गैरसरकारी संगठनों के प्रतिनिधि इसमें प्रमुख भूमिका निभाते हैं। एएचटीयू में उपलब्धता के आधार पर महिला पुलिस अधिकारियों का प्रतिनिधित्व है। ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि इसमें कुल संख्या का कम-से-कम 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व महिलाओं का हो। एएचटीयू को कल्याण, स्वास्थ्य विकास जैसे अन्य सरकारी विभागों के अधिकारियों से भी सहायता मिलती है और ज़रूरत पड़ने पर उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं। एएचटीयू के पास उन लोगों और एजेंसियों की एक निर्देशिका होती है जिनसे सहायता प्राप्त करने हेतु संपर्क किया जा सके। इनमें सरकार और गैरसरकारी संगठनों द्वारा संचालित आश्रमों के साथ ही मनोचिकित्सक सामाजिक सलाहकारों, कानूनी सलाहकारों आदि जैसे विशेषज्ञों की सूची भी शामिल है।

एएचटीयू के लिये कानूनी सहायता

भारतीय संविधान की अनुच्छेद 23 में देह व्यापार की रोकथाम संबंधी शासनादेश शामिल है। इसके अलावा संविधान के अन्य प्रावधानों में विभिन्न महत्वपूर्ण और प्रक्रिया संबंधी कानून हैं जो पुलिस अधिकारियों को अपराधों की रोकथाम करने, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा चलाने और देह व्यापार के अपराधों से पीड़ित लोगों को संरक्षण प्रदान से संबंधित गतिविधियों के लिये शासनादेश देने के साथ-साथ शक्ति प्रदान करते हैं। देह व्यापार की समस्या के समाधान के लिये अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 में, 1986 में संशोधन किए गए हैं। इसके अधीन विशेष पुलिस अधिकारियों और अन्य पुलिस अधिकारियों को तलाशी करने, पीड़ितों का बचाव करने, नियमों का उल्लंघन करने वालों को गिरफ़्तार करने आदि जैसे विभिन्न अधिकार प्रदान किए गए हैं। (संदर्भ: अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम की धारा 15, 16)।

नागरिक समाज के भागीदारों को कानूनी सहायता देने के क्रम में देह व्यापार के खिलाफ़ मौजूदा भारतीय कानूनी व्यवस्था बेजोड़ है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 43 इसका उदाहरण है, जो किसी व्यक्ति (गैरसरकारी संगठन सहित) को अनैतिक व्यापार में शामिल व्यक्ति सहित किसी उल्लंघनकर्ता को गिरफ़्तार करने की शक्ति प्रदान करता है। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम की धारा 13(3)(बी) में गैरसरकारी संगठनों को शामिल करते हुए एक सलाहकार निकाय की स्थापना का प्रावधान है जिसमें महिलाओं सहित अधिकतम पांच व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। इस निकाय का काम अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम की कार्यप्रणाली के बारे में विशेष पुलिस अधिकारियों को सलाह देना है। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम की धारा 16 के अनुसार गैरसरकारी संगठनों को कार्यपालक दंडाधिकारी सहित किसी दंडाधिकारी के पास सीधे तौर पर जाने का अधिकार है और ये वहां से अनैतिक व्यापार का शिकार बने किसी व्यक्ति के बचाव के लिये आदेश प्राप्त कर सकते हैं। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम की धारा 17(5) के अंतर्गत दंडाधिकारी को पांच नागरिकों (गैरसरकारी संगठनों) के एक पैनल को सूचना भेजने का अधिकार है, जिनमें जहां तक संभव हो तीन महिलाएं शामिल होनी चाहिए जो बचाव किए गए लोगों की हिरासत के बारे में सहायता करें। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम की धारा 17-ए के अधीन बचाव किए गए व्यक्ति की उसके अपने घर में वापसी के आदेश देने से पहले दंडाधिकारी को किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था अथवा गैरसरकारी संगठन के द्वारा घर की जांच और उसका सत्यापन करना होता है और माता-पिता, अविभावक अथवा पति की क्षमता अथवा वास्तविकता के बारे में आश्वस्त होना पड़ता है। इस प्रकार अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम में इसके क्रियान्वयन के लिए गैरसरकारी संगठनों को विभिन्न रूपों में शामिल किया गया है। इसके अलावा यह अधिनियम केवल पुलिस और न्यायपालिका के कानूनी अधिकारों से ही संबंधित नहीं है, बल्कि कार्यपालक दंडाधिकारी, अनेक सरकारी विभागों और गैरसरकारी संगठनों से भी संबंधित है जो शायद पूरे विश्व में अद्वितीय है। इस प्रकार अनैतिक व्यापार के पीड़ितों के अधिकारों की बहुविध हितधारकों के प्रयासों से व्यापक सुरक्षा की जाती है। एएचटीयू में इस वैधानिक दृष्टिकोण और शासनादेश को शामिल किया गया है।

कार्यप्रणाली

सामान्य तौर पर एएचटीयू का प्रभारी एक पुलिस अधिकारी होता है जो पुलिस उपाधीक्षक के दर्जे का होता है, जिसे राज्य सरकार की ओर से एक विशेष अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया जाता है और वह एएचटीयू की कार्यप्रणाली के नियंत्रण में होता है। एक समर्पित और विशेष कार्यबल के रूप में अपनी सारी समस्याओं को हल करने के शासनादेश के साथ एएचटीयू के निम्नलिखित काम हैं:

- देह व्यापार निरोधक गतिविधियां चलाना,
- पीड़ितों का संरक्षण और पुनर्वास करना जिसमें बचाव और बचाव पश्चात स्थितियों में पीड़ितों की देखभाल और निगरानी शामिल है। साथ ही परामर्श सेवाएं, उनके पुनर्जीवन अथवा वापसी के कदम उठाना, न्याय पाने की प्रक्रिया में विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिये पीड़ितों को तैयार करना भी इसमें शामिल है।
- अपराधों की शीघ्र और व्यावसायिक जांच तथा उल्लंघन करने वालों के खिलाफ़ कारगर तरीके से मुक़दमा चलाना।
- देह व्यापार की रोकथाम के क्षेत्र में सभी संबंधित हितधारकों के साथ मिलकर काम करना।
- बचाव किए गए लोगों को दोबारा देह व्यापार में धकेले जाने से रोकने के लिये हर संभव कदम उठाना।
- सभी उल्लंघनकर्ताओं और संदिग्ध उल्लंघनकर्ताओं का एक डेटाबेस तैयार करना, सभी संबद्ध पक्षों के साथ मिलकर (सभी स्थानों पर पुलिस अधिकारियों, सरकारी अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों के साथ) उसका संग्रह करना, विश्लेषण करना, इस्तेमाल करना और जागरुकता फैलाना।
- अन्य स्थानों पर पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर नेटवर्क तैयार करना। चूंकि देह व्यापार एक सीमा रहित अपराध है इसलिये संक्रमण वाले क्षेत्रों में ऐसी गतिविधियां जरूरी हैं। इसलिये इन स्थानों पर पुलिस एजेंसियों को निश्चित तौर पर साथ मिलकर काम करना होगा। एएचटीयू के पास सभी राज्यों के शीर्ष पुलिस अधिकारियों और शीर्ष सरकारी अधिकारियों की सूची होती है जिसमें उनका फोन नंबर, पता, ई-मेल आदि शामिल होते हैं। एएचटीयू का प्रभारी अधिकारी उपयुक्त समय पर समुचित अधिकारियों के साथ संपर्क करने के लिये जिम्मेदार होता है।
- अन्य विभागों के साथ नेटवर्क स्थापित करने के क्रम में एएचटीयू स्वास्थ्य, प्रशासनिक सुधार, कल्याण आदि जैसे अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ यथोचित संपर्क कायम रखता है। एएचटीयू ऐसे अधिकारियों और आवश्यक संख्या में समन्वयकों की सूची भी रखता है। इस बात को प्राथमिकता दी जाती है कि कल्याण विभाग का संबंधित अधिकारी एएचटीयू के लिये अधिसूचित किया गया हो। उदाहरण के लिये आंध्र प्रदेश में जिला महिला विकास एजेंसी के प्रभारी अधिकारी को एएचटीयू का एक हिस्सा बना दिया गया है। इस प्रकार का संयुक्त प्रयास पीड़ितों की सहायता के लिये, विशेषकर बचाव पश्चात पुनर्वास प्रक्रिया के लिये अत्यधिक मददगार होता है।
- गैरसरकारी संगठनों के साथ नेटवर्क कायम करना: यह एएचटीयू का मौलिक शासनादेश है क्योंकि पुलिस और गैरसरकारी संगठनों की ओर से संयुक्त गैरसरकारी संगठनों का चयन करना और उन्हें जोड़ना पुलिस का काम है। इसके निम्नलिखित मानक हैं:
  - देह व्यापार रोकथाम के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले गैरसरकारी संगठनों को प्राथमिकता।
  - समर्पित और ख्याति प्राप्त गैरसरकारी संगठनों को जोड़ना।
  - अन्य गैरसरकारी संगठनों सहित सभी हितधारकों के साथ जुड़े गैरसरकारी संगठन अच्छा परिणाम दे सकते हैं।
  - पुलिस प्रशिक्षण वाले गैरसरकारी संगठनों को प्राथमिकता।
  - समझौता ज्ञापन तैयार करना: विभिन्न हितधारकों के बीच एक समझौता ज्ञापन तैयार करना, बातचीत के द्वारा सामंजस्य कायम करना और प्रत्येक एजेंसी की भूमिका और कार्य निर्धारित करना समुचित कदम होगा।

उपलब्धियां

वर्ष 2007 में एएचटीयू की स्थापना से लेकर नौ महीने में इसकी प्रमुख उपलब्धियों को संयुक्त गतिविधि अथवा हितधारकों के बीच एकजुटता के रूप में चित्रित किया जा सकता है देह व्यापार की रोकथाम के संदर्भ में सर्वोत्तम परिणाम देने वाला है। बॉक्स में उन पांच राज्यों में देह व्यापार रोकथाम की गतिविधियों का परिणाम दर्शाया गया है जहां मादक द्रव्य और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की परियोजना संचालित है। इनमें से अधिकांश की उपलब्धियों में प्रति एएचटीयू का योगदान है। एएचटीयू के प्रभाव का सामाजिक लेखा से उल्लेखनीय उपलब्धियों का पता चलता है। उनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

- पिछले वर्षों की तुलना में बचाव किए गए लोगों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
- बचाव किए गए लोगों में बच्चों की संख्या और प्रतिशत में वृद्धि।
- अनैतिक व्यापार के सिलसिले में गिरफ़्तार किए गए उल्लंघनकर्ता की संख्या में काफी वृद्धि।
- बड़ी संख्या में 'ग्राहकों' की गिरफ़्तारी और उससे 'मांग' पर असर पड़ा।
- देह व्यापार से जुड़े अपराधों और पुलिस में दर्ज़ मामलों में निरंतर वृद्धि जारी रही।
- पुलिस अधिकारियों द्वारा उनके अपने बयान के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज़ करना एक सकारात्मक कदम है। किसी शिकायतकर्ता के आगे नहीं आने पर भी पुलिस अधिकारी खुफिया जानकारी जुटाकर आवश्यक कार्यवाही करते हैं।

पांच राज्यों में जनवरी-सितंबर 2007 के दौरान देह व्यापार की रोकथाम की गतिविधियों की उपलब्धियां

अनैतिक व्यापार से जुड़े अपराध

- दर्ज़ किए गए : 466
- संचालन से जुड़े गैरसरकारी संगठन: 90 प्रतिशत
- बचाव किए गए नाबालिगों की संख्या: 108
- गिरफ़्तार किए गए ग्राहक: 332
- बचाव कार्य : 96
- बचाव किए गए पीड़ितों की संख्या: 716
- अनैतिक व्यापार में शामिल गिरफ़्तार किए गए लोगों की संख्या: 1020
- अनैतिक व्यापार के सिलसिले में दोषी साबित किए गए लोगों की संख्या : 2
- बंद किए गए शोषण के स्थानों की संख्या : आंध्र प्रदेश-8, गोवा-1

-रोकथाम किए गए अपराधों की संख्या: काफी, किंतु संख्या की गिनती नहीं हो सकती।
-बचाव किए गए लोगों पर बचाव पश्चात-देखभाल निगरानी के मामले: 100 प्रतिशत।

- गैरसरकारी संगठन पुलिस को खुफिया जानकारी उपलब्ध कराते हैं। जानकारी के ऐसे स्रोत के आधार पर कई आपराधिक मामलें दर्ज़ किए गए।
- प्रत्युत्तर काल में काफी सुधार हुआ है। एएचटीयू में प्राप्त की गई सूचना और खुफिया जानकारियों के आधार पर शीघ्र कार्यवाही की जाती है।
- पीड़ितों के साथ पीड़ितों जैसा व्यवहार किया जाता है न कि अपराधियों जैसा। पहले की स्थितियों में पूरी तरह बदलाव आया है जब बचाव किए गए पीड़ितों को याचक व्यक्तियों के रूप में गिरफ़्तार किया जाता था।
- अपराधियों को पीड़ितों से अलग रखा जाता है और इस प्रकार पीड़ितों को अपराधियों की डांट-फटकार से दूर रखा जाता है।
- पहले कल्याणकारी पहुंच का अस्तित्व था जिसे अब मानवाधिकार संबंधी पहुंच के रूप में बदल दिया गया। प्रत्युत्तर प्रक्रिया को मानवाधिकार उन्मुखी बनाया गया।
- देह व्यापार की रोकथाम से संबंधित पूरी प्रक्रिया में शुरू से लेकर अंत तक गैरसरकारी संगठनों को शामिल किया जाता है जो बचाव कार्य की योजना बनाने से लेकर गतिविधियों को पूरा करने तक है।
- गैरसरकारी संगठनों की उपस्थिति से पीड़ितों के साथ-साथ पुलिस को भी मज़बूती मिली है।
- आवश्यकतानुसार पीड़ितों के लिये गैरसरकारी संगठनों की विशेष सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। उदाहरण के लिये बचाव के बाद मनोचिकित्सा सामाजिक सलाह देना।
- एएचटीयू के सदस्यों की ओर से बचाव किए गए बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाता है क्योंकि उन्हें बाल अधिकारों के मुद्दे पर संवेदनशील बनाया गया है।
- बचाव किए गए पीड़ित पुलिस के साथ काम करने में अब अधिक सहज महसूस करते हैं। पुलिस अधिकारियों के बदले रवैये के कारण ऐसा संभव हो पाया। पीड़ितों को और भी अधिक पीड़ित बनाना अब भूतकाल की बात हो गई है।
- पीड़ित अब अपने मामले के तथ्यों के बारे में बात करने में सहज महसूस करते हैं और यहां तक कि वे अनैतिक व्यापार में धकेले गए अन्य पीड़ितों के नाम के साथ-साथ इससे जुड़े अपराधियों और संदिग्ध लोगों के नाम भी बताते हैं।
- पुलिस अधिकारी अब पीड़ितों से बात करने और उनकी देखभाल करने में पहले से अधिक सहज महसूस करते हैं। सदमे से पीड़ित लोगों के साथ संवाद कायम करना एक बड़ी चुनौती होती थी। महिला अधिकारों और बाल अधिकारों पर व्यावसायिक प्रशिक्षण से उन्हें पीड़ितों को सही अर्थों में समझने और सहजता के साथ उनसे बात करने की शक्ति मिली। पुलिस और पीड़ित दोनों काफी अधिक सहज हो गए हैं।
- बचाव किए गए लोगों से प्राप्त खुफ़िया जानकारी के आधार पर विभिन्न स्थानों में बचाव संचालन किए जाते हैं। उदाहरण के लिये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में बचाव किए गए एक पीड़ित से मिली खुफ़िया जानकारी के आधार पर एक के बाद एक कई बचाव कार्य किए गए और इस पूरी श्रृंखला में कुल 27 पीड़ितों का बचाव संभव हो पाया। इससे हमें एएचटीयू द्वारा यथासंभव शीघ्र कार्यवाही के साथ ही बचाव किए गए लोगों से पुलिस को मिली मदद का भी पता चलता है।
- बचाव के बाद महिला पीड़ितों के साथ एक महिला पुलिस अधिकारी अथवा एक महिला गैरसरकारी संगठन बचाव पश्चात सभी गतिविधियों के दौरान होते हैं।
- पीड़ितों की देखभाल और उनकी सहायता के कारण उनमें न्यायालय में अनैतिक व्यापार में लिप्त लोगों के खिलाफ़ साक्ष्य देने का आत्मविश्वास पैदा हुआ है। इसके कारण अपराधी दोषी साबित हुए हैं। पीड़ितों के प्रति देखभाल और सहायता की प्रक्रिया में निम्नलिखित लक्ष्य शामिल हैं:
- पीड़ितों को न्यायालय की प्रक्रिया समझाने के उद्देश्य से इस विडंबना पर आधारित छद्म कार्यवाही दिखाना।
- बाल पीड़ितों को बाल मनोचिकित्सक उपलब्ध कराकर उनमें आत्मविश्वास बढ़ाना।
- महिला पीड़ितों को महिला सलाहकार उपलब्ध कराकर उनका आत्मविश्वास और आत्मबल बढ़ाना।
- विशेषकर बच्चा और महिला पीड़ितों के मामले में इन-कैमरा ट्रायल के प्रावधान लागू होने से काफी मदद मिली।
- पुलिस के काम में जनता के शामिल होने से काफी सुधार हुआ। जिन राज्यों में पुलिस द्वारा मांग करने के बावजूद भी किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिलता था वहीं इस सुधार के बाद उस राज्य में पूर्ण और स्वैच्छिक सहयोग मिलने लगे है। जनता की ओर से कई गुमनाम कॉलरों अथवा पत्रों के माध्यम से प्राप्त खुफ़िया जानकारी के आधार पर इस प्रकार के कई संचालनों को अंजाम दिया गया।

देह व्यापार की रोकथाम के लिये सामुदायिक पहरेदारी

अपराधों की रोकथाम और उनसे निपटने के सिलसिले में पहरेदारी में नागरिकों का शामिल होना और पुलिस तथा नागरिकों के बीच तालमेल कायम होना सामुदायिक पहरेदारी की खास विशेषता है। समुदाय के साथ परामर्श करना और उसे योजना और संचालन में शामिल करना भी सामाजिक पहरेदारी की खास विशेषताओं में शामिल है। वास्तव में सामुदायिक पहरेदारी एक ऐसा दर्शन है जो स्थानीय स्तर पर तालमेल कायम करके समस्याओं के समाधान पर आधारित है। इसमें पुलिस की ओर से एक समुदाय को स्वीकार करने के साथ ही जिम्मेदारी के प्रति भागीदारी करने की सुविधा प्रदान की जाती है। सामुदायिक पहरेदारी के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर फैसले लिये जाते हैं।

वास्तव में बनावट और कार्यप्रणाली के आधार पर भी एएचटीयू सामुदायिक पहरेदारी का ही एक रूप है। गैरसरकारी संगठनों को एएचटीओ का हिस्सा बनाकर उसकी कार्यप्रणाली को आधारभूत स्तर पर पहुंचाया गया है। गैरसरकारी संगठन पुलिस के सहायता करने के साथ ही निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा भी बन गए है। इस प्रक्रिया में गैरसरकारी संगठन पुलिस की क्रिया-कलापों का एक गवाह अथवा पीड़ितों की देखभाल करने वाला ही नहीं है, बल्कि वह एएचटीयू की संपूर्ण कार्यप्रणाली की कमियां भी बताता हैं। इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि पुलिस अपने उत्तरदायित्व अथवा कर्तव्य से मुक्त हो गई है। दूसरी ओर इस सामंजस्य के कारण उनकी ज़िम्मेदारी और उत्तरदायित्व बढ़ गए हैं क्योंकि उनकी लगातार जांच की जाती है।

सामाजिक लेखा एएचटीयू और सामुदायिक पुलिस की आवश्यक विशेषता है। पुलिस और गैरसरकारी संगठनों की साझेदारी के कारण ये और भी अधिक उत्तरदायी हो गए हैं। इनका कार्य निष्पादन और परिणाम पहले की तुलना में अब अधिक पारदर्शी हो गए हैं। एएचटीयू में नागरिक समाज और पुलिस के बीच साझेदारी के कारण वे और भी अधिक खुले और प्रत्यक्ष हो गए हैं। एक-दूसरे पर नज़र रखने के कारण पुलिस और गैरसरकारी संगठन दोनों की कार्यप्रणाली में सुधार हुआ है।

नागरिक समाज द्वारा पुलिस के प्रति स्वीकार्यता एएचटीयू का एक मानक है। नागरिक समाज और पुलिस के बीच पहले अविश्वास का माहौल था किंतु एएचटीयू के प्रयासों से उसे मित्रता, पारस्परिक विश्वास और स्वीकार्यता के रूप में परिणत किया गया है। विवाद के बिंदुओं का उभरना तो तय है किंतु उन पर चर्चा के बाद परस्पर सहमति के आधार पर उपयुक्त निर्णय लिये जाते हैं।

कार्यप्रणाली में निरंतर सुधार होना एएचटीयू की एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता है। पुलिस और गैरसरकारी संगठनों की ओर से उनकी गतिविधियों का सामाजिक लेखा और नियमित संपर्क के साथ ही एएचटीयू के प्रभावों के मूल्यांकन के कारण देह व्यापार की रोकथाम के मसले पर पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार हुआ है। वास्तव में एएचटीयू में सभी हितधारकों की ओर से सकारात्मक आलोचना पाने की सुविधा है और उसे बढ़ावा देते हुए काम किया जाता है।

सकारात्मक प्रतिस्पर्धा : यद्यपि विभिन्न स्थानों पर एएचटीयू की स्थापना की गई है और उनके स्वतंत्र कार्यक्षेत्र हैं, फिर भी मादक द्रव्य और अपराध पर बने संयुक्त राष्ट्रसंघ कार्यालय द्वारा उपलब्ध एक मंच पर उनके कार्यनिष्पादन का नियमित और संयुक्त मूल्यांकन किया जाता है, जिससे एएचटीयू के बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना जाग्रत हुई है और इसके परिणामस्वरूप कार्यप्रणाली में सुधार हुआ है।

पीड़ितों के हितों का सर्वश्रेष्ठ संरक्षण करना और उसे सुनिश्चित करना एएचटीयू का सर्वोत्तम कल्याण का काम रहा है। सामुदायिक पहरेदारी के द्वारा भी पीड़ितों के हित की ओर ध्यान दिया जाता है। एएचटीयू में पीड़ितों के बारे में निर्णय लेना पीड़ितों के साथ परामर्श और उसकी सहमति पर आधारित होता है। उदाहरण के लिये पीड़ितों को उनके घर वापस भेजा जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय भी सुझावों के आधार पर लिया जाता है। इसलिये एएचटीयू सामुदायिक पहरेदारी का एक ऐसा प्रारूप है जो पीड़ितोन्मुखी है।

बेहतर शासन : एएचटीयू की कार्यप्रणाली को इस कारण से कमतर नहीं आंका जा सकता है, यह केवल देह व्यापार के अपराधों के मुद्दे से जुड़ा है। इस अनैतिक व्यापार की रोकथाम और उससे निपटने के सिलसिले में उत्तरदायी लोगों के व्यावसायिक प्रशिक्षण और सशक्तीकरण के कारण लोक प्रशासन और सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित अन्य गतिविधियों की तुलना में इसमें अधिक बदलाव और सुधार हुआ है। कुल मिलाकर महिलाओं और बच्चों के मुद्दे पर कार्रवाई में सुधार हुआ है और इसका श्रेय इनका विचारोन्मुखी होना है। इस सिलसिले में मानवाधिकार संबंधी पहुंच की दिशा में आमूल सुधार हुआ है और उपचार के माध्यम से रोकथाम पर जोर दिया जा रहा है।

वास्तव में एएचटीयू अनैतिक व्यापार के प्रति उपयुक्त कार्रवाई से संबंधित प्रणाली का एक संस्थागत रूप है। अनैतिक व्यापार की रोकथाम करने और उससे निपटने में विभिन्न हितधारकों के समन्वित प्रयास, उनकी कार्यप्रणाली में सामंजस्य, कार्रवाई के सिलसिले में पूरक भूमिका और ढांचागत सहायता तथा लिखित और कभी-कभी अलिखित समझौता ज्ञापन के माध्यम से इन गतिविधियों को टिकाऊ बनाए रखने जैसे एकजुट प्रयासों के कारण काफी मदद मिली है। इस प्रकार एएचटीयू अनैतिक व्यापार के विरुद्ध सामुदायिक पहरेदारी और संस्थागत तंत्र का एक प्रतीक है। यह सामाजिक परिवर्तन और बेहतर शासन की दिशा में एक वाहक है। मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघनों के प्रमुख मुद्दे में देह व्यापार का मुद्दा शामिल है और एएचटीयू इससे निपटने के संदर्भ में व्यवसायवाद का एक प्रतीक है। कुल मिलाकर एएचटीयू साझा हितों के लिये काम में जुटे सभी हितधारकों के बीच सामंजस्य के बल पर सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाली कार्रवाई का ही एक समानार्थी शब्द है। इसमें कोई शक नहीं कि यह एक आदर्श प्रारूप है और राज्यों द्वारा पुलिस आधुनिकीकरण कार्यक्रमों में इसे लागू किया जा सकेगा। ❑

(लेखक मादक द्रव्य और अपराध पर संयुक्त राष्ट्रसंघ कार्यालय के परियोजना समन्वयक हैं।
ई-मेल: pm.nair@unodc.org)

अनैतिक व्यापार में धकेली गई महिलाओं का जीवन अब सुखी बना

एएडब्ल्यूडब्ल्यू ने दिखाई नयी राह

'द सेलिंग ऑफ इन्नोसेंट्स' एम्मी पुरस्कार विजेता और पत्रकार, रुचिरा गुप्ता की प्रस्तुति है जिसमें वेश्यावृत्ति करने वाली 22 महिलाओं ने काम किया था। इस प्रस्तुति के कारण आज से लगभग छह वर्ष पहले 2002 में मुंबई के एक रेडलाइट इलाके में 'अपने आप वूमैन वर्ल्डवाइड' नामक संगठन की स्थापना करने की प्रेरणा मिली। इस संगठन का प्रसार अब महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली, बिहार और पश्चिम बंगाल तक हो गया है और इनमें लगभग 4,800 महिलाएं, लड़कियां और बच्चे शामिल हैं तथा इसके द्वारा रेडलाइट इलाकों और मलिन बस्तियों में देह व्यापार विरोधी पांच इकाइयां स्थापित की गई हैं।

'अपने आप वूमन वर्ल्ड वाइड' में 100 लोगों को रोज़गार मिला हुआ है और उपरोक्त राज्यों के रेडलाइट इलाकों और मलिन बस्तियों में इसके सामुदायिक केंद्र हैं। इन केंद्रों पर महिलाओं को जीविका संबंधी कौशल और आय सृजन संबंधी कार्यक्रमों के बारे में प्रेरित करने और प्रशिक्षित करने के लिये सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराए जाते हैं। महिलाओं को खाद्य और सुरक्षा उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनके सम्मानित जीवन के लिये क्षमता निर्माण के लिये सुरक्षित वातावरण भी उपलब्ध कराया जाता है।

सुश्री गुप्ता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस संगठन की ओर से दिल्ली, हरियाणा की सीमा के निकट दिल्ली के नजफगढ़ में नयी परियोजनाएं शुरू की गई हैं। यहां की पेरना जनजाति के लोग काफी ग़रीब हैं और स्थायी रोज़गार की कमी के कारण वे हाशिये पर हैं। इस कारण बड़ी संख्या में इस जनजाति की युवतियों और बालिकाओं को वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेल दिया जाता है। इसलिये इन परियोजनाओं के लक्षित लाभार्थियों में इस जनजाति की महिलाएं, किशोरियां और बच्चे शामिल हैं। इस परियोजना द्वारा अनैतिक व्यापार और दूसरी पीढ़ी की वेश्यावृत्ति की रोकथाम के लिये महिलाओं और किशोरियों को सम्मानित तरीके से आय सृजन करने के कार्यक्रमों, बच्चों के लिये शिक्षा और आवासीय छात्रावास की स्थापना के लिये पहल की जाएगी।

इस संगठन को मादक द्रव्य और अपराध पर संयुक्त राष्ट्रसंघ कार्यालय (यूएनओडीसी), यूनीफेम, ओक फाउंडेशन, वेस्ट बंगाल स्टेट एड्स प्रीवेंशन एंड कंट्रोल सोसायटी और डेवाल्का फाउंडेशन, कॉलीशन, अगेंस्ट ट्रैफिकिंग वूमन, ग्लोबल ट्रैफिकिंग इन पर्संस ऑफिस और अमरीकी सरकार की ओर से धन प्राप्त होता है। यह गैरसरकारी संगठन महिलाओं को डेटा एंट्री और डेस्क टॉप पब्लिशिंग जैसे कंप्यूटर कौशल, अंग्रेज़ी बोलने, लेखा प्रबंधन, लघु व्यापार प्रबंधन और उत्पादन कौशल पर आधारित प्रशिक्षण प्रदान करता है। एक बार प्रशिक्षण पाने के बाद महिलाएं जेवरात, दुपट्टा, रुमाल, कसीदा वाली थैली, फाईल और हाथ से बने कागज की अन्य लेखन सामग्री बना लेती हैं।

इसके बाद स्वसहायता समूह स्थापित करने में उनकी मदद की जाती है और अपने बैंक खाते की व्यवस्था करने, अपना कार्यालय प्रभारी चुनने और एक छोटा व्यवसाय चलाने के लिये उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। बाद में उन्हें बाज़ार के साथ जोड़ दिया जाता है।

उदाहरण के लिये दुपट्टा, हाथ से बनी फाइल जैसे कुछ उत्पादों पर 'मेड फॉर सरबाइवर्स' लगे लेबलों के साथ गुडीज जैसे अमरीकी स्टोरों में रखकर बिक्री की गई।

इस संगठन की ओर से अनैतिक व्यापार विरोधी सभी इकाइयों में कानूनी प्रकोष्ठ भी स्थापित किए गए हैं। इन इकाइयों में बच्चों के लिये क्रेच भी स्थापित किए गए हैं ताकि माताएं-बहनें 'अपने आप' कार्यक्रम में भाग लेने के लिये समय निकाल सकें। यह संगठन अनैतिक व्यापार से अथवा अन्य प्रकार की हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिये वयस्क शिक्षा कार्यक्रम, लेखा और लघु व्यापार प्रबंधन से संबंधित कौशल भी प्रदान करता है। ❑

दक्षिण भारत में औपनिवेशिक प्रतिरोध

● प्रतिभा

क्रांति के समय दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण स्थल हैदराबाद पर समस्त देश की निगाहें लगीं थीं। हैदराबाद के निजाम द्वारा क्रांतिकारियों का साथ दिए जाने पर क्रांति को दक्षिण में जबरदस्त संबल मिलता। एक अंग्रेज़ इतिहासकार लिखता है- "तीन महीने तक हिंदोस्तान की किस्मत निज़ाम असफुद्दौला तथा उसके वजीर सर सालारजंग के हाथों में थी।"

व्यापक रूप से दक्षिण अथवा दक्षिणापथ का प्रयोग उत्तर में विंध्य पर्वत और नर्मदा से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत क्षेत्र के लिये किया जाता है। नर्मदा और कृष्णा नदियों के बीच स्थित दक्षिणी पठार भूगर्भीय पृष्ट से सिंधु और गंगा नदी के मैदानों की अपेक्षा बहुत प्राचीन माना जाता है। दक्षिण में प्राप्त पुरातात्विक अवशेष भी उत्तरी भारत (हिमालय-क्षेत्र को छोड़कर) में प्राप्त अवशेषों से अधिक प्राचीन हैं। दक्षिण की सभी नदियां सतपुड़ा पहाड़ियों के नीचे पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जिसका कारण पूर्वी घाट की अपेक्षा पश्चिमी घाट का अधिक ऊंचा होना है।

महाकाव्यों आदि में सुरक्षित प्राचीन भारतीय अनुश्रुतियों के अनुसार, सर्वप्रथम अगस्त्य मुनि ने दक्षिण की यात्रा की तथा द्रविड़ बहुल दक्षिण में आर्य संस्कृति का प्रसार कर दोनों संस्कृतियों के मध्य सौमनस्य के सेतु का निर्माण किया। शनैः शनैः उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के मध्य सांस्कृतिक संपर्क में तीव्रता आई, और इस संपर्क का ही परिणाम है कि राजनैतिक दृष्टि से उत्तरी भारत से पर्याप्त भिन्न होने के बावजूद दक्षिणी भारत धार्मिक-सांस्कृतिक दृष्टि से भारत का अभिन्न अंग बना रहा।

ऐतिहासिक दृष्टि से नंद वंश से पूर्व हमें दक्षिण भारत विषयक विशिष्ट ज्ञान प्राप्त नहीं होता। मौर्य राजा अशोक के समय उसके साम्राज्य की सीमाएं दक्षिण में चेर, चोल, पाण्ड्य तथा सतियपुत्र राज्यों को छूती थीं। मौर्यों के पतन के पश्चात सातवाहनों (आंध्रों) ने दक्षिण में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ई.पू. 50 से 225 ई. तक शासन किया। सातवाहनों के पश्चात गंग, वाकाटक तथा कदम्ब जैसे छोटे-छोटे राजवंश दक्षिण के अलग-अलग भागों में प्रादुर्भूत हुए। चतुर्थ शताब्दी के मध्य में प्रतापी गुप्त राजा समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणी अभियान के दौरान अनेक राजाओं को अधीनस्थ बनाया। गुप्त वंश के पतन के पश्चात दक्षिण-उत्तर भारत से अलग हो गया तथा चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट आदि वंश वहां प्रभुत्वशाली हो गए।

12वीं सदी के अंत में दक्षिणापथ में तीन शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ। देवगिरि में 'यादव वंश', द्वारसमुद्र में 'होयसल वंश' तथा वारंगल में 'काकतीय वंश'। धीरे-धीरे पारस्परिक फूट तथा संघर्ष के शिकार ये राजवंश एक-एक कर दिल्ली के महत्वाकांक्षी सुल्तान अलाउद्दीन के हाथों

पराजित हो गए।

14वीं सदी के मध्य में दक्षिण में दो महान राजवंशों का उदय हुआ- बहमनी का मुस्लिम राजवंश तथा विजयनगर का हिंदू राजवंश। दोनों राजवंश क़रीब 200 सालों तक चलते रहे। अंततः मुगल सम्राट औरंगजेब के काल में संपूर्ण दक्षिण मुगल साम्राज्य का अंग बन गया।

मुगलों के पतनकाल में 1724 ई. में निजाम-उल-मुल्क आसफजाह ने हैदराबाद में अपनी स्वतंत्र सत्ता कायम कर ली। इसी प्रकार कुछ समय बाद मैसूर में हैदर अली का प्रभुत्व कायम हो गया।

यूरोपीय व्यापारियों के भारत आगमन तथा पारस्परिक प्रतिद्वंदिता से दक्षिण भारत भी प्रभावित हुआ। कर्नाटक युद्धों के बाद निर्विवाद रूप से सर्वप्रमुख भारतीय शक्ति के रूप में उभरे अंग्रेज़ हैदराबाद, मैसूर और पूना की रियासतों के पारस्परिक द्वंद्व का लाभ उठाकर दक्षिण में अपनी शक्ति बढ़ाते रहे। पहले उन्होंने हैदराबाद के निजाम को सहायक संधि स्वीकार करने के लिये बाध्य किए और बाद में उसकी मदद से 1799 ई. में श्रीरंगपट्टम के युद्ध में मैसूर के सुल्तान टीपू को पराजित कर मार डाला। मराठा राज्य भी पराजित होकर सहायक संधि स्वीकार करने को बाध्य हो गया और दक्षिण पर अंग्रेज़ों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इस प्रकार दक्षिण का पृथक राजनैतिक अस्तित्व पूर्णतया समाप्त हो गया।

1857 से पूर्व दक्षिणी भारत का औपनिवेशिक प्रतिरोध

प्लासी और बक्सर की लड़ाई के पश्चात अधिकांश भारत का भाग्य अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया। विशेष रूप से 1765 की इलाहाबाद संधि द्वारा अनेक प्रांतों के दीवानी अधिकार प्राप्त करने के पश्चात कंपनी ने उन प्रदेशों में कठोरता से व्यवहार करना प्रारंभ किया, जिनके शासकीय तथा जनसामान्य दोनों स्तरों पर किए गए प्रतिरोधों के उदाहरण संपूर्ण भारत में प्राप्त होते हैं। दक्षिण भी इसका अपवाद नहीं है। 1784 ई. में ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजयनगरम के राजा को अपनी सेना भंग कर देने तथा 3 लाख रुपये की भेंट देने के लिये कहा। राजा द्वारा अस्वीकार कर दिए जाने पर कंपनी ने उसकी ज़ागीर जब्त कर ली। इस पर राजा ने विद्रोह कर दिया, जिसमें उसकी सेना तथा प्रजा का भरपूर समर्थन था। अंग्रेज़ों के साथ हुए युद्ध में राजा को वीरगति प्राप्त हुई। तब कंपनी ने प्रायश्चित करते हुए राजा के बड़े पुत्र को ज़ागीर लौटाने के साथ धन की मांग को भी कम कर दिया।

इसी प्रकार डिंडीगुल तथा मालाबार के पॉलीगर लोगों ने भी प्रमुख रूप से अंग्रेज़ी भूमिकर व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। वर्ष 1801 से 1805 तक अभ्यर्पित जिलों तथा उत्तरी अरकाट जिलों के पॉलीगारों का विद्रोह चलता रहा। मद्रास प्रेसीडेंसी में पॉलीगरों के इक्के-दुक्के विद्रोह 1856 ई. तक चलते रहे।

अंग्रेज़ी प्रभुता के एक-दूसरे मामले में 1805 ई. में लार्ड वेलेजली ने ट्रावनकोर के महाराज को सहायक संधि स्वीकार करने पर विवश किया। संधि की शर्तों से खिन्न महाराज ने सहायक कर देने में आनाकानी की तथा यह धन बकाया होता चला गया। अंग्रेज़ रेजीडेंट का व्यवहार भी अत्यंत असभ्य तथा धृष्टतापूर्ण था, जिसके फलस्वरूप दीवान वेला टम्पी ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में नायर बटालियन ने दीवान का समर्थन किया। अंग्रेज़ों को एक बहुत बड़ी सेना इस विद्रोह के दमन के लिये भेजनी पड़ी।

सिपाहियों के स्तर पर भी 1851 से पूर्व दक्षिण भारत में कई विद्रोह हुए। 1806 ई. में वेल्लौर में मद्रास आर्मी में देसी सेना ने विद्रोह कर दिया। इसने बाद में नंदी दुर्ग, संकरी दुर्ग आदि में फैलकर व्यापक रूप धारण कर लिया। सभी धर्मों के लोग ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक हो गए, यद्यपि ब्रिटिश अधिकारियों इसका महत्व कम करने के लिये इसे मुसलमान विद्रोह का नाम दिया। इसी प्रकार 21 सितंबर, 1855 को निजाम की फौज की तृतीय घुड़सवार सेना ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया। फौज के अध्यक्ष ब्रिगेडियर मैकेंजी को घायल कर उनका घर लूट लिया गया।

1857 का संघर्ष और दक्षिण भारत

सामान्य धारणा है कि 1857 के महान स्वातंत्र्य-संघर्ष में सामान्य भारतीय ब्रिटिश विरोधी राष्ट्रवादी भावनाओं के साथ दक्षिण भारत ने जुड़ाव नहीं रखा तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति दक्षिण की सहानुभूति को अराष्ट्रीयतावादी भी माना गया। शासकों के स्तर पर यह तथ्य स्वीकार किया जा सकता है किंतु दक्षिण के जनसामान्य की स्थिति उत्तर भारतीय लोगों से अधिक भिन्न नहीं थी। क्रांति के समय दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण स्थल हैदराबाद पर समस्त देश की निगाहें लगीं थीं। हैदराबाद के निजाम द्वारा क्रांतिकारियों का साथ दिए जाने पर क्रांति को दक्षिण में जबरदस्त संबल मिलता। एक अंग्रेज़ इतिहासकार लिखता है- "तीन महीने तक हिंदोस्तान की किस्मत निजाम असफुद्दौला तथा उसके वज़ीर सर सालारजंग के हाथों में थी।"

परंतु हैदराबाद में सामान्य रूप से ब्रिटिश विरोधी भावनाएं उबल रही थीं। यह उबाल अचानक नहीं आया। वस्तुतः जिस दिन से हैदराबाद ने सहायक संधि में प्रवेश किया था, वहां के निवासी ब्रिटिश प्रभाव तथा हस्तक्षेप से घृणा करते थे। वहां की विशाल सेना पहले मान्सयर रेमंड नामक महान फ्रांसीसी सेनानायक के अनुशासन तथा नियंत्रण में थी जिसकी मृत्यु के बाद यूरेशियनों और भारतीयों की इस पंचमेल सेना की कमान राजा महीपत राम नामक भारतीय सेनानायक के जिम्मे आई। यहीं से भारतीयों में अंग्रेज़ों के विरुद्ध घृणा की भावना उत्पन्न हुई।

लगभग इसी समय बहाबियों द्वारा अंग्रेज़ों के विरुद्ध धार्मिक-राजनैतिक विद्वेष फैलाया गया। निजाम के भाई मुबरिजुद्दौला बहाबियों का संरक्षक था। खुलेआम ब्रिटिश-विरोधी भावनाओं का प्रचार करने के साथ-साथ उसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक देशव्यापी षड्यंत्र की योजना बनाई। इस आरोप में उसे कैदकर गोलकुंडा के किले में रखा गया जहां वह 1854 तक मृत्युपर्यंत रहा।

1857 में जून-जुलाई में हैदराबाद के मुस्लिमों में क्रांति के लिये बेहद जोश था, बड़े-बड़े मौलवियों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध फतवे निकाले, क्रांति के पक्ष में हज़ारों पत्रिकाएं बांटी गईं और मस्जिदों में बड़ी-बड़ी सभाएं की गईं। संपूर्ण प्रांत में महत्वपूर्ण सामरिक जगहों पर तैनात सैनिकों को सूचना मिली कि उत्तर में एक महान राष्ट्रीय उभार में ब्रिटिश सैनिक भारत छोड़ने को बाध्य होने लगे हैं तथा दिल्ली में मुगल राज स्थापित हो गया है। नाना साहब भी पुणे से शासन करेंगे। औरंगाबाद टुकड़ी के सैनिकों ने कैप्टन अब्बोट से झगड़ा मोल लेते हुए विद्रोहियों के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश को मानने से इंकार कर दिया, यह कहते हुए कि वे औरंगाबाद की सीमाओं से बाहर नहीं जाएंगे।

भगोड़े सैनिकों के हैदराबाद पहुंचने पर नवाब सालारजंग ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। नायब वज़ीर के इस कृत्य से हैदराबाद के नागरिक सकते में आ गए। इस दौरान शुक्रवार की नमाजों के समय हैदराबाद की प्रत्येक मस्जिद से ब्रिटिश विरोधी भावनाएं निकल रहीं थीं। 17 जुलाई, 1857 को तुर्रेबाज खान तथा अलाउद्दीन के नेतृत्व में अरबों और रुहिल्लाओं के एक दल ने हैदराबाद रेजीडेंसी पर आक्रमण किया। कर्नल डेविडसन ने आग द्वारा भीड़ पर काबू किया। वज़ीर के अरब गार्ड्स भी इन विद्रोहियों के प्रति सहानुभूति रखते थे। बाद में इन दोनों नायकों को गिरफ़्तार कर इन पर आयोग द्वारा मुक़दमा चलाया गया।

इस प्रकार हैदराबाद के निजाम तथा वजीर ने अंग्रेज़ों का सच्चा साथ देते हुए क्रांतिकारी नेताओं को पकड़कर उनके हवाले कर दिया, कंपनी की सेना की मदद से विद्रोही सिपाहियों को कटवा दिया तथा हैदराबाद को बचाए रखा।

हैदराबाद के पास ही जोरापुर की छोटी-सी रियासत थी। यहां का अल्पवय राजा क्रांति के पक्ष में था। उसने अंग्रेजों से लड़ने के लिये अरबों तथा रुहेले पठानों की एक सेना जमा कर ली। फरवरी 1858 में हैदराबाद पहुंचने पर सालारजंग ने उसे गिरफ़्तार कर अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया। कैद में भी उस वीर राजा ने क्रांतिकारी नेताओं के नाम अंग्रेज़ों को नहीं बताए तथा कालेपानी की सजा के लिये ले जाते समय अंग्रेज़ सिपाही की पिस्तौल छीनकर अपनी इहलीला समाप्त कर ली, क्योंकि वह कैदी का जीवन जीने की अपेक्षा मृत्यु का वरण करना अधिक उपयुक्त समझता था।

इसी प्रकार नारगुण्ड के राजा भास्कर राव बाबा साहब ने अपनी वीर तथा अंग्रेज़ विरोधी रानी की सलाह पर 25 मई, 1858 को अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध का ऐलान कर दिया। कंपनी की सेना पराजित हुई तथा अंग्रेज़ सेनानायक मॉनसन का सिर काटकर नारगुण्ड की फसील पर लटका दिया गया। अंततः बाबा साहब के सौतेले भाई के विश्वासघात के कारण हुए एक और युद्ध में बाबा साहब की सेना हार गई। भागे हुए बाबा साहब को पकड़कर अंग्रेज़ों ने 12 जून, 1858 को फांसी पर लटका दिया। राजा की माता तथा पत्नी ने मालप्रभा नदी में कूद कर आत्महत्या कर ली।

संगठित राष्ट्रीय आंदोलन और दक्षिण भारत

1857 की क्रांति की विफलता के पश्चात संगठित राष्ट्रीय आंदोलन की आवश्यकता का अनुभव किया गया। 1885 में अखिल भारतीय संगठन कांग्रेस की स्थापना से पूर्व क्षेत्रीय रूप से भी अनेक राजनैतिक संगठनों का गठन किया गया। दक्षिण भारत में भी 1884 ई. में महाजन सभा आरंभ की गई।

कांग्रेस की स्थापना के पश्चात दक्षिण की आवाज़ को भी संबल मिला। दक्षिण भारत के अनेक नेता कांग्रेस से जुड़े तथा कांग्रेस द्वारा आमंत्रित लगभग सभी आंदोलनों में भाग लेने के साथ-साथ स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार दक्षिण ने स्वतंत्र आंदोलन भी आहूत किए। दक्षिण में बड़े पैमाने पर राजद्रोह की भावनाओं का सूत्रपात विपिनचंद्र पाल के दौरे से माना जाता है। उनके व्याख्यानों से पहली बार दक्षिण की जनता स्वदेशी, स्वराज्य तथा बायकॉट जैसे शब्दों से रूबरू हुई। कॉलेजों में विद्यार्थियों की हड़तालें हुईं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया और ब्रिटिश विरोधी एक लहर-सी फैल गई।

राजद्रोहात्मक वक्तृताओं के लिये सुब्रह्मण्य शिव तथा चिदंबरम पिल्लै को सजा दी गई। जोशीले राष्ट्रीय साहित्य का भी उद्भव हुआ। तेलुगू साप्ताहिक *स्वराज्य* अत्यंत लोकप्रिय हुआ। तिनेवेली षड्यंत्र के दौरान 'फिरंगी हत्यारे' प्रेस में छपे दो पर्चे बरामद किए गए, जिनमें से 'आर्यों को संदेश' नामक पर्चे में घोषणा थी- "ईश्वर के नाम पर प्रतिज्ञा करो कि तुम अपने देश से फिरंगी पाप को दूर करोगे और स्वराज्य कायम करोगे। यह प्रतिज्ञा करो कि जब तक भारतवर्ष में फिरंगियों का राज्य है,

तब तक अपने जीवन को व्यर्थ समझोगे।"

असहयोग आंदोलन

दक्षिण भारत के भिन्न-भिन्न भागों ने असहयोग आंदोलन में अपनी उपस्थिति दर्ज़ कराई। आंध्र में वन कानूनों के विरुद्ध जनजातियों तथा अन्य किसानों की शिकायतें असहयोग आंदोलन के साथ संबद्ध हो गईं। इस प्रकार की एक घटना में बड़ी संख्या में लोग करों को कम करने तथा वन संबंधी पाबंदियों को हटवाने के लिये सितंबर 1921 को कुडप्पा में गांधी जी से मिले। वन-अधिकारियों का बहिष्कार हुआ। अधिकारों की रक्षा तथा पुष्टि हेतु लोगों ने बिना चराई कर अदा किए अपने पशुओं को बलात जंगल में भेजा। वन्य सीमा पर स्थित पालांद में पुलिस दस्तों पर हमले हुए तथा स्वराज की घोषणा की गई। गांधी तथा गांधीवादी तरीक़े में पूर्ण विश्वास रखने वाले आंदोलनकारियों को गांधी राज के शीघ्र आगमन में कोई संदेह नहीं था। दिसंबर 1921 से फरवरी 1922 के बीच आंध्र में भू-कर न देने के आंदोलन ने खूब ज़ोर पकड़ा। इस प्रकार असहयोग आंदोलन को आंध्र क्षेत्र में पर्याप्त सफलता मिलीं।

यदि आंध्र में असहयोग आंदोलन की मज़बूत व्याप्ति की दृष्टि से तुलना करें, तो कर्नाटक का क्षेत्र आंदोलन से प्रायः अप्रभावित रहा और इसी प्रकार मद्रास प्रांत के उच्च-मध्यम वर्ग के लोग भी प्रारंभ में आंदोलन से असंपृक्त रहें। तथापि सीमित स्तर पर ही सही, लोगों की आंदोलन के प्रति सहानुभूति तथा एक हद तक सहभागिता की उपेक्षा नहीं की जा सकती। 682 उपाधि प्राप्त लोगों में से 6 ने अपना सम्मान वापस लौटाया तथा पूरे मद्रास प्रांत में 5,000 छात्रों के साथ 92 राष्ट्रीय विद्यालय प्रारंभ किए गए। जुलाई से अक्तूबर 1921 के मध्य तथा कर्नाटक कपड़ा मिलों में मज़दूरों ने हड़ताल किया, जिसमें उन्हें असहयोग आंदोलन के स्थानीय नेताओं से पर्याप्त नैतिक समर्थन प्राप्त हुआ।

भारत छोड़ो आंदोलन

असहयोग आंदोलन की कतिपय सुगबुगाहटों, अलूरी सीताराम राजू के विद्रोह तथा तिनेवेली षड्यंत्र जैसी छिटपुट घटनाओं के बाद दक्षिण भारत का राजनैतिक व्यवहार प्रायः संयत तथा मर्यादित रहा। दक्षिण भारत के मूर्धन्य कांग्रेसी नेता राजगोपालाचारी के कांग्रेस से त्यागपत्र दे देने के कारण भी भारत छोड़ो आंदोलन में दक्षिण भारत से ख़ास अपेक्षा नहीं की गई थी। तथापि दक्षिण भारतीय जनता का उत्साह इस आंदोलन के प्रति देखने लायक था।

मद्रास महाप्रांत में लोगों ने आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। यहां सभाएं हुईं, जुलूस निकाले गए, गुप्त पर्चे बांटे गए तथा अनेक हड़तालें हुईं। आम लोगों से सरकार के असहयोग तथा बहिष्कार की अपील की गई। रेल कर्मचारियों की हड़ताल के कारण मद्रास से कलकत्ता की गाड़ी कई दिन तक नहीं चली। कांग्रेस के कुछ नेता भूमिगत हो गए तथा उन्होंने एक भूमिगत रेडियो स्टेशन भी स्थापित कर लिया। भारत के अन्य भागों की तरह मद्रास में भी तोड़-फोड़ की गई तथा डाकघरों, रेल पटरियों, पुलिस स्टेशनों तथा वन विभाग के कार्यालयों को निशाना बनाया गया।

क्योंकि मद्रास के अधिकांश मज़दूर भारतीय साम्यवादी दल के प्रभाव में नहीं थे, अतः उन्होंने स्वेच्छा से कांग्रेस के हड़ताल के आह्वान को स्वीकार किया। मद्रास नगर की प्रसिद्ध कपड़ा मिलें- बकिंघम और कर्नाटक तथा कुछ अन्य मिलों ने काम करना बंद कर दिया। इससे ब्रिटिश सरकार की द्वितीय विश्वयुद्ध की तैयारियां भी प्रभावित हुईं। यद्यपि ब्रिटेन अमरीका इत्यादि मित्र देशों को बार-बार आश्वासन दे रहा था कि आंदोलन ने युद्ध की तैयारियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं किया है, परंतु वस्तुतः यह सफेद झूठ था। संभरण विभाग के अक्तूबर 1942 के गुप्त परिपत्र के निम्न उद्धरण से भी यह स्पष्ट है:

"मद्रास की बकिंघम और कर्नाटक मिलों में हड़ताल 25 अगस्त को शुरू हुई और अब तक जारी है। इसका महत्व इसलिये है कि सबसे अधिक खाकी कपड़ा यही मिलें देती हैं। उन्होंने कुछ प्रकार के डक्स के उत्पादन में भी विशेषता प्राप्त की है, जबकि अन्य मिलें। इसका गुणवत्तायुक्त सम्मानजनक उत्पादन नहीं कर सके।"

मद्रास छात्र संगठन पर भारतीय साम्यवादी दल का प्रभुत्व था। विरोध के बावजूद छात्रों ने हड़ताल जारी रखी। उन्होंने बार-बार किए जा रहे लाठी चार्ज और अन्य दमनकारी कार्यवाहियों की परवाह नहीं की। उन्होंने राजगोपालाचारी के आंदोलन में भाग न लेने के अनुदेशों की भी उपेक्षा की और अपने कार्यकलाप जारी रखे। दमन धीरे-धीरे अधिक पाशविक होता गया और कई अवसरों पर न्यायालयों ने इसके विरुद्ध टिप्पणियां कीं। अन्य प्रांतों की तरह यहां भी आंदोलन के संचालन में छात्र सबसे आगे रहे।

मद्रास में जेलों की भी स्थिति अच्छी नहीं थी। वहां राजगोपालाचारी के विरोधी नेता कड़े योद्धा तथा अच्छे सांसद सत्यमूर्ति जेल में बीमार पड़े थे। स्थिति गंभीर होने पर उन्हें छोड़ दिया गया और छूटने के कुछ दिनों बाद ही उनका निधन हो गया।

कोयंबटूर में सैनिक हवाई अड्डा पूरी तरह जलकर राख हो गया। बदला लेने के लिये सरकार ने आसपास के 20 गांवों को उखाड़ दिया तथा दिल दहला देने वाले अत्याचार किए, किंतु तोड़फोड़ जारी रही। यहां कपड़ा मिल के हड़ताली मज़दूरों पर गोली चलाने के निर्देश अधिकारियों ने पुलिस को दिए, परंतु पुलिस ने इंकार कर दिया। पुलिस के दो सिपाही ब्रिटिश सार्जेंट की गोलियों से मारे गए।

त्रिची में रेलों में तोड़फोड़ की गई तथा मन्नारगुडी स्टेशन जला दिया गया। रामनद जिले के तिरूवदनी तालुक्का के कुछ गांवों के लोग एक खेत में एकत्र हुए और ब्रिटिश शासन के सभी चिह्नों को मिटा देने का निश्चय किया। भीड़ ने थाने पर कब्ज़ा कर लिया और जेल के द्वार खोल कर कैदियों को रिहा कर दिया। 72 घंटों के लिये यह स्थान सरकार-शून्य हो गया। कुछ दिनों के बाद सेना ने आकर कब्ज़ा किया और अभूतपूर्व क्रोध के साथ लोगों पर दमन-चक्र चलाया।

इसी प्रकार मदुरै, देवकोटा और कोमल कोनम आदि जिले भी आंदोलन से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके।

सही मायने में 1857 के बाद इतना जोश कर्नाटक में कभी नहीं आया था। यहां अत्यंत संगठित तरीक़े से हुबली, बैलहिगल, निपानी, सौंडिटी तथा बेलगांव आदि में अनेक क्रांतिकारी घटनाएं हुईं। ज्ञातव्य है कि तोड़फोड़ में भारतीय अफसरों को कोई हानि नहीं पहुंचाई गई। गांधीजी द्वारा अनशन प्रारंभ करने तक यहां आंदोलन चलता रहा।

अगस्त क्रांति में आंध्र की जनता भी पीछे नहीं रही। आंदोलनकारियों में मज़दूर, विद्यार्थी, महिलाएं, बच्चे सभी थे। गुंटूर जिले में तेनाली विशेष प्रभावित हुआ। यहां रेलवे स्टेशन पर विद्यार्थियों ने कब्ज़ा कर लिया। बाद में फौज ने आंदोलनकारियों पर घोर अत्याचार किए। भीमावरम, राजमुंदरी, काकनाड़ा इत्यादि में भी तोड़-फोड़ का विशेष ज़ोर रहा। अनेक स्थानों पर रेल की पटरियां मीलों तक उखाड़ दी गईं। जनता ने कचहरी, थानों इत्यादि पर राष्ट्रीय झंडा लगा कर अपने अधिकार की घोषणा की। बाद में हुए शासकीय अत्याचार में हज़ारों जेल भेजे गए।

राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ़्तारी के 6 घंटे के भीतर ही केरल के प्रसिद्ध नेता के. कलपन तथा के. माधव मेनन गिरफ़्तार हो गए। 10 अगस्त को ही 'केरल कांग्रेस प्रांतीय कमेटी' को गैरकानूनी करार दे दिया गया तथा पुलिस ने इसके दफ़्तर पर छापा मारा। कालीकट के जमोरिन कॉलेज, क्रिश्चियन कॉलेज तथा अन्य हाई स्कूलों में हड़तालें हुईं। जुलूस, सभाएं हुईं तथा अनेक नेता गिरफ़्तार हो गए। स्पष्ट कार्यक्रम के अभाव में जनता पिकेटिंग आदि करने लगी, तोड़फोड़ भी चलती रही। सरकारी इमारतों में आगर, नडूवन्नूर तथा चमकचेरी के सब रजिस्ट्री दफ़्तर जलाए गए। चमकचेरी के स्टेशन को भी जलाया गया। डाकखाने, रेल पुल, पटेल ऑफिस आंदोलनकारियों के निशाने पर थे। अनेकों को गिरफ़्तार किया गया और मुक़दमों के बाद जेल भेजा गया। जेल में अमानुषिक अत्याचार और दमन से अनेक बंदियों की मृत्यु तक हो गई।

दक्षिण की देसी रियासतों में भी आंदोलन की लपटें पहुंचीं। कोचीन तथा त्रावनकोर रियासतों में प्रारंभ से ही अत्याचार कर लोगों को शेष विश्व से काट दिया गया। छात्रों के साथ-साथ छात्राओं पर भी पुलिस की मार पड़ी। लोग बड़ी संख्या में जेलों में गए। इसी प्रकार मैसूर में प्रजा परिषद और मज़दूर सभा करीब-करीब एक होने के कारण मज़दूरों ने आंदोलन में हिस्सा लिया। यहां तक कि सरकार द्वारा नियंत्रित हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्टरी में भी हड़ताल हुई। मैसूर राज्य में कुल मिलाकर 33,000 कर्मचारियों ने हड़ताल की और 17 कारखानों को दो माह तक बंद रहने के लिये मज़बूर किया। मैसूर में युद्ध उपकरण तैयार हो रहे थे, उनमें नुकसान होने लगा, जिससे सरकार ने अंधाधुंध दमन प्रारंभ कर दिया। अत्याचार को छिपाने के ख्याल से सरकार मरे हुए लोगों की लाशें भी नहीं देती थी। नेतृत्वहीन जनता ने तोड़-फोड़ के खूब कार्य किए। तार काटे, स्टेशन जलाए और गाड़ियां पटरियों से नीचे उतारीं। यहां सब रियासतों से अधिक तोड़फोड़ और फलतः अत्याचार हुए। स्पष्टतया देसी रियासतें दमन में ब्रिटिश भारत से पीछे नहीं रहीं।

स्पष्ट है कि ब्रिटिश प्रतिरोध में दक्षिण भारत ने उत्तर भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए विदेशी जुए को उतार फेंकने में अप्रतिम भूमिका का निर्वहन किया। ❑

(लेखिका दयानंद कॉलेज़, अजमेर में इतिहास की प्राध्यापक हैं)

प्रिय पाठक,

सदस्यता शुल्क/विज्ञापन/प्रसार संबंधी आपकी शिकायतों और सवालों के तुरंत समाधान के लिये हमने अलग से एक ई-मेल तैयार किया है। आपसे अनुरोध है कि अपनी उपरोक्त शिकायतें और सवाल निम्नलिखित ई-मेल पते पर भेजें: **pdjucir_jcm@yahoo.co.in** या **011-26100207, 011-26105590** पर फोन से संपर्क कर सकते हैं।

निम्नलिखित ई-मेल केवल संपादकीय प्रयोजनों के लिये इस्तेमाल किए जाएं :
exeed.yojana@gmail.com • ce.yojana48@yahoo.co.in

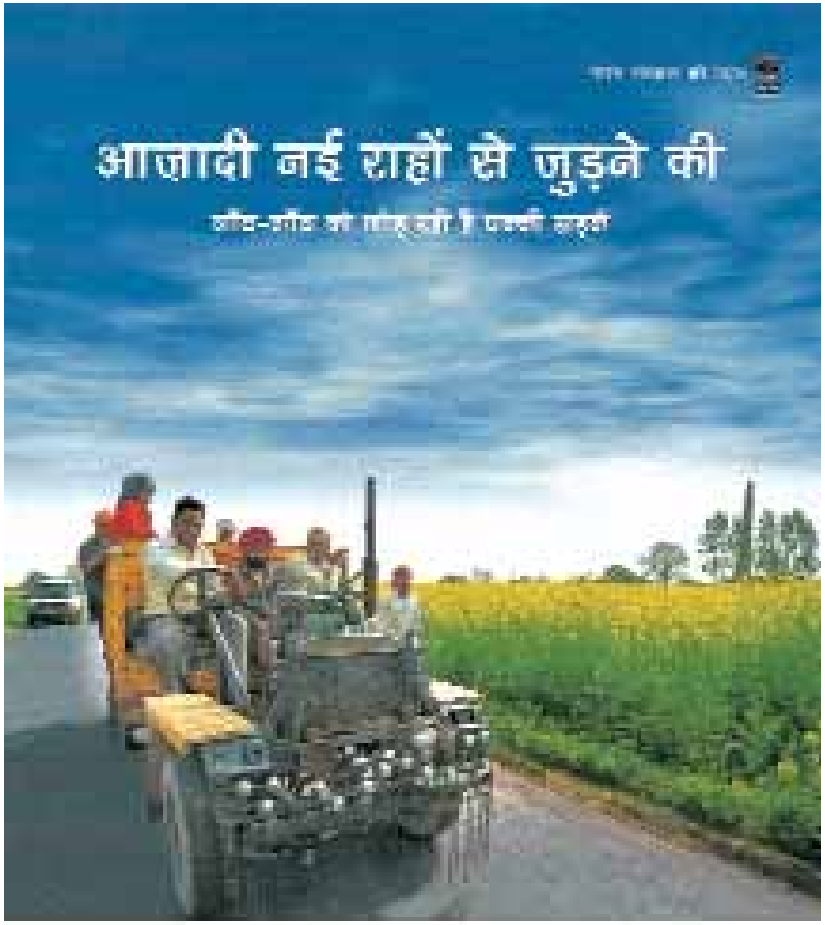

डल झील के नाविकों पर फ़िल्म

कश्मीर फिर बन रहा है फिल्मकारों का पसंदीदा लोकेशन

ईरानी फिल्म निर्माता माजिद मजीदी का कश्मीर अगला लक्ष्य है। मज़ीदी ऑस्कर के लिये नामांकित फिल्म निदेशक हैं। वह इस वर्ष वसंत ऋतु में एक फिल्म की शूटिंग करेंगे। उनकी यह फिल्म विश्व प्रसिद्ध डल झील पर आधारित होगी एक ईरानी समाचारपत्र के अनुसार, इसका नाम *"फ्लड-स्ट्राइकेन कश्मीर"* होगा।

मज़ीदी पिछले वर्ष अक्तूबर के अंतिम सप्ताह में कश्मीर में थे और फिल्म की शूटिंग के लिये लोकेशन का चयन करने में जुटे थे। बिखरता डल झील के आसपास सुंदर के कारण उन्होंने इसको प्राथमिकता दी है। भारत और ईरान के बीच मज़बूत सांस्कृतिक संबंधों और दोनों देशों की सड़कों तथा भवनों समानताओं के कारण वह कश्मीर की ओर खिंचे चले आए।

मज़ीदी की फ़िल्म की कहानी डल झील के नाविकों के जीवन के केंद्रित होगी। वह चाहते हैं कि अप्रशिक्षित अभिनेता उनकी फिल्म में अग्रणी भूमिका निभाएं। वह सात और नौ वर्ष की उम्र के शिकारा चलाने वाले दो कश्मीरी बालकों की तलाश में हैं जो उनकी फिल्म में नायक का काम करेंगे। इस सिलसिले में उन्होंने डल झील पर रहने वाले कुछ बालकों से मुलाक़ात की है। इसके अलावा मज़ीदी ने मछुआरों की संस्कृति और परंपरा की जानकारी प्राप्त करने के मकसद से कुछ मछुआरों से भी मुलाक़ात की।

अभिनेता आमिर बशीर इस परियोजना में मज़ीदी के सहायक हैं, पर फिल्म की विषयवस्तु के बारे में उन्होंने चुप्पी साध रखी है। बशीर के अनुसार, मज़ीदी स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं और इस दौरान फिल्म की कहानी जाहिर करना चाहते। मज़ीदी ने

पहली बार वर्ष 2005 में कश्मीर की यात्रा की थी। वर्ष 1998 में मजीदी की फिल्म *चिल्ड्रेन ऑफ हैवन* को ऑस्कर में विदेशी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में नामांकित किया गया था, किंतु इटली की फिल्म *लाइफ इज ब्यूटीफुल* स्पर्धा में आगे निकल गई थी। मज़ीदी की फिल्म *बारन* (वर्षा) ने 25वें मांट्रियाल अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रथम पुरस्कार जीता।

मज़ीदी की फिल्म का प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब लोकेशन के रूप में कश्मीर का चयन कई बॉलीवुड फिल्मों के लिये किया गया है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि ऐसा मौका दो दशकों के बाद सामने आया है। संतोष सिवान की फिल्म *दास्तान* ने हाल में ही पहलगाम में अपनी शूटिंग का पहला चरण पूरा किया है। *परजानिया* फिल्म से चर्चित राहुल ढोलकिया द्वारा कश्मीर पर बनी फिल्म की शूटिंग भी इस वर्ष घाटी में की जाएगी। हालांकि ढोलकिया की फिल्म का आतंकवाद से कोई सरोकार नहीं है।

फिल्म में संजय दत्त मुख्य अभिनेता की भूमिका निभाएंगे। लॉरेंस डिसूज़ा पिछले वर्ष की शुरुआत में संगीत निदेशक श्रवण के साथ श्रीनगर में थे। वह 1990 के दशक की अपनी सुपरहिट फिल्म *साजन* को फिर से तैयार करना चाहते हैं। डिसूज़ा ने अपनी फिल्म का संभावित नाम *लव इन कश्मीर* अथवा *जन्नत* रखा है। उनका कहना है कि लगभग 90 प्रतिशत फिल्म की शूटिंग कश्मीर में होगी। ❑

वर्ल्ड हेरिटेज में चमकेगा सबसे बुजुर्ग चिनार

डल झील की ज़मी बर्फ़ पर मनोरंजन करते पर्यटक और श्रीनगर में ईद-उल-जुहा के मौके पर फलों की खरीददारी करती महिलाएं

मुगलकाल के शाही पेड़ चिनार की चमक कश्मीर में आज भी बरकरार है। इस चमक को दुनिया के सामने और बढ़ाने जा रहा है सबसे बुजुर्ग चिनार। कश्मीर के बड़गाम जिले के छतरगाम में मौजूद इस चिनार दुनिया में सबसे ज्यादा पुराना होने का दावा किया जाने वाला संयुक्त राष्ट्र के सामने है। मकसद इसे विश्व विरासत की सूची में शामिल कराने का है।

कश्मीर की पहचान बन गए चिनार को सैकड़ों साल पहले मुगल शासकों ने घाटी में था। तबसे चिनार के दरख्त, पत्तियां और इसकी छांव ने अपनी पहचान कायम रखी है। छतरगाम में मौजूद दुनिया के सबसे बुजुर्ग चिनार के बारे में कहा जाता है कि इसे प्रसिद्ध सूफी संत सैयद अबुल कासिम हमदानी ने सन् 1374 में लगाया था। वह ईरान से कश्मीर आए थे। सात सौ साल पुराने इस पेड़ के तने की परिधि 31.85 मीटर तथा पेड़ की ऊंचाई 14.78 मीटर है। रियासत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद मुहम्मद सुलतान वादू अपनी किताब *द ट्री ऑफ अवर हेरिटेज* में सालों पहले ही इसके दुनिया का सबसे पुराना चिनार होने का दावा कर चुके हैं। अब चिनार के सबसे बुजुर्ग पेड़ को विश्व विरासत सूची में शामिल कराने के लिये चिनार विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एम. डी. काला नयी तैयारी में जुटे हैं। उनका कहना कि इसके लिये आंकड़े और वैज्ञानिक तथ्य जुटाने का काम चल रहा है। वे कहते हैं सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल संयुक्त राष्ट्र सांस्कृतिक विरासत में सबसे बुजुर्ग चिनार के लिये प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। उनका कहना है कि चिनार की प्रामाणिक उम्र के लिये 'कार्बन डेटिंग' तकनीक का सहारा लिया जाएगा। इस तकनीक में दरख्त का थोड़ा सा टुकड़ा लेकर प्रयोगशाला में कार्बन क्षरण की दर देखकर उम्र का पता किया जाएगा। इसके लिये राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की मदद ली जाएगी। में जहां एक तरफ सात सौ साल पुराना राज्य पेड़ अपनी नयी पहचान बनाने जा रहा है वहीं मुगलकाल से कश्मीर में लगे चिनार के पेड़ पिछले तीन दशक में कम हो रहे हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार, तीस हज़ार से ज्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं। सन् 1976 में राज्य में क़रीब 42,000 चिनार के पेड़ थे, जो अब घटकर मात्र 16,000 रह गए हैं। ❑

घाटे के प्रकार

ब्याज भुगतान से केवल पिछले वर्षों के दौरान घाटे की भरपाई के लिये सरकार द्वारा लिये गए ऋणों का पता चलता है। देश के वित्तमंत्रियों ने राजस्व व्यय की बढ़ती खाई को पाटने की लगातार कोशिश तो की है पर वे विफल रहे हैं। वित्तमंत्री पी. चिदंबरम भी वर्ष 2008-09 के बजट में बजटीय घाटे की भरपाई करने का प्रयास करेंगे और विभिन्न प्रकार के घाटे और अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभावों का ध्यान रखेंगे। आइए जानें इसके बारे में कुछ बुनियादी बातें।

- **घाटा क्या है?**

मूल रूप से व्यय और प्राप्तियों के बीच के अंतर को घाटा के रूप में जानते हैं। सार्वजनिक वित्त व्यवस्था में इसका अर्थ यह है कि सरकार अपनी आय की तुलना में ख़र्च अधिक कर रही है। सरकारी व्यय और राजस्व को पूंजी और राजस्व के रूप में विभाजित किया जा सकता है। पूंजीगत व्यय में सामान्य रूप से वैसे व्यय शामिल हैं जिनसे संसाधनों का सृजन होता है। राजस्व व्यय मुख्य रूप से वैसे व्यय हैं, जिनसे संसाधनों का सृजन नहीं होता है, जैसे- ब्याज भुगतान, वेतन, सब्सिडी आदि। उदाहरण के लिये, एक फ़्लाईओवर के निर्माण पर होने वाला व्यय पूंजीगत व्यय है, जबकि उस निर्माण कार्य की देखरेख करने वाले सरकारी अधिकारियों को मिलने वाला वेतन राजस्व व्यय कहलाता है।

उसी प्रकार यदि हम प्राप्तियों की ओर ध्यान देंगे तो सरकार जो कुछ करों के रूप में प्राप्त करती है, उसे राजस्व प्राप्तियां कहते हैं। जो प्राप्तियां पुनरावर्ती नहीं हैं उन्हें सामान्यत: पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। इनमें घरेलू और बाहरी ऋण, विनिवेश प्रक्रिया और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली आदि शामिल हैं।

- **क्या घाटे वाली वित्त व्यवस्था ज़रूरी है?**

राज्य अक्सर ऐसे कर राजस्व के सृजन के संदर्भ में विफल हो जाते हैं, जो राज्य के व्ययों, विशेषकर कल्याणकारी राज्य के व्ययों को पूरा करने के लिये पर्याप्त हो। घाटे वाली वित्त व्यवस्था से राज्य को उन गतिविधियों को चलाने की अनुमति प्राप्त होती है जो उसकी वित्तीय क्षमता से परे हैं।

ख्यातिप्राप्त ब्रिटिश अर्थशास्त्री जे.एम. किंस इस अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था जिसका उद्देश्य कमज़ोर अर्थव्यवस्था पर ज़ोर देना था। घाटे वाली वित्त व्यवस्था के पीछे मूलरूप से यह सोच है कि कृत्रिम संसाधनों द्वारा आर्थिक विकास पर आवश्यक ज़ोर दिया जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश भारत में जिस सीमा तक घाटे वाली वित्त व्यवस्था अपनाई गई वह लॉर्ड किंस द्वारा निर्धारित सीमा से परे है।

वर्ष 2004-05 के लिये संशोधित अनुमानों के अनुसार, योजना व्यय 1.37 लाख करोड़ रुपये था (वर्ष 2005-06 के बजटीय अनुमान में इसे 1.43 लाख करोड़ रुपये रखा गया था।) घाटे वाली वित्त व्यवस्था के तहत ऋणों पर ब्याज भुगतान 1.26 लाख करोड़ रुपये था (वर्ष 2005-06 के बजटीय अनुमानों में इसे 1.34 लाख करोड़ रुपये रखा गया)। इसका अर्थ यह है कि भारत लगभग उतनी ही धनराशि ब्याज भुगतान पर ख़र्च करता है जितना कि विकास कार्यों पर ख़र्च करता है। इससे उस ख़तरनाक सीमा का भी पता चलता है जिसे घाटेवाली वित्त व्यवस्था की अवधारणा के अंतर्गत चिह्नित किया गया है।

- **क्या राजस्व घाटे को हटाना चाहिए?**

कर एक सरकार के लिये राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच के अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि सरकार आय के पुनरावर्ती स्रोतों से अपने व्ययों को पूरा करने में अक्षम है।

वित्तीय जिम्मेदारी और बजटीय प्रबंधन अधिनियम, 2003 के अधीन वित्तीय घाटे को धीरे-धीरे कम करते हुए वर्ष 2008-09 तक समाप्त करने के लिये एक दिशानिर्देश तैयार किया गया है। इससे जहां एक ओर राजस्व प्राप्तियों को बढ़ावा मिल रहा है वहीं दूसरी ओर सब्सिडी, वेतन और पेंशन, ब्याज भुगतान आदि व्ययों पर कुछ पाबंदियां लगाई जा रही हैं। कुल मिलाकर सरकार को अपनी चादर के अनुसार ही पांव फैलाना चाहिए।

- **वित्तीय घाटे की सार्थकता क्या है?**

सरकार का पहला काम राजस्व घाटे को पाटना है और दूसरा काम पूंजीगत परियोजनाओं और योजनाओं में निवेश के लिये संसाधनों का सृजन करना है। इसमें सार्वजनिक उपक्रमों के प्रति इक्विटी के रूप में योगदान, सार्वजनिक उपक्रमों के लिये ऋण और आधारभूत परियोजनाओं में निवेश जैसी गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। ऐसे निवेशों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के लाभांश प्राप्त होते हैं।

सरकार राजस्व घाटे को पाटने और विकास परियोजनाओं और योजनाओं को धन देने के उद्देश्य से ऋण लेती है। एक सार्वभौम सरकार भारतीय रिज़र्व बैंक, व्यावसायिक बैंकों, आम जनता, विदेशी कर्ज़दाताओं आदि विभिन्न स्रोतों से प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण लेती हैं। प्राप्तियों और व्ययों के बीच के अंतर को पाटने के लिये, लिये गए कुल ऋणों को वित्तीय घाटा कहते हैं। इसे सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है, क्योंकि विभिन्न वर्षों के दौरान लिये गए ऋणों को पूरे तौर पर तुलना करना यथोचित नहीं हो सकता है। ❑

नया-नया सा एक कैलेंडर

लातूर की कुशवर्ता बेले, हरियाणा की माणिक देवी और उड़ीसा की प्रतिमा बेहरा को उन आकर्षक स्त्रियों की सूची में भले ही शामिल न किया जा सकता हो, जो पारंपरिक कैलेंडरों के पृष्ठों पर नज़र आती हैं, परंतु ये वे चेहरे हैं जो विशेष रूप से तैयार किए गए कैलेंडर- 'रिडिफाइनिंग पॉलिटिक्स' में छाए हुए हैं। यह कैलेंडर विशेष रूप से इन्हीं महिलाओं के लिये तैयार किया गया है। पुणे स्थित संसाधन केंद्र 'आलोचना' के प्रयासों से ही यह संभव हो सका है।

'आलोचना' के कैलेंडर में पंचायती राज संस्थाओं की उन उदीयमान 12 महिला नेत्रियों को चित्रित किया जाएगा जो ज़मीनी राजनीति के स्तर पर कुछ नया कर गुजरने की कोशिश में लगी हुई हैं। 'आलोचना' की संस्थापक सदस्या मेधा कोतवाल के अनुसार लकीर से हटकर बनाए गए कैलेंडर के पीछे धारणा यह स्थापित करना था कि ग्रामीण महिलायें निरक्षरता, निर्धनता, लिंगभेद और समाज के बनाए नियमों/ मानकों की पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ सकती हैं। बशर्ते उनमें अपने दायरे से आगे देखने की इच्छा शक्ति और दूरदृष्टि हो। वह कहती हैं, 'औसत ग्रामीण महिला को अभी भी सामाजिक नियमों और पत्नी का दायित्व निभाने वाली एक मूक और सब कुछ सहने वाली प्रतिरोधविहीन स्त्री के रूप में देखा जाता है। वास्तव में, महिला आरक्षण ने समूचे देश में ग्रामीण महिलाओं को अवसरों का एक नया संसार उपलब्ध करा दिया है। ये महिलायें अब केवल एक मतदाता भर नहीं रह गई हैं। वे सक्रिय राजनीति करने वाली नेता हैं।

कैलेंडर की अवधारणा को जब अंतिम रूप दे दिया गया, तब उसे मूर्तरूप देने का दायित्व स्वतंत्र लेखक व फोटोग्राफर विद्या कुलकर्णी के कंधों पर आ गया। इस उद्देश्य के लिये कुलकर्णी को क़रीब महीनेभर तक राज्य का सघन दौरा करना पड़ा ताकि महिलाओं के फोटो लिये जा सकें। अपने क्षेत्र में धाक जमाने वाली महिलाओं के चित्र खींचने में उनको अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इनका वर्णन करते हुए कुलकर्णी कहती हैं: चित्रों में महिलाओं के सारभूत तत्व को अभिव्यक्ति देनी थी, और मेरी सबसे बड़ी चुनौती महिलाओं की शक्ति और (आत्म) विश्वास को चित्र में उभारना था। सुश्री कुलकर्णी ने ही इन महिलाओं का परिचयात्मक लेख भी तैयार किया है। संक्षिप्त चरित्र चित्रण में प्रत्येक महिला के व्यक्तित्व को निखारने वाले उद्गारों और अनुभवों को अभिव्यक्ति देना भी किसी चुनौती से कम नहीं था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने दस राज्यों में निर्वाचित महिलाओं के क्षमता विकास कार्यक्रम के लिये जिन संगठनों को चुना था, उसमें 'आलोचना' भी शामिल थी। 'आलोचना' ने महाराष्ट्र के गढ़ चिरौली जिले में काफी काम किया है। मेधा कोतवाल ने बताया कि गढ़ चिरौली में अपने काम के दौरान हमारा सामना लातूर की जिला परिषद की सदस्य और महिला एवं बाल विकास समिति की अध्यक्षा बेले और बीड़ जिले की ग्राम पंचायत रैमोहा की सरपंच लतीफ़ा शेख जैसी महिलाओं से हुआ। यूएनडीपी ने जिन संगठनों का चयन किया था उनके नेटवर्क का लाभ उठाते हुए हरियाणा, उत्तरांचल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश की महिलाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने आगे बताया कि उनका प्रयोजन सदैव यही रहा कि इन अनुभवों और व्यक्तियों के बारे में प्राप्त जानकारी को लिपिबद्ध किया जाए और उसे और लोगों तक पहुंचाया जाए। इन महिलाओं की उपलब्धियों के बारे में दुनिया को बताने के लिये कैलेंडर छापने के बारे में सब एक राय थे। सुश्री कोतवाल ने कहा, ''कैलेंडर का उपयोग करने वाला व्यक्ति पुरुषों का पारंपरिक कार्यक्षेत्र मानी जाने वाली राजनीति में प्रेरक सफलता हासिल करने वाली 12 महिलाओं के दर्शन वर्षभर करता रहेगा।'' ❑

चंद्रयान-I के लिये एंटीना लगाया गया

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 32 मीटर के आकार का एक विशालयान एंटीना स्थापित किया है। इसकी स्थापना के साथ ही इसरो ने सुदूर अंतरिक्ष मिशनों के अनुसरण के प्रति पूरी आत्मनिर्भरता दर्शाई है। इसरो के निदेशक, एस.के. शिवकुमार के अनुसार, इस उपलब्धि के साथ भारत अब चीन, जापान, रूस, यूरोप और अमरीका के समूह में शामिल हो गया है।

इसरो का चांद पर जाने वाला पहला मिशन, चंद्रयान-I को 9 अप्रैल, 2008 को छोड़ा जाएगा। बंगलुरु से 40 किलोमीटर दूर ब्यालालू स्थित इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क (आईडीएसएन) में स्थापित किया गया है जिससे चंद्रयान-I का अनुसरण किया जा सकेगा और साथ ही वहां तक संकेत भेजा जाएगा।

इस वैज्ञानिक मिशन का उद्देश्य चांद की सतह का एक मानचित्र तैयार करना, इसकी खनिज आधारित संरचना और ध्रुवीय बर्फ़ के संभावित भंडारों का पता लगाने के साथ ही हिलियम-3 की उपस्थिति का पता लगाना है।

इस काम के लिये ब्यालालू का चयन अन्य कारणों के साथ-साथ नगर के मोबाइल नेटवर्क से इसकी दूरी के कारण किया गया है। यहां 45 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं और इसके साथ ही इस काम में जुटे कर्मचारियों की संख्या दुगुनी हो गई।

श्री शिवकुमार के अनुसार, हमने अपने डेटा का अनुसरण और प्रबंधन के क्षेत्र में अब आत्मनिर्भरता प्रदर्शित की है। आईडीएसएन भविष्य के सभी गहरे अंतरिक्ष मिशनों का अनुसरण करेगा। चूंकि यह एक विश्वस्तरीय सुविधा है इसलिये अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसे एक वाणिज्यिक अवसर के रूप में भी देखा जा सकता है।

इसकी कार्यक्षमता की जांच की जा चुकी है। यह एंटीना कम-से-कम 0.01 मिली डिग्री प्रतिसेकेंड से लेकर अधिकतम 0.4 मिली डिग्री प्रतिसेकेंड की गति से घूम सकता है। इसके साथ ही यह लंबवत 90 डिग्री पर और 270 डिग्री पर परिक्रमा करने में सक्षम है।

यह 32 मीटर का एंटीना वर्ष 2006 में 135 एकड़ क्षेत्र में आईडीएसएन में स्थापित 18 मीटर के एंटीना के साथ शामिल है।

चंद्रयान-1 के लिये बंगलुरु के निकट ब्यालालू में स्थापित विशाल एंटीना

चंद्रयान मिशन की कुल लागत 386 करोड़ रुपये है जिसमें से 100 करोड़ रुपये की लागत से डीएसएन का निर्माण किया गया। इन दोनों एंटीनाओं का संचालन पीन्या स्थित आईएसटीआरएसी से किया जाएगा। हमारे पास यहां पर 11 मीटर का एक तीसरा एंटीना भी होगा जिसके माध्यम से एस्ट्रोसैट का अनुसरण किया जाएगा। एस्ट्रोसैट एक बहु-तरंगदैर्घ्य वैज्ञानिक उपग्रह (मल्टी-वेबलेंथ साइंटिफिक सैटेलाइट) है, जिसे वर्ष 2009 में छोड़ा जाएगा।

चंद्रयान के परियोजना निदेशक, एम. अन्नादुरई ने चांद पर पहुंचने वाले नौ अंतरराष्ट्रीय मिशनों की चर्चा करते हुए बताया कि चांद के लिये कोई होड़ नहीं है और ऐसा इसलिये लग रहा है क्योंकि हम सब समान समय-सारणी में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसरो ने अंतरराष्ट्रीय संपर्क तैयार करने में अपने आपको अंतरराष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में प्रमाणित किया है। चंद्रयान-I के पास छह अंतरराष्ट्रीय पे-लोड होंगे और वर्ष 2011 में चंद्रयान-II भारत-रूस सहयोग से छोड़ा जाएगा।

इसरो के जनसंपर्क निदेशक, एस. सतीश ने मीडिया के एक हिस्से में आई उस रिपोर्ट का खंडन किया जिसमें यह बताया गया था कि इसरो का इनसैट-4सीआर उपग्रह रडार से गायब हो गया और अपने जीवन का पांच वर्ष गंवाकर 15 दिनों के बाद फिर से रडार पर आ गया। उन्होंने इस रिपोर्ट को निराधार बताया। ❑

रेशम परियोजनाओं से रोज़गार

● सत्यभान सारस्वत

भारत के 50 हजार गांवों में लगभग 60 लाख लोग रेशम उद्योग से कहीं न कहीं अपनी आजीविका के लिये जुड़े हैं, भारत के 28 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में 25 राज्यों में रेशम उद्योग, रेशम कीटपालन का कार्य किया जाता है जिनमें 5 राज्यों को परंपरागत राज्यों में शामिल किया गया है, जिनमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल एवं जम्मू-कश्मीर हैं। जब रेशम अथवा रेशमी धागों की चर्चा होती है तो सामान्यतया उसका आधारभूत शहतूती रेशम अभिप्राय होता है जिसका भारत में 90-92 प्रतिशत उत्पादन होता है जबकि शेष गैर-शहतूती रेशम है।

वर्ष 2007-08 के बजट में 12,000 करोड़ का प्रावधान राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार के लिये रखा गया है जिसमें देश के 330 जिलों में ग्रामीणों को रोज़गार दिया जाएगा। किंतु यह रोज़गार-योजना, कृषि से सीधे नहीं जुड़े होकर, रोज़गार से जुड़े हैं जोकि अल्पकालीन जीविका साधन है जबकि रेशम परियोजना के माध्यम से स्थायी रोज़गार मिल सकता है।

कृषि एवं रेशम कृषि

भले ही हज़ारों वर्ष से विश्व में कृषि एक पूर्णकालीन उद्योग के रूप में जीविका का साधन रहा है जहां 30-40 प्रतिशत लोग अनाज पैदाकर शेष 60-70 प्रतिशत लोगों का भरण-पोषण करते हैं किंतु कृषि को कई देशों में उद्योग का दर्जा नहीं दिया गया है। भारत इनमें शामिल है। क्योंकि इसमें लागत व आय दोनों ही अनिश्चित है। रेशम कृषि में एक निश्चित लागत के बाद निश्चित आय मिल सकती है और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गैरसिंचित भूमि एवं कृषि के अयोग्य भूमि में, रेशम की खेती की जा सकती है। सिंचित एवं गैरसिंचित भूमि के उत्पादन आंकड़े भिन्न-भिन्न होते हैं।

कृषियोग्य भूमि में उत्पादन पूर्णरूप से प्रतिशत में की जाने वाली लागत, अर्थात हर वर्ष जुताई, गुड़ाई, निराई, बीज बोना, फिर सिंचाई व खाद पर व्यय के बाद जो आय होती है, वह लगभग 40 प्रतिशत ही होती है। जबकि रेशम कृषि (रेशम उत्पादन) में ये आय राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार 60-70 प्रतिशत हो सकती है। साथ में यदि एक हेक्टेयर भूमि का उपयोग हो पूरे वर्ष के लिये 10-12 लोगों को पूर्णकालीन रोज़गार मिल सकता है। इस प्रकार रेशम कृषि सामान्य कृषि से आधिक लाभकारी है।

रेशम कीटपालन से आर्थिक लाभ

पूरे विश्व सहित भारत में भी कृषि उत्पादन के लिये एक इकाई सर्वमान्य है- हेक्टेयर (अर्थात 100 x 100 मीटर) यदि 1 हेक्टेयर कृषि योग्य सिंचित भूमि में शहतूत की सघन आर्थिक वृक्षारोपण कर के (3 x 2' अथवा 4 x 4') रेशम कीटपालन किया जाए तो उस आर्थिक लाभ इस प्रकार से होगा:

रेशम कीट बीज सं. (कीटाणु सं.)	4000
रेशम कीट फसल	5-6 (परंपरागत राज्यों में)
कोशा उत्पादन (किग्रा.)	2000
कुल आय	2,25,000 (125 रु./कि. गुणावत्तानुसार)
शुद्ध आय	*1,75,000 रु.*

यदि परिवार में 8-10 सदस्य हैं जो अपना समय शहतूत की खेती व रेशम कीटपालन में लगा सकते हैं तो एक हेक्टेयर सिंचित भूमि से 1.75 लाख रुपये की शुद्ध आय हो सकती है। इसके अलावा यदि 4 x 2' का शहतूत रोपण किया हो तो विभिन्न मौसम में सब्जी व दालों की फसल लेकर 50,000-60,000 रुपये की अतिरिक्त आय हो सकती है।

रेशम परियोजनाओं से रोज़गार

यह बहुत ही सुखद एवं प्रेरणास्पद है कि वर्ष 1980-81 में भारत का रेशम निर्यात लगभग 53 करोड़ था जो कि 2005-06 में लगभग 5,200 करोड़ हो गया। यह निर्यात भारत से विभिन्न देशों को भेजे जाने वाले रेशमी वस्त्रों का है। ये वस्त्र देश में उत्पादित होने वाली रेशम अर्थात कच्चे रेशम के 50-60 प्रतिशत तक ही होते हैं। जबकि शेष रेशमी धागों का उपयोग स्थानीय वस्त्र निर्माणों में हो जाता है। वाराणसी में विश्व का सर्वाधिक (एक शहर, 1 जनपद) रेशम धागों का उपयोग होता है। वर्तमान में 5,000-6,000 मीट्रिक टन रेशमी धागों का उपयोग वाराणसी में हो रहा है। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में रेशम उत्पादन का लक्ष्य रखा जाता है जिसका योजनापर्यंत मूल्यांकन होता है।

भारतवर्ष की पंचवर्षीय योजनाओं के साथ-साथ रेशम उत्पादन बढ़ाने एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिये विभिन्न अंतरराष्ट्रीय योजनाएं भी हमारे देश में लागू की गई थीं, उनमें 1980-85 तक स्विस परियोजना अर्थात स्वीटजरलैंड के सहयोग से एक गैरशहतूती रेशम के विकास के लिये परियोजना प्रारंभ की गई थी। इसमें गैरपरंपरागत एवं पिछड़े राज्यों में तसर रेशम कीटपालन के लिये अर्जुन पौधों का आर्थिक वृक्षारोपण किया गया था। यह परियोजना जनजातीय क्षेत्र के राज्यों में, बिहार (झारखंड) उड़ीसा, मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़) उत्तरप्रदेश, राजस्थान, आंध्रप्रदेश व महाराष्ट्र (विदर्भ) में लागू की गई थी। योजना के माध्यम से लगभग 20,000,00 मानवदिवसों का रोज़गार दिया गया तथा सामाजिकी वन्य योजना के अंतर्गत सघन वृक्षारोपण करके तसर रेशम का उत्पादन लगभग दूना करने का लक्ष्य रखा गया था। योजनापरांत कई राज्यों ने समुचित तकनीकी एवं वैज्ञानिक पद्धति का पूर्ण उपयोग नहीं किया जिससे आशातीत सफलता नहीं मिली, फिर भी रेशम उत्पादन की संभावनाएं बढ़ी हैं।

पुन: 1989-94 के लिये विश्व बैंक पोषित राष्ट्रीय रेशम परियोजना भारत के पांच परंपरागत एवं 13 गैरपरंपरागत राज्यों में रेशम उत्पादन बढ़ाने एवं रेशमी धागों का शुभारंभ करने के लिये प्रारंभ की गई थी। इस योजना में 555 करोड़ की सहायता विश्व बैंक की ओर से निर्धारित थी जिसमें विभिन्न राज्यों में अनुसंधान संस्थान, प्रसार एवं प्रशिक्षण केंद्र रेशम विकास के लिये खोलने का प्रावधान था। परंपरागत राज्यों-कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल एवं जम्मू-कश्मीर में उच्च श्रेणी का अंतरराष्ट्रीय स्तर का रेशम उत्पादन किया जाना था। इस परियोजना के माध्यम से लगभग 50,000,00 मानव दिवसों के बराबर ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार मिला तथा भारत का रेशम उत्पादन परियोजना अंत में लगभग दुगुना हो गया था। इसी प्रकार वाराणसी में रेशमी धागों की खपत पर ध्यान देते हुए वर्ष 1993-1998 तक पूर्वांचल रेशम विकास परियोजना प्रारंभ की गई थी जिसमें तीन जनपद-वाराणसी, गाजीपुर व भदोई में रेशम प्रसार केंद्र खोले गए, किसानों को प्रशिक्षण दिया गया एवं वाराणसी रेशम कोसा बाज़ार (भद्रासी) में स्थापित किए गए थे।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना

वर्तमान में भारत का रेशम उत्पादन लगभग 17,000 मी टन है जिसमें लगभग 90-92 प्रतिशत शहतूती रेशम व शेष गैरशहतूती रेशम, तसर, ऐरी व मूंगा रेशम है। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) में भारत में रेशमी धागों के उत्पादन का लक्ष्य 26,000 मी. टन रखा गया है जिसमें 5,000 मी. टन अंतरराष्ट्रीय स्तर का रेशम उत्पादन करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार जोकि रेशम उत्पादन का नियंत्रण करता है, ने देश के विभिन्न रेशम उत्पादन राज्यों में लगभग 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में शहतूती वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा है। कुछ राज्यों में सघन वृक्षारोपण नहीं हो सकता है अर्थात जहां सिंचित भूमि का अभाव है वहां बड़े वृक्षों के रूप में शहतूत का रोपण करके शहतूत की पंक्तियों का उत्पादन हो सकता है।

उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिये विशेष परियोजनाएं हर बार क्रियान्वित की जाती हैं और 11वीं पंचवर्षीय योजना में, वहां की लोकप्रिय रेशम, मूंगा जिसे सुनहरी रेशम (गोल्डन सिल्क) के नाम से जानते हैं, के उत्पादन में वृद्धि के लिये मूंगा रेशम बीज विकास परियोजना लागू की गई है जिसका मुख्यालय दिसपुर, गुवाहाटी में है- यहीं से पूर्वोत्तर राज्यों का रेशम उत्पादन व विकास के लिये केंद्र सरकार व राज्य सरकार के निदेशालय भी स्थापित किए गए हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में देश के रेशम निर्यात का लक्ष्य भी 8,000 करोड़ के लगभग रखा गया है जिसमें शहतूती व गैरशहतूती रेशम के धागे व सिले-सिलाए वस्त्र भी हैं।

रेशम कीटपालन एवं रेशम उद्योग भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय कुटीर उद्योगों में से एक है जिसकी लोकप्रियता का आकलन 50-60 लाख लोगों का सीधे इससे जुड़ा होने के आधार पर किया जा सकता है। कुछ क्षेत्रों में तो रेशम कीटपालन इतना लोकप्रिय बन गया है कि सैकड़ों गांवों में केवल एक ही कृषि आधारित उद्योग है-रेशम जिसकी लोकप्रियता का आकलन कर्नाटक राज्य के कोलार, मंडया, बंगलुरू, मैसूर जिले के हज़ारों गांवों से किया जा सकता है। जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी जिले व हिमाचल प्रदेश में अनेको पहाड़ी गांव रेशम कृषि में लगे हैं। रेशम उद्योग के विकास से ग्रामीण विकास सुनिश्चित हुआ है तथा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास परियोजना की सफलता का भी एक यह आधार भी हो सकता है। ❑

(लेखक देहरादून स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड से संबद्ध रह चुके वैज्ञानिक हैं)

खबरों में

● **टेस्ट क्रिकेट में कुंबले के 600 विकेट पूरे**

भारतीय कप्तान अनिल कुंबले पर्थ टेस्ट के दूसरे दिन आस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एंड्रयू सायमंड्स का विकेट लेने के साथ ही क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले भारत के पहले और विश्व के तीसरे गेंदबाज बन गए।

कुंबले को तीसरे टेस्ट से पहले इस उपलब्धि के लिये केवल एक विकेट की ज़रूरत थी और उन्होंने सायमंड्स को राहुल द्रविड़ के हाथों कैच कराकर खुद को मुथैया मुरलीधरन और शेन वार्न के विशिष्ट क्लब में शामिल किया। मुरलीधरन 723 विकेट लेकर चोटी पर हैं जबकि वार्न ने 708 विकेट लिये हैं। उनके बाद कुंबले का नंबर आता है जो अपना 124वां मैच खेल रहे हैं कुंबले ने अपने 600 विकेट 28.87 की औसत से लिये हैं। इंग्लैंड के खिलाफ़ 1990 में अपने टेस्ट कैरियर का आगाज करने वाले भारतीय लेग स्पिनर का यह आस्ट्रेलिया के खिलाफ़ 107वां विकेट है। इसके अलावा उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ़ 92, पाकिस्तान के खिलाफ़ 81, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ़ 80 वेस्टइंडीज के खिलाफ़ 74, श्रीलंका के खिलाफ़ 66, न्यूजीलैंड के खिलाफ़ 50, जिम्बाब्वे के खिलाफ़ 38 और बांग्लादेश के खिलाफ़ 15 विकेट लिये हैं। कुंबले अब तक विदेशी सरज़मी पर 65 मेच में 257 विकेट ले चुके हैं। उन्होंने भारतीय सरज़मी पर 59 मैच में 343 विकेट लिये हैं। उन्होंने सर्वाधिक नौ बार एडम गिलक्रिस्ट को अपना शिकार बनाया है।

● **आयातित 4,800 वस्तुओं पर नहीं लगेगा सीमा शुल्क**

दक्षिण एशिया में व्यापार को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत भारत ने 4 पड़ोसी देशों से आयात होने वाली 4,800 वस्तुओं पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया है। पाकिस्तान और श्रीलंका से आने वाले इन उत्पादों पर सीमा शुल्क में कटौती की गई है।

वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि, आयात शुल्क को 16-40 प्रतिशत के स्तर से घटा कर शून्य कर दिया गया है। यह शुल्क मांस, मछली, दूध, दूध-उत्पादों तथा सूखे मेवों जैसे उत्पादों पर समाप्त किया गया है जो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल तथा मालदीव से आयात होते हैं।

हालांकि पाकिस्तान और श्रीलंका से आयात होने वाले इन उत्पादों पर सीमा शुल्क को घटा कर 12-20 प्रतिशत के दायरे में लिया गया है नयी दरें 1 जनवरी से प्रभावी हो गई हैं।

वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, अल्प विकसित देशों से अब सभी फार्मा उत्पादों तथा दवाइयों का आयात 12.5 प्रतिशत की जगह 10 प्रतिशत का शुल्क देकर किया जा सकता है। हालांकि पाकिस्तान एवं श्रीलंका से आने वाली दवाइयों के मामले में शुल्क में कटौती नहीं की गई है।

उर्वरक, चूना तथा सीमेंट का आयात अल्प विकसित देशों से करने के मामले में अब सीमा शुल्क 10 प्रतिशत देना होगा लेकिन पाकिस्तान एवं श्रीलंका के मामले में यह 12.5 प्रतिशत ही रहेगा।

डेयरी उत्पाद जिसमें दूध का पाउडर शामिल नहीं है तथा मक्खन तेल भी बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एवं मालदीव से शून्य शुल्क देकर आयात किए जा सकते हैं।

इन राष्ट्रों से आयात किए जाने वाले डेयरी उत्पादों पर शुल्क को समाप्त करने के निर्णय से घरेलू बाज़ार पर शायद ही प्रभाव पड़े। इससे इन देशों को अधिक लाभ नहीं होगा क्योंकि ये दुग्ध-बाज़ार के मामले में उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। पाकिस्तान तथा श्रीलंका, जो भारत को डेयरी उत्पादों का निर्यात कर सकते हैं, को इन उत्पादों पर 20 प्रतिशत का शुल्क देना होगा।

● **ओएनजीसी को पर्यावरण मित्र तेल कंपनी के रूप में मान्यता मिली**

लगातार विकास में सक्रिय ओएनजीसी के प्रयासों को नयी बुलंदी मिली है। युनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कंवेंशन फार क्लाइमेट चेंज ने पिछले साल 21 दिसंबर को ओएनजीसी की तीसरी स्वच्छ विकास प्रणाली परियोजना को मंजूरी दी।

देश की महत्वपूर्ण तेल कंपनी ओएनजीसी के कॉरपोरेट कम्यूनिकेशन के प्रमुख मोहन रेड्डी ने बताया कि प्रदूषण रोकने के काम में ओएनजीसी का काम तीसरी दुनिया के सभी देशों में सराहा गया है। युनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज ने भारतीय तेल कंपनी के प्रयासों को पंजीकृत करके हमारे काम को नया आयाम दिया है। इससे आर्थिक लाभ भी होंगे।

श्री रेड्डी के अनुसार, ओएनजीसी की एक परियोजना फ्लेयर गैस रिकवरी रही है। इसके तहत गैस की लपट की भभक कम करने की कोशिश हुई। ईंधन के विकल्प की श्रेणी में इस काम को सराहा गया। यह एक ऐसी बड़ी परियोजना है जिसमें सालाना कार्बन क्रेडिट 97,740 थी। यानी पर्यावरण के लिहाज़ से तकरीबन 9.3 करोड़ की कमाई।

इसी तरह युनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज ने ओएनजीसी की दो और परियोजनाओं को पंजीकृत किया है। इनमें एक है तेल को गर्म करने में बेकार हुई उष्मा को फिर संजो लेना।

दूसरी परियोजना हजीरा गैस संसोधन परिसर में पिछले ही साल पहली मार्च को आजमाई गई परियोजना थी- गैस टरबाइन-1 और गैस टरबाइन-2 का उच्चीकरण। इसके तहत ऊर्जा का और बेहतर इस्तेमाल टरबाइनों के आधार पर हुआ। यह परियोजना स्वच्छ विकास प्रणाली में ऊर्जा के विकास श्रेणी में थी और इसे भी सराहा गया। इन परियोजनाओं के पंजीकरण से अब ओएनजीसी देश सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी पहली कंपनी बन गई है जिसकी क्लीन डेवलपमेंट मेकैनिज़्म परियोजनाओं को संयुक्त राष्ट्र ने पंजीकृत किया है। इससे पर्यावरण के क्षेत्र में इसकी एक विशिष्ट भूमिका बनी है। साथ ही इसे जानकारी के विनिमय में वित्तीय लाभ भी होगा।

● **आपदा राहत के लिये 100 करोड़ का कोष बनेगा**

प्राकृतिक आपदाओं से हुई तबाही से त्वरित गति से निपटने के लिये केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपये का एक राष्ट्रीय आपदा बचाव कोष बनाने का निर्णय किया है। अगले तीन वर्षों में राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष को भी इसी में समाहित कर दिया जाएगा।

आपदा की स्थिति में राहत व बचाव कार्य को लेकर हो रहे अनुभवों के बाद सरकार ने एनडीआरएफ के नाम से नया फंड बनाया है। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रियरंजन दासमुंशी ने बताया कि आपदा की स्थिति में इसके जरिये गृह सचिव के अधीन गठित राष्ट्रीय कार्यकारी समिति तत्काल राहत, बचाव और पुनर्वास का कार्य कर सकेगी। अप्रैल 2010 से एनसीसीएफ भी इसी में समाहित हो जाएगा। इधर शिक्षा को लेकर हाल के दिनों में उठाए जा रहे बड़े कदमों के बाद सरकार ने नये सिरे से केंद्रीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर काम करने का मन बनाया है। इस लिहाज़ से कैबिनेट ने 1995 से राज्यसभा में लंबित यूजीसी संशोधन विधेयक को वापस लेने की मंजूरी दे दी है जबकि अदालत में सरकार की स्थिति मज़बूत बनाने के लिये दो अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त करने का निर्णय किया गया है। इनसे मुख्य रूप से करों के मामले में मदद ली जाएगी।

● **सुल्तानपुर में लगेगी नयी पेपर मिल**

केंद्र सरकार ने सुल्तानपुर में एक पेपर मिल स्थापित करने का फैसला किया है। इसकी स्थापना में 3,241 करोड़ रुपये की लागत आएगी। यह फैसला कैबिनेट की बैठक में किया गया। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रियरंजन दासमुंशी ने दी। उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि सरकारी कंपनी हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता एक सब्सिडियरी कंपनी स्थापित करेगी। यह सब्सिडियरी ही नया पेपर मिल जिला सुल्तानपुर के जगदीशपुर में स्थापित करेगी। सरकार ने भारत हैवी प्लेट एंड वेसेल्स लिमिटेड विशाखापतनम के पुनरुद्धार को भी मंजूरी दे दी है। भारत सरकार 414.95 करोड़ रुपये के ऋणों को माफ करेगी। उत्पादन सुविधाओं के उन्नयन के लिये बीएचईएल इसे अपनी एक सब्सिडियरी के तौर पर अधिगृहीत करेगी और शुरुआती तौर पर 275 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

● **कर्ज़ वसूली में गुंडे लगाए तो अगले दिन ही बर्खास्त**

वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने कर्ज़ वसूली में गुंडों के इस्तेमाल पर गहरी चिंता प्रकट की है। उन्होंने कहा कि निजी बैंकों की ऐसी हरकतों पर लगाम लगाने के लिये व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन यदि कोई सरकारी बैंक कर्ज़ वसूली में गुंडों का इस्तेमाल करता पाया गया तो उसके मैनेजर को अगले दिन ही बर्खास्त कर दिया जाएगा।

राज्यसभा में पेमेंट एंड सेटलमेंट विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री चिदंबरम ने कहा कि सभ्य समाज में ऐसे तौर-तरीक़ों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसलिये बैंकों द्वारा कर्ज़ वसूली के लिये गुंडों के इस्तेमाल को रोकने के लिये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल में ही कड़े दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनका उल्लंघन किए जाने पर बैंकों का लाइसेंस रद्द किए जाने तक का प्रावधान है।

● **कार्तिकेयन ने दिलाया पहला ए1 जीपी ख़िताब**

झुहाई इंटरनेशनल सर्किट पर नारायण कार्तिकेयन की रफ़्तार का जादू चला और टीम इंडिया पहली बार ए1 जीपी फीचर रेस का ख़िताब जीतने में सफल रही।

भारतीय ड्राइवर ने 1:08-30.759 घंटे का समय निकालते हुए न्यूजीलैंड के जोनी रोड को 0.502 सेकंड से पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया। इस तरह भारत ए1 जीपी जीतने वाला 14वां देश बन गया।

रेस जीतने के बाद कार्तिकेयन ने कहा यह जीत उनके और टीम के लिये काफी अहम है।

कार्तिकेयन का मानना है कि फार्मूला-वन का उनका सपना अभी खत्म नहीं हुआ। उनसे पूछा गया कि ए1 जीपी जीतने वाले पहले भारतीय बनने पर कैसा लग रहा है तो कार्तिकेयन ने कहा, ''मुझे लगता है कि भारत में मोटर स्पोर्ट्स का ट्रैंड मैंने ही सेट किया है और यहां भी मुझ से भी शुरुआत हुई है।''

● **सेज के 28 और प्रस्तावों को मंजूरी**

केंद्र सरकार ने 3 जनवरी को सेज के 28 और प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इस तरह अब तक कुल 600 प्रस्ताव मंजूर किए जा चुके हैं। कॉमर्स सेक्रेटरी जी.के. पिल्ले की अध्यक्षता वाले मंजूरी बोर्ड ने 4 सेज को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दी, जबकि 24 प्रस्तावों को औपचारिक रूप से हरी झंडी दी गई। जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, उनमें तमिलनाडु के सेलम में सरकारी स्वामित्व वाली स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेज शामिल है। पिल्लई ने बताया कि 187 नोटिफायड सेज के जरिये 56 हज़ार करोड़ का निवेश किया जाएगा। ❑

दृढ़ संकल्प शक्ति से होता है आदर्श राष्ट्र का निर्माण

● श्रीनिवास शर्मा

आचरण की दृढ़ संकल्प शक्ति क्या नहीं कर सकती। आचरण की शक्ति के द्वारा ही एक आदर्श चरित्र तथा आदर्श परिवार व आदर्श परिवार से आदर्श राष्ट्र सब कुछ संभव है। आचरणवान व्यक्ति ही सच्चा नागरिक तथा सच्चा देशभक्त होता है। आचरणवान नागरिक की दृढ़शक्ति से एक आदर्श राष्ट्र का निर्माण हो पाता है। इतना ही नहीं, एक आचरणवान व्यक्ति ही आदर्श नागरिक होता है। आदर्श नागरिक के अंदर दृढ़ संकल्प शक्ति होती है। दृढ़ संकल्प शक्ति के बल पर ही राष्ट्रभक्ति होती है जिससे राष्ट्र का आदर्श विकास संभव है। तभी कालीदास ने कहा- *वृतो यतनेन रक्षते।* आचरण की यतन से रक्षा करनी चाहिए। जीवन में धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं मानना चाहिए। अगर आपके जीवन में आपका स्वास्थ्य कमज़ोर है तो समझना चाहिए कि कुछ नष्ट हो गया है।

एक दृढ़ संकल्पवान व्यक्ति के लिये क्या कठिन है- अर्थात कोई वस्तु कठिन नहीं है। धीर पुरुष चाहे तो अपने चरित्र के बल पर कठिन से कठिन कार्य भी सरल कर सकता है। इसीलिये देश के नागरिक को चरित्रवान तथा धैर्यवान होना चाहिए। हमारे देश की प्राचीन संस्कृति में इस बात का प्रमाण हैं कि दृढ़ संकल्प शक्ति के बल पर ही उन्नति तथा उत्तम राष्ट्र तथा आदर्श राष्ट्र का निर्माण संभव है। भगवान राम, कृष्ण, संत कबीर, अनुष्या, ध्रुव, भरत (जिनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा है), आचरण तथा दृढ़ संकल्प शक्ति के बल पर पूज्य हुए। इस देश को आज़ादी दिलाने वाले परम राष्ट्र भक्त अपनी आचरणशक्ति तथा दृढ़संकल्प की शक्ति के कारण ही हमें स्वाधीनता दिला पाए। जिसे हम आज तक महसूस कर रहे हैं, वह एक दृढ़संकल्प की ही शक्ति थी।

लेकिन आज आधुनिक राष्ट्र के अंदर दिन-प्रतिदिन संकल्प शक्ति तथा आचरण में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। पिश्चमी

सभ्यता का प्रचार-प्रसार, आदर्शोत्सव को धूमिल करने लगा है जिससे शिक्षा में आदर्श तथा दृढ़ संकल्प शक्ति की परिपाटी गड़बड़ा गई हैं। इससे नैतिकता का पतन हुआ है। देश के चहुंमुखी विकास के लिये आदर्श पात्रों की दृढ़ संकल्प शक्ति को भुलाया नहीं जा सकता क्योंकि आदर्श पात्रों के द्वारा ही आदर्श परिवारों का विकास होता है। आदर्श राष्ट्र से ही सभी प्राणियों का सुख संभव है। भारत की प्राचीन परंपरा यही रही है तथा भारतीय इसके लिये दृढ़ संकल्प व प्रयत्नशील रहे हैं। आधुनिक समय में हम राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल गए हैं हम में राष्ट्र के प्रति तथा राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रति निरंतर कमी आती जा रही है, फलस्वरूप हम देश की भव्य संस्कृति तथा प्राचीन परंपराओं को विस्मृत करने लगे हैं। अपने संकल्प के बल पर राष्ट्र एवं राष्ट्रवासियों के सुख के लिये दृढ़ प्रतिज्ञ होना होगा। राष्ट्र के प्रति समर्पण तथा दृढ़ संकल्प शक्ति से हमारा ही नहीं, अपितु पूरे विश्व का कल्याण संभव है। हम शांति तथा सद्भावनाओं के प्रति संकल्पबद्ध हों। कमज़ोर राष्ट्रों के प्रति मददगार बने। हमारा चरित्र महान हो, हम अपने देश के आदर्श पात्रों एवं आदर्श परंपराओं को कायम रखें, तभी राष्ट्र का चहुंमुखी नैतिक एवं आर्थिक विकास संभव है। विश्व कल्याण के लिये भी यही उपयुक्त है। दृढ़ संकल्प शक्ति ही मानव कल्याण का आधार तथा जीने की कला है। इस बात का प्रमाण भारतीय संस्कृति ही नहीं अपितु सभी राष्ट्रों की संस्कृति एवं परंपराओं में दिखाई देती है। *गीता* के माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन से यह तक कह देते हैं कि अगर निश्चित लक्ष्य को मानकर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी संकल्पशक्ति की कमजोरी तुम्हें कायर करार देगी और आने वाले समय में तेरा अपयश होगा जो तुझे आत्मदाह तक करने के लिये मज़बूर कर देगी। फलस्वरूप तुझे इस लोक और परलोक दोनों ही तरफ असफलता मिलेगी। दृढ़ संकल्प्ाक्ति तथा लगन ही हमारी आत्मा की आवाज़ है एवं सफलता की पूंजी है। इसको ना तो गुमराह किया जा सकता है ना ही भुलाया जासकता है। दृढ़ संकल्प शक्ति के बल पर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञाबद्ध होने के बाद भी भगवान श्रीकृष्ण पर शस्त्र उठवा लिया था और अपनी संकल्प शक्ति के बल पर ब्रह्मा पर भी विजय प्राप्त कर के दिखलायी। फलस्वरूप भगवान श्रीकृष्ण को ब्रह्म होने के वाबत भी झुकना पड़ा। लोग अपनी संकल्प शक्ति के बल पर क्या नहीं कर सकते। इस दृढ़ संकल्प शक्ति के बारे में मैं क्या कहूं? सती सावित्री ने दृढ़ संकल्प शक्ति के कारण ही अपने पति को यमराज से वापस जीवित ले लिया था जिसे भारतीय महिलाएं आज भी नहीं भूलीं हैं। दृढ़ संकल्प शक्ति ही सफलता का आधार है जिस पर राष्ट्र का स्वाभिमान और सफलता दोनों ही जुड़े हैं। वैसे तो मेरे विचार में स्वाभिमान तथा दृढ़ संकल्प शक्ति दोनों का *चोली दामन का साथ है।* जहां स्वाभिमान है वहीं दृढ़ संकल्प शक्ति है जहां दृढ़ संकल्प शक्ति है वहीं स्वाभिमान है। दृढ़ संकल्प शक्ति को लेकर भारतीय इतिहास का अपना अनोखा तथा अलग गौरव रहा है। भारतीय सभ्यता ने अपनी संकल्प शक्ति से मानव को ही नहीं सीख दी है बल्कि जिनकी हम पूजा करते हैं वो देव ब्रह्मा जो सृष्टि को चलाने का कार्य करते हैं सभी को अपनी संकल्प शक्ति से कुछ न कुछ अवश्य सिखाया है। अनसूया अत्रि मुनि की पत्नी ने अपनी संकल्प शक्ति के कारण ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों तथा तीनों

आयुर्वेद परंपरा और मोटापा

● वैद्य अरुण शर्मा

किसी भी राष्ट्र की उन्नति में उसके नागरिकों के स्वास्थ्य का बहुत महत्व है। आमजन के स्वास्थ्य स्तर को बेहतर बनाए बिना उनकी प्रगति और समृद्धि पूर्ण नहीं हो सकती। स्वस्थ रहने के लिये व्यक्ति की जीवनशैली महत्वपूर्ण है। इसमें अपने को संयमित, सीमित और नियमित बनाए रखना आवश्यक है। शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा का संयोग ही आयु है और इसमें प्राण का बल ही जीवन है। श्वास जब तक चलता है तभी तक जीवन है। मानव जीवन की सफलता में स्वस्थ और दीर्घायु जीवन का महत्वपूर्ण स्थान है। दुनिया और समाज में निरंतर काम करता हुआ, संघर्ष करता हुआ आदमी किन्हीं बीमारियों से ग्रसित न हो, यह संभव नहीं। इसके लिये आदिकाल से मानव शक्ति ने शरीर की सिद्धि और स्वस्थ जीवन रचना हेतु प्रयत्न किया है। परिणामस्वरूप एलोपैथी, यूनानी चिकित्सा, होम्योपैथिक चिकित्सा के साथ-साथ भारतवर्ष में ऋषि-मुनियों ने आयुर्वेद जैसी महान चिकित्सा पद्धति को जन्म दिया।

आचार्यों ने स्वस्थ स्वास्थ्य को ही संपत्ति माना है। क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही बड़ी से बड़ी चुनौती को उपलब्धियों में बदल सकता है इसीलिये कहा गया है। *समाग्नि: समदोषश्च, समधातु: सममलक्रिया:। प्रसन्नेन्द्रियात्ममना:, स्वस्थ इत्यभिधीयते।*

अर्थात जिसकी पाचन क्रियाएं शारीरिक धातुओं की क्रियाएं और मलमूत्र आदि कि क्रियाएं ठीक हो उसकी इंद्रियां, आत्मा और मन प्रसन्नतापूर्वक रहेंगी। ऐसी परिभाषा वाला मनुष्य ही आयुर्वेद में स्वस्थ माना गया है।

आयुर्वेद का अर्थ

आयु का पर्याय चेतना अनुबंध, जीवितानुबंध धारी है। यह आयु शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, इन चार का संयोग है। आयु संबंध केवल शरीर से नहीं है और इसका ज्ञान भी आयुर्वेद नहीं है। शरीर आत्मा का भोगायतन, पंचमहाभूत विकारात्मक है, इंद्रियां भोग का साधन हैं, मन अंत:करण है, आत्मा मोक्ष या ज्ञान प्राप्त करने वाला, इन चारों का अदृष्ट-कर्मवश से जो संयोग होता है वही आयु है अत: जहां हित-अहित, सुख-दुख का ज्ञान तथा आयु का मान हो उसे आयुर्वेद कहते हैं।

आयुर्वेद परंपरा

पुराणों के अनुसार, आयुर्वेद की उत्पत्ति प्रजापति से मानी गई है। प्रजापति ने *ऋग्-यजु-साम* और *अथर्ववेद* का विचार करके आयुर्वेद को बनाया। यह पांचवां वेद उसने भास्कर को दिया। भास्कर ने स्वतंत्र संहिता बनाकर अपने शिष्यों धन्वंतरि, दिवोदास, काशिराज, अश्विनौ, नकुल, सहदेव, अर्की, च्यवन, जनक, बुध, जाबाल, जाजलि, पैल, करथ तथा अगस्त्य को पढ़ाया। इन सभी शिष्यों ने अपने-अपने अग्रलिखित तंत्र बनाए: धन्वंतरि ने *चिकित्सा तत्व विज्ञान,* दिवोदास ने *चिकित्सा दर्शन,* काशिराज ने *चिकित्सा कौमुदी,* अश्विनौ ने *चिकित्सासार तंत्र* और *भ्रमघ्न,* नकुल ने *वैधक सर्वस्व,* सहदेव ने *व्याधिसिन्धुविमर्दन,* यम ने *ज्ञानार्णव,* च्यवन ने *जीवनदास,* जनक ने *वैद्य संदेह भंजन,* चंद्रमा पुत्र बुध ने *सर्वसार,* जाबाल ने *तंत्रसार,* जाजलि ने *वेदांगासार,* पैल ने *निदान,* करथ ने *सर्वधर,* अगस्त्य ने *द्वैध*

प्रिय पाठक,

'स्वास्थ्य चर्चा' के तहत हमारे विशेषज्ञ आयुर्वेद चिकित्सक वैद्य अरुण शर्मा प्रत्येक तिमाही आपकी स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान बताएंगे। अत: आप अपने स्वास्थ्य संबंधी सवाल हमें हमारे संपादकीय पते पर लिख भेजें। आप हमें **exceed.yogna@gmail.com** पर अपने प्रश्न ई-मेल भी कर सकते हैं।

-वरिष्ठ संपादक

निर्णय तंत्र बनाए।

वेदों से चला ज्ञान का प्रवाह भिन्न-भिन्न रूपों में बहता हुआ स्मृति के रूप में समाप्त हुआ है। इस प्रवाह में जो भिन्न-भिन्न ज्ञान भिन्न धाराओं के रूप में अलग से निकला उनमें एक आयुर्वेद भी है। यह वैदिक साहित्य बहुत विस्तृत है। इस विस्तृत साहित्य में आयुर्वेद का ज्ञान सब स्थानों पर मिलता है लेकिन वेदों में यह विस्तार में उपलब्ध है। *ऋग्, यजु, साम* और *अथर्व* ये चार वेद हैं और इनके चार उपांग हैं, यथा- धनुर्वेद, गांधर्ववेद, स्थापत्य वेद और आयुर्वेद, वेदों का विभाग, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा के रूप में किया गया है। *अथर्व* का संबंध आयुर्वेद से कहा गया है। यह वेद आयुर्वेद विज्ञान और चिकित्सा के लिये ही समर्पित है अत: कहा जा सकता है कि आयुर्वेद शास्त्र केवल चिकित्सा शास्त्र ही नहीं बल्कि आयुर्विज्ञान और जीवन शास्त्र भी है। आधुनिक चिकित्सा के विद्वानों ने दुनिया में आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांतों (त्रिसूत्र, त्रिस्कंध, षट्पदार्थ, त्रिदोषवाद और त्रिगुणमयीसृष्टि) को अनेक बार विज्ञान की कसौटी पर कसा लेकिन वे हमेशा खरे उतरे अत: ये सिद्धांत मौलिक और अकाट्य हैं।

प्राचीन ग्रंथों से यह स्पष्ट होता है कि महर्षि चरक और सुश्रुत आदि आचार्यों ने अपनी साधना और प्रयोगों से इस पद्धति को विकसित किया। उस समय आयुर्वेद मात्र काय-चिकित्सा में ही नहीं बल्कि शल्य चिकित्सा में भी अग्रणी था। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी भारत यात्रा के बारे में लिखा है कि उस समय भारतवर्ष में आयुर्वेद चिकित्सा काफी विकसित एवं लोकप्रिय थी। इस पद्धति के सहारे वैद्य लोग बड़े से बड़े रोगों की चिकित्सा तथा शल्यक्रिया (ऑपरेशन) सहज रूप में सफलतापूर्वक करते थे। इसी कारण सुश्रुत को दुनिया का सबसे पहला शल्य चिकित्सक माना जाता है जिनकी संहिता को आधुनिक शल्य चिकित्सक भी पूरा सम्मान करते हैं। आयुर्वेद अनंत है। इसमें आचार्यों ने धन अथवा सुख के लिये नहीं अपितु प्राणियों के प्रति करुणा के उद्देश्य से *आदानं हि विसर्गाय सतां वारिमुचामिव* सरीखे प्राचीन आदर्श पर चलने की राह दिखाई है। अपने देश में प्राचीन स्वास्थ्य सिद्धांत उपादेय हैं और उनका पुनरुत्थान आने वाली पीढ़ियों के लिये कल्याणकारी होगा।

मोटापा (स्थौल्य)

मेदोवृद्धि (वसा या चर्बी बढ़ने), स्थौल्य अथवा मोटापा 21वीं सदी की एक भयंकर बीमारी है। इस रोग से संपन्न एवं विकसित राष्ट्र के सभी लोग ग्रसित हैं। यह रोग भारत में भी बुद्धिजीवी और श्रमजीवी सभी वर्गों में पाया जाता है। यह रोग वंशज तथा जन्मजात दो प्रकार का होता है। अधिकांश ऐसे उदाहरण डच, दक्षिण जर्मनी, अफ्रीका, लंकावासियों तथा भारतवासियों में पाए जाते हैं। यह रोग पुरुषों में अधिक तथा स्त्रियों में कम होता है, अपवाद कहीं भी हो सकता है।

मोटापे के कारण

सुश्रुत सू. 15 अ. में कहा गया है, *तत्र श्लेष्मलाहार सेविनोऽध्यशनशीलस्याण्मा यामिनो दिवास्वप्नरतस्य चाम एवान्नरसो मधुरतरश्च शरीर मनुक्रमन्नतिस्नेहान्मेदो जनमति। तदतिस्थौल्य मापादयति।*

अर्थात कफ़वर्धक आहार खाने वाले, अत्यधिक खाने वाले, व्यायाम न करने वाले तथा दिन में सोने वाले पुरुष का कच्चा अन्नरस जो कि पक्वापेक्षया अधिक मधुर होता है, शरीर में संचार करता हुआ अतिस्निग्धता के कारण मेद उत्पन्न करता है। यही वसा अति संचित हो जाने पर स्थूलता को प्रकट करता है। *अष्टांग संग्रह* में भी कहा गया है कि गुरू आदि द्रव्यों के सेवन से प्रवृद्ध तथा शरीरांत: स्थित कफ़ से मिश्रित कच्चा अन्नरस ही रक्त आदि धातुओं को ढीला करता हुआ स्थूलता को उत्पन्न करता है। ऐसे पुरुष में अन्य धातु कम मात्रा में बनती है। अत्यधिक मात्रा में वसा बनने से शरीर में स्थूलता आती है।

मेदोधातु का स्थान

मेदोधातु (वसा या चर्बी) सभी प्राणियों के उदर तथा अस्थियों के ऊपर रहता है इसलिये ऐसे रोगियों का पेट प्राय: बढ़ा हुआ मोटा दिखाई पड़ता है। आयुर्वेद में अष्टौनिन्दितीय नामक अध्याय में आत्रेय ऋषि ने संसार में शरीर पर विचार करते हुए निम्न आठ प्रकार के पुरुषों की निंदा की है: 1. अतिदीर्घ, 2. अतिहृस्व (बहुत छोटा) 3. अति लोमा, 4. अलोमा, 5. अत्यंत काला, 6. अत्यधिक गोरा, 7. अत्यंत स्थूल, 8. अत्यंत कृश काय।

अति स्थूल पुरुष के दोष

1. आयु की कमी, 2. फुर्ती का न होना, 3. दुर्बलता, 4. शरीर से दुर्गंध आना, 5. अधिक पसीना आना, 6. अधिक भूख लगना, 7. अधिक प्यास लगना।

आयुर्वेद के आचार्यों में वृद्धवाग्भट ने कहा है: *अतिस्थौल्यादतिक्षुतृऽतिप्रस्वेदनिद्रता:। आयासाक्षमता जाडयमल्यायुर्बल वेगता। दौर्गन्धन्यं गद्गदत्वं च भवेन्मेदोऽति पुष्टित:।*

अर्थात, पूर्व में कहे 7 दोषों में जोड़ते हुए वाग्भट ने आलसी एवं स्पष्ट न बोल सकना अथवा भारी आवाज़ से बोलने वाला भी कहा है। कुछ आचार्यों के मतानुसार धातुओं में विषमता होने से वसा द्वारा मार्गों के प्रभावित होने से ऐसे पुरुष की शक्ति कम हो जाती है, वीर्य कम होता है तथा ध्वजहर्ष नहीं होता। आर्थर कूपर ने भी अपनी पुस्तक में इसकी पुष्टि की है।

चरक संहिता में कहा गया है:

एतौ उपद्रव करौ विशेषादग्निमारूतौ ऐतौ हि दहत: स्थूलं वन दावो वनं यथा। मेदो मांसाति वृद्धत्वाच्चलस्फि गुदरस्तन: अभयोपचमोत्साहो नरोडतिस्थूल उच्चयते।

अर्थात, जिस प्रकार दावाग्नि वन को जला देती है उसी प्रकार शरीरस्थ अग्नि और वायु अति स्थूल पुरुष को जलाते हैं। मेद मांस के अधिक बढ़ जाने से स्थूल व्यक्ति का स्फिगुदरस्तन दुम्बे की पूंछ की तरह हिलता है तथा ऐसा पुरुष उत्साह हीन होता है। ऐसे पुरुष (रोगी) को अतिस्थूल (मोटा) कहते हैं।

उपचार

चरक संहिता में ऐसे रोगी की चिकित्सा में कहा गया है:

गुरू चापतर्पण चेष्टं स्थूलानां कर्षणं प्रति प्रजागर व्यवामंच व्यायामं चिन्तननि च स्थौल्यमिच्छन् परित्येंतु क्रमेणामिवर्धयेत्

अर्थात, उपवास, जागरण, व्यायाम, मैथुन, चिंता इनको क्रम से बढ़ाएं तो मोटापे में लाभ होता है। आचार्यों ने जागरण को काफी महत्व दिया है। मोटापे से ग्रसित व्यक्ति को दिन में तो बिल्कुल ही नहीं सोना चाहिए और रात्रि जागरण भी यथासंभव करना चाहिए। एक स्थान पर कहा गया है: *निद्रायतं सुखं दुखं स्थौल्य कार्श्म बलाबलम।* अर्थात अधिक सोने से शरीर मोटा और जागने से पतला होता है।

उपवास

एक कहावत के अनुसार, सुबह का नाश्ता राजकुमारों की तरह, दोपहर का भोजन शहंशाहों की तरह तथा रात्रि का भोजन फकीरों की तरह करने की सलाह दी गई है लेकिन आज की भौतिक दुनिया में खाने-पीने पर कहीं कोई अंकुश नहीं बचा है। लोगों में जल्दी और भागमभाग का स्वभाव है जिसके कारण सुबह और दोपहर में भोजन विधिवत नहीं होता है। अधिकांश पूरी दुनिया में देर रात्रि भोजन का ही प्रचलन हो गया है जिसमें गरिष्ठ भोजन, मांसाहार, फास्ट फूड एवं कोल्ड ड्रिंक्स के रूप में एवं मदिरापान इत्यादि विरुद्ध आहार होने से पाचन क्रिया पूर्ण रूप से प्रभावित होती है जिससे मोटापे का प्रभाव बढ़ता जा रहा है जो अनेको रोगों का कारण है। इस वातावरण में एक सफल एवं सहज उपाय है-उपवास। इसे सप्ताह में एक या दो बार नियमित रूप से करने से पाचन क्रिया एवं जठराग्नि में सुधार होता है, दोषों का शमन होता है जिससे मोटापे में लाभ कहा होता।

उपर्युक्त क्रियाओं से शरीर में जो प्रकृत्ति का निर्माण होता हे उसे भी आयुर्वेद में उत्तम ढंग से कहा गया है, यथा- *सम मांस प्रमाणस्तु समसंहननो नर: क्षुत्पिपासातपसह: न व्याधियिरियूयते।*

अर्थात, जिस पुरुष की मांसादि धातु सम मात्रा में हो तथा शरीर का गठन सम हो तथा वह भूख, प्यास, धूप, शीत सहने में सार्मथ्यवान हो वह व्याधियों से अभिभूत नहीं होता। परंतु यह सब प्राप्ति अति दुर्लभ है इसमें देश, काल और साधन का संयोग ही दुर्लभ है। भगवान श्रीकृष्ण ने *गीता* में आहार, विहार, चेष्टा, स्वप्न, जागरण को युक्तिपूर्वक सेवन करके दुख को दूर करने के लिये कहा है, यथा-*मुक्ताहार विहारस्य मुक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुरवहा।*

इसमें *'भोगोभवति दुखहा'* कह कर मुक्ति योग को महत्व दिया गया है। आचार्य चरक ने कहा है। *शरीरचेष्टा या काचित स्थैर्यार्या बलवर्धिनी।* अर्थात, शरीर की वह चेष्टा जो शरीर को स्थैर्य और बल का वर्धन करे उसे व्यायाम कहते हैं। इसका युक्तिपूर्वक अभ्यास करना चाहिए। आचार्य वाग्भट ने इसे *मेदस क्षयम* कह कर व्यायाम की महत्ता को बढ़ा दिया है। यह एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा कम परिश्रम में ही अधिक लाभ होता है। यह है *स्थिर सुखमासनम* । योग दर्शन का सूत्र कहता है कि आसन से स्थायी सुख प्राप्त होता है। यही है *स्थिर सुखमासनम* । आसनों द्वारा सभी मांसपेशियों तथा कंधराओं की क्षमता बढ़ती है और शरीर के अभ्यंतरीय अवयवों की दुर्बलता दूर होती है। इससे शरीर ठीक ऐसे सक्षम हो जाता है, जैसे किसी रस्सी को ऐंठकर किसी वस्तु से रगड़ दिया जाए तो उसकी क्षमता एवं रूप में निखार आ जाता है ठीक उसी प्रकार भिन्न-भिन्न आसन करने से शरीर रूपवान एवं ऊर्जावान हो जाता है।

औषध द्रव्य

हरीतकी, शिलाजीत, लौहभस्म, वायविडंग, आमलकी, पुनर्नवा एवं गुग्गुल आदि योग किसी कुशल आयुर्वेद चिकित्सक की देखरेख में विधिवत प्रयोग किया जाए तो निश्चित रूप में इस दुष्ट प्रकृति रोग से छुटकारा पाया जा सकता है। ❑

(लेखक वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक हैं।
ई-मेल:

प्रकाशन विभाग की नयी पुस्तकें

विज्ञान में महानता की ओर

जे. राधाकृष्णन मूल्य-90 रुपये पृष्ठ-85

इस पुस्तक में पिछली दो शताब्दियों के प्रमुख बारह वैज्ञानिकों के महत्वपूर्ण आविष्कार, उनके जीवन चरित्र के साथ दिए गए हैं। अपनी इच्छा, लगन एवं परिश्रम के बल पर सफलता की ऊंचाई पाने वाले वैज्ञानिकों की छोटी-बड़ी बहुत-सी खोजें कब, कहां और कैसे संभव हुई इसका पूरा विवरण इस पुस्तक में है। रोचक शैली में लिखी यह पुस्तक बच्चों और बड़ों दोनों को पसंद आएगी।

वैभव और वैराग्य

राकेश पांडेय मूल्य-200 रुपये पृष्ठ-222

जैन धर्म, दर्शन एवं परंपरा का गौरवशाली इतिहास रहा है। यह धर्म हमें पुरुषार्थ की शिक्षा देता है। अपने पुरुषार्थ द्वारा आत्मा सिद्धत्व, बुद्धत्व, निर्वेद व मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। पुस्तक के जरिये जैन इतिहास, दर्शन, परंपरा एवं आदर्शों को सरल और सहज भाषा में सर्वसाधारण तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है।

अष्टछाप के कवि, सूरदास

डॉ. हरगुलाल मूल्य-95 रुपये पृष्ठ-131

अष्टछाप के प्रमुखतम कवि सूरदास भारतीय भक्ति साहित्य की उदात्त परंपरा के वाहक हैं जो मानवता को उदारता, सामंजस्य और सद्भाव के आदर्शों की ओर ले जाती है। नेत्र-विहीन सूर के काव्य ने साहित्य, संगीत और भक्ति का मनोरम आलोक फैलाया। यह पुस्तक प्रकाशन विभाग द्वारा पुष्टमार्ग के पोषक अष्टछाप के कवियों के व्यक्तित्व व कृतित्व पर आधारित पुस्तक शृंखला की अगली कड़ी है।

भारतीय वेशभूषा

अरविंद विश्वास मूल्य-120 रुपये पृष्ठ-130

वेशभूषा लोगों की सांस्कृतिक पहचान है। यह उनके रहन-सहन के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी देती है। हर समाज का पहनावा अलग होता है। वास्तव में यह अपने समय और समाज का दर्पण है। मनुष्य की सोच के साथ-साथ पोशाक भी बदलती है। विविधता से भरपूर हमारे देश में समय-समय पर लोगों की वेशभूषा में हुए बदलावों के बारे में यह पुस्तक विस्तृत जानकारी देती है।

विज्ञान हमारे आसपास

प्रदीप मुखोपाध्याय आलोक मूल्य-100 रुपये पृष्ठ-123

अपने आसपास की वस्तुओं और घटनाओं को देखकर बाल मन में जिज्ञासाओं का उठना स्वाभाविक है। क्यों और कैसे- जैसे सवालों के जवाब ढूंढने में विज्ञान हमारी मदद करता है। इस पुस्तक की कहानियां ऐसे ही आसपास बिखरे वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हैं।

मायामृग

रुचि कश्यप मूल्य-60 रुपये पृष्ठ-126

दुनिया के विकसित देशों की तरह भारत में भी बच्चे काफी ज्यादा समय टीवी के सामने बिताते हैं। इस दौरान वे तरह-तरह के हजारों विज्ञापन भी देखते हैं। जंक फूड, शराब, सिगरेट आदि उत्पादों के लुभावने विज्ञापनों के दुष्प्रभाव से बच्चों में मोटापा और उससे जुड़ी बीमारियां और शराब, सिगरेट आदि के प्रति रुझान बढ़ते हैं। सन् 2002 में भारत सरकार के भारतेंदु पुरस्कार से सम्मानित इस पुस्तक में शोध संदर्भों के जरिये बताया गया है कि टीवी विज्ञापन किस तरह बच्चों पर दुष्प्रभाव डाल रहे हैं।

भारतीय कला के हस्ताक्षर

ज्योतिष जोशी मूल्य-190 रुपये पृष्ठ-95

भारतीय कला के आधुनिक और समकालीन हस्ताक्षरों का मूल्यांकन करती इस पुस्तक में पिछली सदी से लेकर हाल के समय तक के चौदह कलाकारों की कलायात्रा को समेटा गया है। साथ में हर कलाकार की दो-दो कृतियों के चित्र भी शामिल हैं। यह पुस्तक कला और कला समीक्षा के बीच बढ़ रही दूरी को पाटने का सार्थक प्रयास है। इसमें कलाकारों के कृतित्व के तकनीकी पक्षों और निहितार्थों को भी उजागर करने की कोशिश हुई है। ❑

पुस्तक के लिये कृपया हमारे निम्नलिखित बिक्री केंद्रों पर संपर्क करें:- सूचना भवन सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003 (दूरभाष:24367260, 5610), हाल सं. 196, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 (दूरभाष: 23890205) * 701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर, नवी मुंबई-400614 (दूरभाष: 27570686) * 8, एसप्लानेड ईस्ट, कोलकाता-700069 (दूरभाष: 22488030) * 'ए' विंग, राजाजी भवन, बंसल नगर, चेन्नई-600090 (दूरभाष: 24917673) * प्रेस रोड नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट, तिरुवनंतपुरम-695001 (दूरभाष: 2330650) * ब्लॉक सं-4, पहला तल, गृहकल्प, एमजी रोड, नामपल्ली, हैदराबाद-500001 (दूरभाष: 24605383) * फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, बंगलुरु-560034 (दूरभाष: 25537244) * बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ, पटना-800004 (दूरभाष: 2683407) * हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर-H, अलीगंज, लखनऊ-226024 (दूरभाष: 2225455) * अंबिका कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, पाल्दी, अहमदाबाद-380007 (दूरभाष: 26588669) * के.के.बी. रोड, नयी कॉलोनी, मकान संख्या-7, चेनीकुटी, गुवाहाटी-781003 (दूरभाष: 2665090)

देवियों को मात दी जिसका इतिहास प्रमाण है। संकल्प शक्ति के बारे में देखा जाए तो भारतीय इतिहास पूरा का पूरा भरा पड़ा है। लेकिन वर्तमान में उसे जगाने और बताने की ज़रूरत है जिससे नागरिक जाग सके। जिन दिनों इस देश के अंदर स्वतंत्रता चरम पर था। स्वाधीनता की बलिवेदी पर भारतीय मां के सपूत स्वाधीनता संकल्प को लेकर शहीद हो रहे थे। अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति को लेकर यातनाएं भोग रहे थे। गुरू गोबिन्द सिंह जी जिनके चार पुत्रों में से दो को दीवार में चिनवा दिया था। चिनु हुए पुत्र सामने थे लेकिन गोबिन्द सिंह ने अपना दृढ़ संकल्प नहीं छोड़ा तथा अपने पुत्रों का बलिदान किया अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति के कारण, जिससे लाखों भारतीयों ने शिक्षा ली तथा उनके आचरण को ध्यान में रखकर स्वाधीनता की जंग निरंतर बढ़ती चली गई। भारतीय शहीद हुए लेकिन दृढ़ संकल्प शक्ति कमजोर नहीं हुई। सरदार भगत सिंह, नेता सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में अनेक देश भक्तों ने जिनके बल पर हमें आज़ादी मिली है प्राणों की बाजी लगा दी। यह उनकी दृढ़ संकल्प शक्ति ही तो थी। महाराणा प्रताप, शिवाजी, महारानी लक्ष्मी बाई आदि ने अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति के कारण ही स्वाधीनता संग्राम में प्राणों की बाजी लगा कर भारतीय महिलाओं के लिये और देश भक्तों के लिये एक अनोखी छाप छोड़ी। अन्यथा कहां थी आज़ादी? दृढ़ संकल्प शक्ति के बल पर असंभव जीत भी संभव हुई और हम स्वतंत्र हुए जिस पर आज हमें गर्व है। ❑